

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति
(2021-2022)

22

सत्रहवीं लोक सभा

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-2023)

बाईसवां प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

बाईसवां प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2021 -2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022 -2023)

16.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

16.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022 / फाल्गुन , 1943 (शक)

सीआरडी सं. 176

मूल्य: रुपये.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (तेरहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ----- द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची

समिति की संरचना.....	पृष्ठ सं. (i)
प्राक्कथन.....	(vi)

प्रतिवेदन

भाग-एक

व्याख्यात्मक भाग

एक. प्रस्तावना	1
(क) ग्रामीण विकास विभाग का अधिदेश और भूमिका	1
(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय - सिंहावलोकन	1
(ग) ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं	2
दो. ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 87 (2022-23)	2
तीन. वित्त वर्ष 2021-22 हेतु बजटीय आबंटन का उपयोग	7
चार. अव्ययित शेष	17
पांच. अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच	23
छह. योजना-वार संवीक्षा	26
(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	26
1. अधिनियम का उद्देश्य	26
2. वित्तीय विश्लेषण	27
3. वास्तविक कार्य-निष्पादन की समीक्षा	30
4. मजदूरी के भुगतान में विलंब - सामग्री घटक	34
5. मजदूरी का भुगतान	38
6. मजदूरी में वृद्धि	39
7. मनरेगा में नए कार्यों को शामिल करना	40
8. मस्टर रोल को प्रभावित करने वाले मुद्दे	42
9. नकली जॉब कार्ड, भ्रष्टाचार के आरोप और निगरानी	42
10. लोकपाल की नियुक्ति	44
11. दुर्घटना मुआवजा	46
(ख) प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	46
1. योजना का उत्कृष्ट दृष्टिकोण	46
2. वित्तीय प्रगति	48

3. वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति	53
4. योजना का विस्तार	54
5. किस्त जारी करने में विलंब	55
6. भूमिहीन लाभार्थियों से संबंधित मुद्दे	57
7. प्रति इकाई सहायता में वृद्धि	60
8. वास्तविक लाभार्थियों का सत्यापन	61
9. छोटे हुए लाभार्थियों को शामिल करना	64
10. निर्माण की निगरानी और गुणवत्ता	66
11. आवास के निर्माण को पूरा करने में विलंब	67
(ग) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	68
1. योजना का उद्देश्य	68
2. वास्तविक लक्ष्यों की वृद्धि	69
3. वित्तीय उपयोग	75
4. निर्माण की गुणवत्ता	76
5. निविदाओं से संबंधित मुद्दे	78
6. निर्माण उपरांत रख-रखाव	79
7. नई तकनीक का उपयोग	81
(घ) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डीएवाई-एनआरएलएम	83
1. लक्ष्य और उद्देश्य	83
2. योजना के प्रमुख घटक	84
क) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के माध्यम से सर्वव्यापी सामाजिक एकजुटता	84
ख) एसएचजी संघों का संवर्धन	84
ग) क्षमता निर्माण	84
घ) स्थाई संसाधनों के रूप में सामुदायिक निधि	85
ड.) सार्वभामिक वित्तीय समावेशन	85
च) आजीविका का संवर्धन	85
3. वास्तविक वृद्धि	85
4. वित्तीय ब्यौरा	87
5. स्वयं सहायता समूह	90
6. बैंकों की भूमिका - ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान	

(आरएसईटीआई)	94
7. बाजार से संबंधित संवर्धन	96
8. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) की स्थिति और भूमिका	98
(ड.) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन (एसपीएमआरएम)	100
1. पृष्ठभूमि	101
2. निर्धारित और प्राप्त वित्तीय लक्ष्य	101
3. वित्तीय कार्य-निष्पादन	102
4. योजना में बाधाएं - डीपीआर तैयार करना	108
5. अव्ययित शेष का परिसमापन	109
(च) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	110
1. ऐतहासिक पृष्ठभूमि	110
2. उप-योजना - संक्षिप्त जानकारी	111
3. प्राप्त लक्ष्य	112
4. निधियों की उपयोगिता	113
5. सहायता राशि की समीक्षा	115
6. निगरानी	115
(छ) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	116
1. योजना का शुभारंभ	116
2. कार्यान्वयन की विधि	116
3. अभी तक हुई प्रगति	119
सात. जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की भूमिका	119
आठ. योजनाओं के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाना	120
नौ. योजनाओं पर कोविड महामारी का प्रभाव	123

भाग-दो

समिति की टिप्पणियाँ/सिफारिशें	126-139
-------------------------------------	---------

अनुबंध

एक. सभी योजनाओं के अव्ययित शेष का ब्यौरा	140
दो. समिति की 21 फरवरी, 2022 को हुई पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	146
तीन. समिति की 14 मार्च, 2022 को हुई आतवीं बैठक का कार्यवाही उदरण	149

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव -- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिशिर कुमार अधिकारी
3. श्री सी. एन. अन्नादुरई
4. श्री ए.के.पी. चिनराज
5. श्री राजवीर दिलेर
6. श्री विजय कुमार दुबे
7. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
8. डॉ. मोहम्मद जावेद
9. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
10. श्री नलीन कुमार कटील
11. श्री नरेन्द्र कुमार
12. श्री जनार्दन मिश्र
13. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
14. श्री तालारी रंगैय्या
15. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
16. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
17. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री बृजभूषण शरण सिंह
19. श्री के. सुधाकरन
20. डॉ आलोक कुमार सुमन
21. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

22. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
23. श्री शांता क्षत्री
24. श्री शमशेर सिंह ढुलो

25. श्री इरण्ण कडाडि
26. डा. वानविरॉय खारलूखी
27. श्री नारणभाई जे. राठवा
28. श्री राम शकल
29. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह
30. श्री अजय प्रताप सिंह
31. रिक्त

सचिवालय

- | | | | |
|----|------------------|---|-------------------|
| 1. | श्री डी.आर. शेखर | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री ए. के. शाह | - | निदेशक |
| 3. | श्री इनाम अहमद | - | कार्यकारी अधिकारी |

प्राक्कथन

में, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंध में बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. (1) (क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की गई है।
3. समिति ने 21 फरवरी, 2022 को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।
4. समिति ने 14 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।
5. समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के अधिकारियों को विषय की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराने तथा अपनी सुविचारित राय व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देती है।
6. समिति, इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए सराहना करती है।

नई दिल्ली;

14 मार्च, 2022

23 फाल्गुन, 1943 (शक)

प्रतापराव जाधव

सभापति,

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग- एक

व्याख्यात्मक भाग

I. प्रस्तावना

क. ग्रामीण विकास मंत्रालय का अधिदेश और भूमिका

ग्रामीण विकास मंत्रालय को समेकित एवं सतत ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम चलाने का अधिदेश सौंपा गया है। ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, आजीविका अवसरों को बढ़ाने, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण करने एवं आजीविका अवसरों का विस्तार करने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा बुनियादी ढांचे के विकास की प्राथमिकता के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण जनता के कल्याण और विकास में अहम भूमिका निभाता है। पिछले वर्ष में विभिन्न मौजूदा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में कार्यान्वयन संरचनाओं को मजबूती प्रदान करने के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को दूर करने हेतु बहु-आयामी कार्यनीतियों को अंगीकृत कर लोगों के आर्थिक कल्याण में सुधार लाकर ग्रामीण क्षेत्रों का स्थायी विकास करना है।

वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के दो विभाग (i) ग्रामीण विकास विभाग और (ii) भूमि संसाधन विभाग हैं।

ख. ग्रामीण विकास विभाग - एक सिंहावलोकन

ग्रामीण विकास विभाग स्व-रोजगार एवं मजदूरी रोजगार के सृजन, वंचितों के लिए सामाजिक सहायता, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कों तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यकलापों के प्रावधान के लिए योजनाएं चलाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग कार्यक्रमों के समुचित

कार्यान्वयन के लिए डीआरडीए प्रशासन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, मानव संसाधन विकास आदि को सुदृढ़ करने हेतु सहायता सेवाएं और गुणवत्ता संबंधी जानकारियां प्रदान करता है।

ग. ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख योजनाएं

- (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
- (ii) प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)
- (iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- (iv) दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
- (v) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
- (vi) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम)
- (vii) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

दो. ग्रामीण विकास विभाग की मांग सं. 87 (2022-23)

अनुदानों की मांग (2022-23) - संक्षिप्त जानकारी

ग्रामीण विकास विभाग के विस्तृत अनुदानों की मांग का संक्षिप्त सार							
(रु. करोड़ में)							
क्रम सं.	योजना का नाम	लेखा का मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान 2021-2022	संशोधित अनुमान 2021-2022	बजट अनुमान 2022-2023		
					राजस्व	पूँजी/ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	योजनाएं ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम अजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन (एनआरएलएम)	2501	2119.67	2064.82	3089.42	--	3089.42
		3601	9994.22	8370.50	8762.01	--	8762.01
		3602	273.34	175.91	201.34	--	201.34
कुल-	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम		12387.23	10611.23	12052.77	--	12052.77
2	ग्रामीण रोजगार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)	2505	51980.30	75045.36	52645.41	--	52645.41
		3601	20798.15	22796.74	20131.69	--	20131.69
		3602	221.55	157.90	222.90	--	222.90
	कुल- ग्रामीण रोजगार		73000.00	98000.00	73000.00	--	73000.00

3	आवासन						
	ग्रामीण आवासन (आईएवाई)	2216	2599.85	3489.69	4082.43	--	4082.43
		3601	14761.14	14761.14	13778.53	--	13778.53
		3602	189.00	189.00	139.00	--	139.00
	ब्याज सब्सिडी	2216	0.01	0.01	0.01	--	0.01
	कुल-आईएवाई		17550.00	18439.84	17999.97	--	17999.97
4	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) को अनुदान	2515	111.60	111.60	121.91	--	121.91
5	आरडी कार्यक्रम को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया को मजबूत बनाना	2515	354.38	169.53	202.19	--	202.19
6	बीपीएल सर्वेक्षण	2515	0.01	0.01	0.01	--	0.01
7	रुर्बन मिशन	2515	95.02	40.02	80.02	--	80.02
		3601	409.98	276.98	389.98	--	389.98
		3602	30.00	20.00	20.00	--	20.00
	कुल-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		1000.99	618.14	814.11		814.11
8	सड़क और पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	3054	197.82	197.01	250.80	--	250.80
		3601	12302.18	11162.99	15349.20	--	15349.20
		3602	1000.00	1140.00	1500.00	--	1500.00
	(पीएमजीएसवाई) - ग्रामीण सड़क		13500.00	12500.00	17100.00	--	17100.00
9	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2235	24.56	24.56	22.56	--	22.56
		3601	8189.98	8189.98	8534.38	--	8534.38
		3602	65.45	65.45	130.15	--	130.15
	कुल-एनएसएपी		8280.00	8279.99	8687.09		8687.09
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु प्रावधान						
	1. आजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	2552	1290.38	1098.38	1283.65		1283.65
	2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)	2552	0.00	0.00	0.00		0.00
	3. ग्रामीण आवासन (आईएवाई)	2552	1950.00	1950.00	2000.03		2000.03
	4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान (एनआईआरडी)	2552	12.40	12.40	13.55		13.55

5.	आरडी कार्यक्रम को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया को मजबूत करना	2552	10.00	7.00	10.00		10.00
6.	बीपीएल सर्वेक्षण	2552	0.00	0.00	0.00		0.00
7.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	2552	1500.00	1500.00	1900.00		1900.00
8.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2552	920.00	450.01	965.22		965.22
9.	रूबन मिशन	2552	65.00	38.00	60.00		60.00
कुल-एनई क्षेत्र			5747.78	5055.79	6232.45		6232.45
कुल-योजना व्यय			131466.00	153504.99	135886.39		135886.39
गैर योजना व्यय							
1.	ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यालय की स्थापना	3451	53.08	53.08	57.90	--	57.90
कुल- गैर योजना			53.08	53.08	57.90		57.90
कुल योग (योजना+गैर योजना)			131519.08	153558.07	135944.29		135944.29

विवरण-ग

पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों में विधि का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण										
(रुपये करोड़ में)										
क्र. सं.	योजना का नाम	2018-19	2019-2020		2020 -2021		2021-22		2022 -23	
		परिव्यय	परिव्यय	2018-19 से वृद्धि का प्रतिशत	परिव्यय	2019 - 20 से वृद्धि का प्रतिशत	परिव्यय	2020-21 से वृद्धि का प्रतिशत	परिव्यय	2021 - 22 से वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आजीविका - राष्ट्रीय	5750.00	9024.00	56.94%	9210.04	2.06%	13677.61	48.51%	13336.42	-

	ग्रामीण आजीविका मिशन									2.49%
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	55000.00	60000.00	9.09%	61500.00	2.50%	73000.00	18.70%	73000.00	0.00%
3	ग्रामीण आवासन (इंदिरा आवास योजना)	21000.00	19000.00	-9.52%	19500.00	2.63%	19500.00	0.00%	20000.00	2.56%
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000.00	19000.00	0.00%	19500.00	2.63%	15000.00	- 23.08%	19000.00	26.67 %
5	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पंचायती राज	75.00	100.00	33.33%	124.00	24.00%	124.00	0.00%	135.46	9.24%
6	काउनसिल फॉर ऐड्वैन्समन्ट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रुरल टेक्नॉलजी (सीएपीएआर टी)	24.00	24.00	0.00%	0.00	- 100.00 %	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7	आर डी कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया को मजबूत	254.40	350.62	37.82%	367.46	4.80%	364.38	-0.84%	212.19	- 41.77 %

	बनाना									
8	बी पी एल सर्वेक्षण	75.70	1.00	-98.68%	0.01	- 99.00%	0.01	0.00%	0.01	0.00%
9	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9975.00	9200.00	-7.77%	9196.92	-0.03%	9200.00	0.03%	9652.31	4.92%
10	रुबन मिशन	1200.00	800.00	-33.33%	600.00	- 25.00%	600.00	0.00%	550.00	- 8.33%
11	गैर योजना सचिवालय	44.57	47.57	6.73%	48.76	2.50%	53.08	8.86%	57.90	9.08%
12	ग्रामीण विकास भवन	5.25	100.00	1804.76 %	100.00	0.00%	0.00	- 100.00 %	0.00	0.00%
	कुल- ग्रामीण विकास	112403.9 2	117647.1 9	4.66%	120147.1 9	2.12%	131519.0 8	9.46%	135944.2 9	3.36%

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल बजट अनुमान (बीई) वित्त वर्ष 2021-22 के 1,31,519.08 करोड़ रुपये के बीई की तुलना में 1,35,944.29 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन में 3.36% की वृद्धि हुई है। हालांकि मनरेगा के बीई में पिछले वर्ष की तुलना में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है और

यह 73,000/- करोड़ रुपये पर स्थिर है, पीएमजीएसवाई और पीएमएवाई-जी की योजनाओं में क्रमशः 26.67% और 2.56% की वृद्धि देखी गई है।

तीन. वित्तीय वर्ष 2021 -22 के लिए बजटीय आवंटन का उपयोग

2021-22 के दौरान वित्तीय निष्पादन

विवरण-क											
ग्रामीण विकास विभाग											
2019-20 से 2021-22 और बीई 2022-23 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण											
(रुपये करोड़ में)											
क्र. म. सं.	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2019-20			वार्षिक योजना 2020-21			वार्षिक योजना 2021 -22			बीई2 022-23
		बीई	आर ई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आर ई	वास्तविक व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं										
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	60000.00	71001.81	71679.31	61500.00	111500.00	111169.55	73000.00	98000.00	79977.39	73000.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-	9024.00	9024.00	8989.56	9210.04	9210.04	9201.77	13677.61	11709.61	6726.24	13336.42

	आजीविका										
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	19000 .00	18475.0 0	18116.02	19500.00	19500.0 0	19269.08	195 00.0 0	20389 .84	13725.3 6	200 00.0 0
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000 .00	14070.0 7	14017.48	19500.00	13706.2 3	13687.49	150 00.0 0	14000 .00	10693.5 9	190 00.0 0
5	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9200. 00	9200.00	8692.42	9196.92	42617.2 2	42443.10	920 0.00	8730. 00	6425.07	965 2.31
6	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन	800.0 0	300.00	303.75	600.00	372.33	369.29	600. 00	375.0 0	16.47	550. 00
7	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	100.0 0	100.00	80.42	124.00	80.50	80.43	124. 00	124.0 0	84.98	135. 46
8	सीएपीएआर टी को सहायता	24:00	1 9.07	1 9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	आर डी कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया को मजबूत	350.6 2	350.62	139.86	367.46	341.44	134.47	364. 38	176.5 3	44.07	212. 19

	बनाना										
10	एस ई सी सी जनगणना	1.00	1.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
	कुल	11749 9.62	122541. 57	122037.8 9	119998.4 3	197327. 77	196355.1 8	131 466. 00	15350 4.99	117693. 17	135 886. 39
	गैर योजना व्यय										
1	ग्रामीण विकास विभाग के मुख्यालय की स्थापना	47.57	52.53	47.78	48.76	48.76	61.53	53.0 8	53.08	56.43	57.9 0
	कुल (गैर योजना व्यय) (आर डी)	47.57	52.53	47.78	48.76	48.76	61.53	53.0 8	53.08	56.43	57.9 0
2	ग्रामीण विकास भवन (पूँजी विभाग)	100.0 0	54.90	12.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (पूँजी विभाग) (आर डी)	100.0 0	54.90	12.52	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल- ग्रामीण विकास	11764 7.19	122649. 00	122098.1 9	120147.1 9	197376. 53	196416.7 1	131 519. 08	15355 8.07	117749. 60	135 944. 29

ग्रामीण विकास विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान चरण में 1,31,519.08 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसे संशोधित अनुमान चरण में बढ़ाकर 1,53,558.07 करोड़ रुपए कर दिया गया था जबकि दिनांक 29.01.2022 तक कुल व्यय 1,17,749.60 करोड़ रुपये है।

3.2 2021-22 में आरई चरण में धन में वृद्धि के कारण और इसके स्पष्टीकरण के संबंध में पूछे जाने पर, ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

“डीएवाई-एनआरएलएम : जहां तक डीएवाई-एनआरएलएम का संबंध है वर्तमान वर्ष के लिए 13677.61 करोड़ रु. के बजट अनुमान प्रावधान के अलावा किसी भी अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव संशोधित अनुमान में नहीं किया गया है।

मनरेगा : महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित कार्यक्रम है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट अनुमान 73,000 करोड़ रु. है। कार्य की मांग की वर्तमान गति पर आधारित आवश्यकता के अनुसार संशोधित अनुमान चरण में 25,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि का प्रावधान किया गया है। इससे कुल आवंटन बढ़कर 98,000 करोड़ रु. हो गया है, जिसमें से 80,338.46 करोड़ रु. (81.97%) का उपयोग अब तक किया जा चुका है।

पीएमएवाई-जी : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित कुल बजट 19,500 करोड़ रु. है। इस कुल बजट में से 16,940 करोड़ रु. आवास के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शेष राशि नाबार्ड ब्याज की अदायगी, ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना, स्वदेशी यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय इत्यादि जैसे विविध शीर्षों के लिए निर्धारित की गई है। नाबार्ड ब्याज अदायगी के बजट शीर्ष के अंतर्गत कुल 2500 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त गणना के अनुसार 1315 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। चूंकि नाबार्ड को ब्याज की अदायगी भारत सरकार की प्रतिबद्ध देनदारी है इसलिए 1315 करोड़ रु. की आवश्यकता में से 889.84 करोड़ रु. की राशि ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम प्रभागों से समायोजित की गई है।

पीएमजीएसवाई : जहां तक पीएमजीएसवाई का संबंध है, बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में कोई वृद्धि नहीं की गई है बल्कि संशोधित अनुमान चरण में आवंटन घटा दिया गया है। बजट अनुमान और संशोधित अनुमान (2021-22), दिनांक 24.01.2022 की स्थिति के अनुसार रिलीज और वास्तविक व्यय (राज्य अंश सहित) के आंकड़े इस प्रकार हैं :-

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	ब .अ.2021-22	सं .अ.2021-22	24.01.2022 तक रिलीज	व्यय 24.01.2022
1	पीएमजीएसवाई	15,000.00	14,000.00	10,447.89	20,234.22

एसपीएमआरएम : एसपीएमआरएम के अंतर्गत 2021-22 के अनुमान चरण में निधियों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। संशोधित अनुमान चरण में 2021-22 के लिए निधियां बजट अनुमान के 600 करोड़ रु. से कम करके संशोधित अनुमान चरण में 375 करोड़ रु. कर दी गई हैं।

इस मिशन के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 600 करोड़ रु. के कुल सीजीएफ में से अब तक केवल 16.47 करोड़ रु. अर्थात बजट अनुमान के 2.74% प्रावधान का उपयोग किया गया।

दिनांक 24.01.2022 की स्थिति के अनुसार 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने रिलीज की गई निधियों के 75% से अधिक का उपयोग कर लिया है और मंत्रालय की ओर से निधियों की रिलीज देय है। तथापि, एसपीएमआरएम को बंद करने की सिफारिश करने के व्यय-वित्त समिति के निर्णय के कारण एसपीएमआरएम के अंतर्गत राज्यों को निधियों की रिलीज सितम्बर, 2021 से रूकी हुई है।

मार्च, 2024 तक मिशन के विस्तार का अनुरोध केंद्रीय मंत्रिमंडल से किया जा रहा है। अनुमोदन प्राप्त होने पर निधियों का उपयोग किया जाएगा।”

3.3 चालू वित्त वर्ष में बचे इतने कम समय में शेष धनराशि खर्च करने की डीओआरडी की योजना के बारे में पूछे जाने पर निम्नवत उत्तर प्रस्तुत किया गया:-

“डीएवाई-एनआरएलएम : डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत अद्यतन व्यय 6725.05 करोड़ रु. है। अधिकांश राज्यों में कोविड-19 से लगे आघात के बाद कार्यक्रम कार्यकलापों की रफ्तार अब बढ़ गई है और आशा है कि व्यय की रफ्तार अधिक होगी तथा अंतिम तिमाही में संशोधित अनुमान प्रावधान का पूर्ण उपयोग हो सकता है। इसके अतिरिक्त डीएवाई-एनआरएलएम की अधिकांश उपयोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान व्यय करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन योजनाओं की मैपिंग पीएफएमएस प्लेटफार्म पर कर दी है; इससे व्यय की तत्काल निगरानी करने में केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को मदद मिलेगी।

डीडीयू-जीकेवाई : डीडीयू-जीकेवाई की योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में राज्यों और सीटीएसए को 23.97 करोड़ रु. रिलीज करने की है।

मनरेगा : महात्मा गाँधी नरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है। फिलहाल, स्वीकृत श्रम बजट अब तक 319.59 करोड़ रुपए है। क्षेत्र में कार्यों की मांग में वृद्धि वृद्धि के अनुसार अब तक गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आँध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और केरल के श्रम बजट पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। मांग आधारित योजना होने के कारण निधियों की आवश्यकता कार्य की वर्तमान मांग की रफ्तार के अनुसार अनुमानित मांग पर आधारित होती है।

पीएमएवाई-जी : आवास प्रयोजन के लिए निर्धारित कुल 16940 करोड़ रु. की राशि में से 10964.47 करोड़ रु. की राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संवितरित की जा चुकी है और 5975 करोड़ रु. की राशि शेष है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव पहले ही प्राप्त हो गए थे और अब वे प्रस्ताव आईएफडी की स्वीकृति के लिए लंबित है। इसके अतिरिक्त, आईएफडी द्वारा कुछ राज्यों के संबंध में की गई आपत्तियों के अनुसार राज्य सरकारों के संबंध में उत्तर अभी आने हैं। अनुमानित मांग के अनुसार यह प्रभाग बजटेतर संसाधन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

पीएमजीएसवाई : 24.01.2022 तक 14000 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान में से 10,447.89 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है और आशा है कि संशोधित अनुमान (2021-22) में आवंटित 14000 करोड़ रु. की संपूर्ण राशि का उपयोग इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कर लिया जाएगा। राज्यों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर इस अनुमान की पुष्टि कर ली गई है।

एनएसएपी : एनएसएपी के लिए आवंटित निधियों (सं.अ.) के लगभग 74% का उपयोग 25.01.2022 तक किया जा चुका है और चौथी तिमाही के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निधियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शेष राशि का उपयोग तदनुसार कर लिया जाएगा।

एसपीएमआरएम : एसपीएमआरएम को बंद करने की सिफारिश करने के व्यय-वित्त समिति के निर्णय के कारण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 30 सितम्बर, 2021 के बाद इस मिशन के अंतर्गत व्यय की अनुमति नहीं दी। मिशन को बंद करने की व्यय-वित्त समिति की सिफारिशों के बाद ग्रामीण विकास विभाग के आईएफडी ने निधियों की रिलीज के प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया। इसलिए

एसपीएमआरएम के अंतर्गत राज्यों को निधियों की रिलीजें सितम्बर, 2021 से रूकी हुई हैं।

मंत्रालय ने भी निधि की रिलीज के लिए पूर्व में स्वीकृत प्रावधानों के अंतर्गत क्लस्टर आधारित मांगों के संबंध में निधियों की रिलीज बंद कर दी तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास निधियां एकत्र होने की समस्या से बचने के लिए निधि पूल व्यवस्था कार्यान्वित की। इसलिए इस अवधि के दौरान निधियों की रिलीज के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए क्योंकि राज्य पिछले वित्तीय वर्षों में उन्हें रिलीज की गई निधियों के अप्रयुक्त शेष का उपयोग कर रहे थे। मंत्रालय मार्च, 2024 तक इस मिशन के विस्तार का अनुरोध केंद्रीय मंत्रिमंडल से कर रहा है। अब तक 375 करोड़ रु. के संशोधित अनुमान में से केवल 16.47 करोड़ रु. का उपयोग किया गया है।

कार्यक्रम प्रभाग को 24.01.2022 तक 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें केंद्रीय अंश की निधियों के 536.74 करोड़ रु. रिलीज करने का अनुरोध किया गया है। मिशन के विस्तार को अनुमोदन प्राप्त होने पर इन निधियों का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मिशन का विस्तार होने के बाद स्थानिक योजना की तैयारी के लिए निधियों की रिलीज भी देय है।

एनआईआरडी एंड पीआर : एनआईआरडी एंड पीआर और एसआईआरडी/ईटीसी को निधियां दो किस्तों में रिलीज की जाती हैं। प्रत्येक किस्त दो खेपों में रिलीज की जाती है। दूसरी किस्त की दूसरी खेप के रूप में 39.02 करोड़ रु. की शेष राशि एनआईआरडी एंड पीआर को रिलीज की जाएगी। इसके अतिरिक्त एसआईआरडी/ईटीसी के अंतर्गत निधियां संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार रिलीज की जाएगी।”

3.4 चालू वित्त वर्ष में व्यय की प्रक्रिया के संबंध में, डीओआरडी के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया :-

“पिछले वित्तीय वर्ष में कोविड के मददेनजर सरकार ने कई मदों में अतिरिक्त प्रावधान किए थे। गत वर्ष में अब तक का सर्वाधिक खर्च हुआ था। अगर, इस वित्तीय वर्ष में उन खर्चों को हटा दिया जाए तो यह लगभग उसके बराबर है।

मैं आपका ध्यान आगे की स्लाइड की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। इस स्लाइड में बजट में मांग, उसके अलावा जो पुनरीक्षित प्राक्कलन होती है और वास्तविक व्यय को दर्शाया गया है। आप देखेंगे कि जो पुनरीक्षित

प्राक्कलन है, उसका लगभग 99 प्रतिशत खर्च हमारा प्रत्येक वर्ष का है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है, उसको हम लोग पूरी तरह से खर्च करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 80 प्रतिशत खर्च किये जा चुके हैं। हमें पूरी तरह से आशा है कि हम 1,53,000 करोड़ रुपये के प्रावधानों का पूरा-पूरा व्यय कर लेंगे।

इस स्लाइड में, वित्तीय वर्ष में बजट में जो मूल मांग थी, उसके बाद पुनरीक्षित मांग हुई और दोनों के बीच में खर्च का जो फर्क है तथा वह पुनरीक्षित प्राक्कलन का कितना अनुपात है, वह इसमें दर्शाया गया है।

जैसा कि 'महात्मा गांधी नरेगा' में बजट के दौरान 73,000 करोड़ रुपये की मांग थी, उसके बाद हम लोगों ने पुनरीक्षित प्राक्कलन के रूप में 98,000 करोड़ रुपये रखा था। अभी तक 82,000 करोड़ रुपयों का व्यय हो चुका है, जो लगभग 84 प्रतिशत के बराबर है।

'प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना' के अंतर्गत पुनरीक्षित प्राक्कलन में 20,389 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो बजट प्राक्कलन से लगभग 889 करोड़ रुपये ज्यादा थी। उसके विरुद्ध 15,244 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है, जो लगभग 75 प्रतिशत के बराबर है।

'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' में मूल प्राक्कलन 15,000 करोड़ रुपये का था और उसके विरुद्ध पुनरीक्षित प्राक्कलन के रूप में 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान हमें उपलब्ध कराया गया था। उसमें से लगभग 11,792 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जो लगभग 84 प्रतिशत के बराबर है।

इसी प्रकार से, जो 'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा' कार्यक्रम है, उसमें आर.ई. के दौरान 8,730 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। उसकी वजह यह थी कि हमें जो नार्थ-ईस्टर्न मद में 10 प्रतिशत व्यय करने होते हैं, उतने हमारे पास लॉ बुक नहीं हैं। इस बारे में हमने वित्त मंत्रालय को अवगत करा दिया था। लेकिन, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 प्रतिशत न्यूनतम रखे जाने का जो प्रावधान है, उसके मद्देनजर हमें 470 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रत्यर्पित करना पड़ा। आज के दिन तक लगभग 74 प्रतिशत खर्च किया जा चुका है।

'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना' के तहत जो 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका' कार्यक्रम है, उसमें 13,677 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। पुनरीक्षित प्राक्कलन 11,709 करोड़ रुपये का किया गया था।

उसमें से लगभग 1,968 करोड़ रुपये की बचत हुई है। यह बचत 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना' और 'आरसेटी कार्यक्रम' के अंतर्गत कोविड के मद्देनजर प्रशिक्षण कार्यक्रम न किए जाने के कारण हुई है। आज के दिन तक इसमें लगभग 61.7 प्रतिशत का खर्च किया जा चुका है।“

3.5 डीओआरडी ने प्रत्येक योजना के लिए आबंटित/उपयोग की गई निधियों का तुलनात्मक विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया है-

2018-19, 2019-20, 2022-21 और 2021-22 (आज की तिथि तक) हेतु बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण													
रुपये करोड़ में													
क्रम सं.	योजना का नाम	2018-19			2019-20			2020-21			2021-22		
		बीई	आर ई	वास्तविक व्यय	बीई	आर ई	वास्तविक व्यय	बीई	आर ई	वास्तविक व्यय	बीई	आर ई	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	5500 0.00	61830 .09	61829.5 5	6000 0.00	71001 .81	71679 .31	6150 0.00	1115 00.0 0	11116 9.55 0	730 00.0 0	98000 .00	79977.3 9
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- आजीविका	5750. 00	5783. 50	5783.48	9024. 00	9024. 00	8989. 56	9210. 04	9210 .04	9 201.7 7	136 77.6 1	11709 .61	6726.24
3	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	2100 0.00	19600 .00	19307.9 5	1900 0.00	18475 .00	18116 .02	1950 0.00	1950 0.00	19269 .08	195 00.0 0	20389 .84	13725.3 6

कुल	1123	11235	111853.	1174	12254	12203	1199	1973	19635	131	15350	117693.
	54.10	2.96	36	99.62	1.57	7.89	98.43	27.7	5.18	466.	4.99	17
								7		00		

चार. अव्ययित शेष

4.2 डीओआरडी द्वारा प्रस्तुत योजना-वार अव्ययित शेष ब्यौरे अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं।

4.3 डीओआरडी ने अपने लिखित उत्तर में अव्ययित शेष राशि की मात्रा के कारणों निम्नवत बताए -

“डीएवाई-एनआरएलएम:- कार्यान्वयन प्रक्रिया पर विचार करते हुए, जिसके लिए राज्य से जिले और ब्लॉकों में निधि प्रवाह की आवश्यकता होती है, डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत कार्यक्रम के दिशानिर्देश उपलब्ध निधियों के 75% का उपयोग होने के बाद दूसरी किस्त जारी करने की अनुमति देकर आवंटित निधियों के लगभग 25% को रखने की अनुमति देते हैं। उपलब्ध निधियों में पिछले वर्ष की प्रारंभिक शेष राशि शामिल है।

रिलीज की मात्रा और हाल के वर्षों में व्यय न की गई शेष राशि की तुलना करने से पता चलता है कि हालांकि तीन वर्षों में 2020-21 तक जारी की गई राशि की मात्रा में कमी आई है, किंतु व्यय न की गई शेष राशि का प्रतिशत कम हो गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में, रिलीज की मात्रा की तुलना में व्यय न की गई शेष राशि के प्रतिशत में वृद्धि वर्ष 2020-21 के फरवरी और मार्च माह के दौरान की गई रिलीज के कारण है जो 2021-22 में राज्य राजकोष में जारी की गई हैं।

डीडीयू-जीकेवाई:- कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के कारण डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण केंद्रों की परिचालन क्षमता कम हुई है और कोविड मामलों में वृद्धि के कारण राज्यों द्वारा बार-बार लॉकडाउन लगाने से राज्यों में फिर से प्रशिक्षण शुरू करने में बाधा आई है। वर्तमान में, प्रशिक्षण केन्द्र संस्थापित क्षमता की लगभग 1/3 क्षमता पर चलाए जा रहे हैं, जिससे प्रचालन अव्यवहार्य हो जाते हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रशिक्षण पूरे करने के साथ-साथ प्रशिक्षित उम्मीदवारों की रोजगारों में नियुक्ति के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया है। कार्य योजना 2019-2022 को मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यथासंभव सहायता लागत कार्यकलापों को भी ऑनलाइन पद्धति से किया जा रहा है।

आरएसईटीआई:-16. कोविड-19 की रोकथाम के उपायों ने आरएसईटीआई की परिचालन क्षमता कम कर दी है और कोविड के मामलों में वृद्धि के कारण राज्यों द्वारा बार-बार लॉकडाउन लगाने से राज्यों में फिर से प्रशिक्षण शुरू करने में बाधा आई है। वर्तमान में, प्रशिक्षण केन्द्र संस्थापित क्षमता से कम क्षमता पर चलाए जा रहे हैं, जिससे प्रचालन में कठिनाई हो रही है।

महात्मा गांधी नरेगा:- महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जमीनी स्तर पर मांग के आधार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। कार्यक्रम के सामग्री एवं प्रशासनिक घटक के लिए विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में जारी की गई निधियां कुछ राज्यों में व्यय न की गई शेष राशि के रूप में जमा हो जाती हैं जिसके कारण हैं- भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को निधियां देरी से उपलब्ध कराया जाना, राज्य वित्त के विभाग द्वारा राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी के बैंक खाते में विलंब से राशि जारी करना, फील्ड स्तर पर निधि अंतरण आदेश तैयार करते समय आने वाली तकनीकी समस्याएं अथवा फील्ड स्तर पर प्रशासनिक मुद्दे। मंत्रालय इस व्यय न की गई शेष राशि को आगामी रिलीज में समायोजित करता है।

पीएमएवाई-जी - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवाससॉफ्ट पर दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक **25-01-2022** की स्थिति के अनुसार कुल **10891.13** करोड़ रुपये व्यय शेष राशि के रूप में सूचित की गई है। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन की रूपरेखा के अनुसार राज्य नोडल खातों में बच गई व्यय न की गई शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक शेष के रूप में लिया जाता है।

व्यय न की गई शेष राशि जमा हो जाने के कारण निम्नानुसार हैं:

1. कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण आवासों के निर्माण की धीमी गति।
2. राज्य कोषागार से एसएनए में निधियां अंतरित करने में विलंब।
3. अनेक कारकों जैसे राज्य विधानसभा या पंचायत चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण, भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने में विलंब, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मकानों की स्वीकृति में विलंब, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता आदि के कारण निर्माण में विलंब हुआ है।

पीएमजीएसवाई:- व्यय न की गई शेष राशि जमा होने के निम्नलिखित विभिन्न कारक हैं:

- i. आमतौर पर राज्य वर्ष के अंत में केंद्र सरकार के हिस्से के साथ-साथ राज्य के हिस्से को जारी करते हैं जिससे वर्ष की शुरुआत में व्यय न की गई शेष राशि अत्यधिक जमा हो जाती है।
- ii. व्यय भी मौसम पर निर्भर करता है। इस वर्ष में मानसून की शुरुआत जल्दी हुई और मानसून लंबे समय तक रहा जिसके कारण व्यय थोड़ा कम हुआ। आमतौर पर सड़क निर्माण में व्यय दूसरी तिमाही के बाद ही बढ़ता है। मौजूदा अवधि में राज्यों में अब निर्माण की गति बढ़ रही है।
- iii. शेष कार्य में से अधिकांश दूरस्थ क्षेत्रों में और दुर्गम क्षेत्रों में हैं जहां निष्पादन की गति धीमी है। यह भी व्यय की धीमी गति के लिए एक जिम्मेदार कारक है। कई राज्यों में, गुणवत्ता निरीक्षण और अनुपालन आदि के कारण लंबित बिलों के कारण व्यय कम हुआ है।
- iv. अव्ययित शेष राशि में अर्जित ब्याज और राज्यों द्वारा दिए गए निविदा प्रीमियम का हिस्सा भी शामिल है। तथापि, लगातार निगरानी के कारण व्यय न की गई शेष राशि में लगातार कमी हो रही है।
- V. राज्यों के पास उपलब्ध व्यय न की गई शेष राशि में इस वर्ष जारी की गई 10,346 करोड़ रुपये की राशि में से कुछ राशि भी शामिल है और इसमें से कुछ हाल ही में जारी की गई हैं।
- व्यय न की गई शेष राशियों को समाप्त करने के लिए प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

- (i) निधियों को एकत्र होने से बचाने के लिए और अधिक निधियां जारी करने के प्रस्तावों पर विचार करते समय राज्यों के पास व्यय न की गई शेष राशियों पर विचार किया जाता है।
- (ii) निधियां केवल उन्हीं राज्यों को जारी की जाती हैं जिनके पास पिछले वर्ष की शेष राशि और वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की निधियों का उपयोग करने की क्षमता है।
- (iii) इसके अलावा, केंद्रीय अंश राज्यों को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद रिलीज किया जाता है कि पिछले लंबित राज्य अंश को योजना के राज्य नोडल खाते में जमा किया गया हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य को निधियां समय पर जारी की जाती है, वित्त मंत्रालय ने 25 प्रतिशत के हिसाब से 4 खेप में राज्यों को केंद्र का अंश जारी करने के लिए दिशानिर्देश दिए हैं। दूसरी खेप तभी रिलीज की जाती है जब केंद्र और राज्य दोनों का अंश राज्य सरकार द्वारा योजना के राज्य नोडल

खाते में जमा किया गया हो और कुल उपलब्ध निधि का 75 प्रतिशत तक उपयोग कर लिया गया हो।

(iv) इसके अतिरिक्त, राज्यों को पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण की गति बढ़ाने और उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि को पूरा खर्च करने की सलाह दी जाती है।

(v) कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा माननीय मंत्री/सचिव/अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर नियमित रूप से की जाती है, जिसमें राज्यों को पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण की गति बढ़ाने और उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि को पूरा खर्च करने की सलाह दी जाती है।

एनएसएपी:- वर्तमान वित्तीय वर्ष (अर्थात् 2021-22) के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी रिलीज, अप्रयुक्त शेष की सूचना नहीं दी गई है।

एसपीएमआरएम:- वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत में 1413.22 करोड़ रु. की तुलना में दिनांक 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार कुल अप्रयुक्त शेष राशि 796.80 करोड़ रुपये (कुल) है। एसपीएमआरएम के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय न की गई शेष राशि में से 616.42 करोड़ रुपये कम कर दिए गए हैं।”

4.4 यह पूछे जाने पर कि डीओआरडी ने किस प्रकार अव्ययित शेष राशि को कम करने की योजना बनाई, डीओआरडी ने निम्नवत बताया :-

“डीएवाई-एनआरएलएम:- अप्रयुक्त शेष को नियंत्रित करने के लिए, अप्रयुक्त शेष के संचय को विनियमित करने के लिए एनआरएलएम दिशानिर्देशों में पहले से ही एक अंतर्निहित सुरक्षा प्रणाली है। दिशानिर्देशों के अनुसार पिछले वर्ष के कुल आवंटन की 10% से अधिक की कोई भी अप्रयुक्त शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त में समायोजित कर दिया जाता है। इसके अलावा, व्यय की प्रगति की समीक्षा करने और निधियों के सुचारू प्रवाह तथा व्यय की गति में किसी भी बाधा को हल करने के लिए राज्यों के साथ द्वि-मासिक वित्त समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। राज्यों के साथ निष्पादन समीक्षा बैठकें भी नियमित रूप से उच्चतम स्तर पर सचिव (आरडी) की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं जिसमें सभी राज्यों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव भाग लेते हैं।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग, पीएफएमएस डिवीजन द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2021 से "केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियों को जारी करने की प्रक्रिया और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी" पर दिनांक 23/03/2021 के उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या -1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/1020 द्वारा, राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अप्रयुक्त शेष राशि को खर्च करने की आशा की जाती है और इससे अप्रयुक्त शेष के संचित होने की संभावना भी कम से कम हो जाएगी।

आरएसईटीआई:- राज्यों को निधियां रिलीज की जाती हैं और प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति के रूप में आरएसईटीआई का संचालन करने वाले बैंकों को निधियां राज्यों द्वारा रिलीज की जाती हैं। प्रक्रिया को तेज करने के लिए इस विषय पर कार्य लीड बैंकों/राज्यों द्वारा किया जा रहा है जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा गया है।

मनरेगा:- महात्मा गांधी नरेगा के तहत, पिछली रिलीज की अप्रयुक्त शेष राशि को अगली रिलीज में समायोजित किया जाता है। योजना के तहत निधि रिलीज करना एक सतत प्रक्रिया है जो जमीनी स्तर पर मांग निर्भर है। मंत्रालय अगली किश्त तब ही जारी करना सुनिश्चित करता है, जब पिछली केंद्रीय रिलीज की निधियों का उपयोग हो गया हो।

पीएमवाई-जी:- यह प्रभाग अप्रयुक्त शेष को कम से कम करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की लगातार निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने की सहमति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मासिक व्यय की गति के आधार पर दी जाती है, जिससे निधियों के संचय को रोका जा सके।

कार्यक्रम की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा मंत्री/सचिव/उप महानिदेशक के स्तर पर की जाती है, जिसमें राज्यों को कार्य की गति बढ़ाने और उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि को खर्च करने की सलाह दी जाती है।

पीएमजीएसवाई:- जैसा कि बिंदु 16 के उत्तर में दिया गया है।

एनएसएपी:- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएपी के तहत पहचाने गए लाभार्थियों को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए अग्रिम रूप से निधियां रिलीज की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास अप्रयुक्त शेष की उपलब्धता का कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपेक्षित प्रस्तावों/दस्तावेजों को समय पर प्रस्तुत न करना है। उदाहरण के लिए

कभी-कभी, वित्तीय वर्ष के अंत में निधि रिलीज की जाती है क्योंकि दूसरी किस्त के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में प्राप्त होते हैं। आगामी वर्ष की पहली किस्त के लिए निधि की मांग करने से पहले इन निधियों का राज्यों द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में संबंधित राज्य की अप्रयुक्त शेष राशि को पहली किस्त के लिए देय राशि में समायोजित कर दिया जाता है। तथापि, अप्रयुक्त शेष के मामले को राज्यों के साथ लिखित संचार/ईमेल और औपचारिक चर्चा के माध्यम से लगातार उठाया जाता है।

एसपीएमआरएम:- वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास 1413.22 करोड़ रु. की अप्रयुक्त शेष राशि थी। चूंकि निधि पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध थी और इसके अतिरिक्त निधि रिलीज के लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया गया था, इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में निधि रिलीज बहुत कम थी। 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त शेष राशि घटकर 796.80 करोड़ रु. रह गई है।

एसपीएमआरएम के तहत, फंड पूलिंग मैकेनिज्म जनवरी 2021 से लागू किया गया है। फंड पूलिंग मैकेनिज्म के बाद, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीजीएफ व्यय (केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा) का 75% उपयोग कर लिया है, वे मंत्रालय को आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर आगामी निधि प्राप्त करने के पात्र हैं। इन निधियों को आगे प्रत्येक 50 प्रतिशत के हिसाब से दो खेपों में जारी किया जाता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र द्वारा रिलीज की गई पहली किस्त को 75 प्रतिशत तक खर्च करने के बाद ही दूसरी किस्त का दावा कर सकते हैं, जिसमें संबंधित राज्य का अंश भी शामिल है। इस प्रकार, एसपीएमआरएम के तहत अप्रयुक्त शेष राशि को खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्यों को रिलीज की जाने वाली निधि राज्यों के छह महीने के संभावित व्यय योजना पर आधारित है, अतः आगे चलकर अप्रयुक्त शेष के कम होने की उम्मीद है।

एनआईआरडी एण्ड पीआर:- यदि कोई अप्रयुक्त शेष राशि संस्थान के पास है, तो पत्रों और अ.शा. पत्रों द्वारा एसआईआरडी/ईटीसी के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।”

पाँच. अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच

वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मनरेगा के तहत 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन में कटौती के बाद अब ग्रामीण विकास विभाग हेतु 2022-23 के लिए बजट अनुमान 1,40,944.29 करोड़ रुपये के बजाय 1,35,944.29 करोड़ रुपए है।

5.2 समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि संशोधित अनुमान चरण में 1,53,558.07 करोड़ का बजट दिया गया था तो यह बजट अनुमान 2022-23 में कितना है, ग्रामीण विकास विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया :-

“डीएवाई-एनआरएलएम :- डीएवाई-एनआरएलएम के लिए संशोधित अनुमान 2020-21 में 11709.61 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम की कार्यक्रम आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2022-23 के बजट अनुमान में 13336.42 करोड़ रुपये के प्रावधान को पर्याप्त बताया गया है।

पीएमएवाई-जी :- वर्ष 2022-23 के लिए मांग किया गया बजट अनुमान 20,000.00 करोड़ रुपये है (जो 2021-22 की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से 2.5% अधिक है)। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 52,78,547 मकानों के निर्माण का लक्ष्य है। भारत सरकार की कुल लागत 48,422.00 करोड़ रुपये (ब्याज लागत सहित) है। बजट अनुमान और भारत सरकार की लागत के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए, मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 28422 करोड़ रुपये के बजटेतर संसाधन (ईबीआर) सहायता को मंजूरी दी है, यद्यपि यह बजटीय विवरण में परिलक्षित नहीं हुआ है।

एसपीएमआरएम :- एसपीएमआरएम के तहत, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1500 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है, तथापि, बजट अनुमान चरण में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए केवल 550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चूंकि इस मिशन का कार्यान्वयन अब अगले चरण में है, जब परियोजना के निर्धारण, अनुमोदन और स्वीकृतियों के कार्य संपन्न हो चुके हैं, इस मिशन को कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होगी। यह मिशन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग के आधार पर संशोधित अनुमान चरण में और अधिक निधियों की मांग करेगा और मार्च 2023-2024 तक क्लस्टर विकास लक्ष्य को पूरा करेगा।

डीएवाई-एनआरएलएम :- जहां तक डीएवाई-एनआरएलएम का संबंध है, वर्ष 2022-23 के लिए कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2022-23

के बजट अनुमान में 13336.42 करोड़ रुपये के प्रावधान को पर्याप्त माना गया है।

बिंदु संख्या 21 और 22 के लिए मनरेगा - महात्मा गांधी नरेगा योजना मांग आधारित कार्यक्रम है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बजट अनुमान आकलन के समय इसके व्यय की वर्तमान गति को ध्यान में रखा गया है। तथापि, मंत्रालय जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार वित्त मंत्रालय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग करता है।

पीएमएवाई-जी - कच्चे माल की लागत में वृद्धि और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू पीएमएवाई-जी के तहत मकानों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को दी गई इकाई सहायता से संबंधित हैं और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के अनुसार, इकाई सहायता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जीबीएस और ईबीआर सहायता के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन के आधार पर 2022-23 के लिए बजट अनुमान का आकलन किया गया है।

एसपीएमआरएम :- एसपीएमआरएम के अंतर्गत, एक क्लस्टर के लिए अधिकतम पात्र अनिवार्य पूरक निधि (सीजीएफ) 30 करोड़ रुपये/15 करोड़ रुपये है और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन परिव्यय 5142.08 करोड़ रुपये मात्र है। इसलिए आवंटन में वृद्धि करना कठिन है।”

5.3 निधि आवंटन में मामूली वृद्धि के आलोक में योजनाओं के भविष्य के संदर्भ में डीओआरडी के रोडमैप के बारे में पूछे जाने पर, डीओआरडी ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया :-

“आरएसईटीआई - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य लागत मानदंडों पर विचार की जाने वाली वार्षिक कार्य योजना के आधार पर आरएसईटीआई के लिए निधियों की मांग की जाती है।

एमजीएनआरईजीए - अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों की अनुमेय सूची की नियमित रूप से समीक्षा करता है। ऐसी समीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उचित परामर्श के बाद की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ तालमेल से सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी घटक को महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक अनुमेय कार्य के रूप में शामिल किया गया है। बागवानी वृक्षारोपण कार्य के अंतर्गत ड्रैगन फ्रूट को एक कार्यकलाप के रूप में अनुमति दी गई है। मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क के लिए प्रावधान

करके नए कार्यकलापों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने व्यक्तिगत लाभार्थी आजीविका परियोजनाओं की बेहतर के लिए कई पहलों की शुरुआत की है और महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मोरिंगा, सड़क के किनारे वृक्षारोपण और अन्य व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यो सहित मोरिंगा, वृक्षारोपण/बागवानी सहित नर्सरी बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अनुरूप क्लस्टर स्तर की संघों (सीएलएफ) की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। निधियों के तालमेल के साथ वाटरशेड आधारित विकास कार्य और विभिन्न भू-आकृतिक, वर्षा, मृदा और ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर आयोजना महात्मा गांधी नरेगा योजना के निष्पादन के लिए सबसे सुदृढ़ तरीकों में से एक है जो न केवल आजीविका विकास के मुद्दों का समाधान करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन उपशमन का कार्य भी करता है। अब तक, 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.44 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए ये योजनाएं विकसित की गई हैं। जल्द ही सभी ग्राम पंचायतों के लिए इसे पूरा कर लिया जाएगा।

पीएमएवाई-जी - मंत्रालय भूमिहीनों के लिए भूमि के प्रावधान पर ध्यान दे रहा है। इसने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे ग्रामीण विकास और पंचायती राज के वरिष्ठ सचिवों के कार्यबल बनाएं और सरकारी भूमि या अन्या की पहचान करें ताकि सभी भूमिहीनों को मकान प्रदान किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, उन स्थानों पर उपलब्ध भूमि के बेहतर उपयोग के लिए बहुमंजिला मकानों का प्रावधान करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों में बदलाव किया गया है जहां भूमि की पहचान करना मुश्किल है।

आईएचएचएल, नल से जलापूर्ति, बिजली और गैस की आपूर्ति और अन्य तालमेल लाभ जैसी सभी आधारभूत सुविधाओं का तालमेल ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख दृष्टिकोणों में से एक है।

इसके अतिरिक्त, पीडब्ल्यूएल से अपात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए आवास+ माँड्यूल विकसित किया गया है ताकि और अधिक मकानों की स्वीकृति की जा सके।

निगरानी में सुधार लाने के लिए, जिला/कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा वास्तविक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र अधिकारी ऐप विकसित किया गया है। सामाजिक लेखा परीक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सहज ज्ञान युक्त डैशबोर्ड के माध्यम से क्षेत्र अधिकारियों के लिए विश्लेषणात्मक विवरण भी उपलब्ध कराया गया है।

एसपीएमआरएम :- जहां तक एसपीएमआरएम का संबंध है, मिशन की वास्तविक अवधि 2015-16 से 2019-20 तक थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वित्त मंत्रालय ने इस मिशन को एक वर्ष के लिए बढ़ाया था। तथापि, वर्तमान प्रगति के आकलन के आधार पर मिशन को परियोजना पूरा करने हेतु और तीन वर्षों (मार्च 2024 तक) की आवश्यकता होगी। वय्य वित्त समिति (ईएफसी) ने 26 अगस्त 2021 को हुई अपनी बैठक में इस योजना को बंद करने का सुझाव दिया है। मिशन के विस्तार की मांग के लिए एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया है, अंतर-मंत्रालयी परामर्श पूरा कर लिया गया है और अद्यतन मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत किया जा रहा है।

मंत्रालय का लक्ष्य वर्तमान मिशन कार्यकलापों को मार्च 2024 तक पूरा करना है, जैसा कि मंत्रिमंडल नोट में प्रस्तावित है।

चूंकि नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मिशन पर धीरे-धीरे उचित ध्यान दिया जा रहा है, मंत्रालय वर्तमान में एसपीएमआरएम-2 के रूप में 1000 अतिरिक्त क्लस्टरों की संभावना पर विचार-विमर्श कर रहा है। वर्तमान में विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।”

छह. योजनावार संवीक्षा

क . मनरेगा योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 को दिनांक 07 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया है।

इस अधिनियम का अधिदेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

1. अधिनियम का उद्देश्य :

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम मुहैया कराना जिससे निर्धारित गुणवत्ता लाभकारी परिसंपत्तियों का सृजन होगा।
- गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाना।
- सक्रिय रूप से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थाजनों को सुदृढ़ बनाना। (पीआरआई)

वित्तपोषण पद्धति

मनरेगा अधिनियम की धारा 22(1) और (2) में इस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं की वित्तपोषण पद्धति के बारे में बताया गया है। धारा 22 (1) के अनुसार केंद्र सरकार निम्नलिखित लागत को वहन करेगी:

(क) योजना के अंतर्गत अकुशल शारीरिक कार्य के लिए मजदूरी के भुगतान हेतु अपेक्षित राशि;

(ख) अनुसूची II के प्रावधानों के तहत कुशल और अर्धकुशल कामगारों को मजदूरी के भुगतान सहित योजना की तीन चौथाई तक की प्रमुख लागत;

(ग) प्रशासनिक खर्च के लिए योजना की कुल लागत का 6 प्रतिशत।

2. वित्तीय विश्लेषण

महात्मा गांधी नरेगा के तहत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में राज्यों द्वारा बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और व्यय निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	रिलीज की गई निधि	राज्यों द्वारा व्यय
1	2018-2019	55000.00	61830.09	61829.55	69618.59
2	2019-2020	60000.00	71001.81	71687.71	68265.97
3	2020-21	61500.00	1,11,500.00	1,11,170.86	1,11,443.26
4	2021-2022*	73000	98,000	77586.32	86,496.22

* 5.1.2022 की स्थिति के अनुसार

वित्तीय प्रगति:

संकेतक	वि .व. 2021- 2022*	वि .व. 2020- 2021	वि .व. 2019-2020	वि .व. 2018-2019
कुल व्यय (करोड़ में)	86,496.22	1,11,443.26	68,265.97	69,618.59
मजदूरी पर व्यय (करोड़ में)	58,357.35	78,073.44	48,847.94	47,172.55

*05.01.22 की स्थिति के अनुसार

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नरेगा वित्तीय वर्ष
2021-22 के दौरान वित्तीय प्रगति**

क्र . .सं	राज्य	वास्तविक व्यय			अन्य व्यय*	कुल वास्तविक व्यय
		अकुशल मजदूरी	सामग्री*	प्रशासनिक		
1.	आंध्र प्रदेश	478056.25	250465.06	9469,45	280.71	738271,47
2.	अरुणाचल प्रदेश	18524.69	12983.28	903.18	1.64	32412,79
3.	असम	106925.79	21961. 15	5841.17	0	134728.11
4.	बिहार	225368.71	270895.85	27896.19	2.78	524163.53
5.	छत्तीसगढ़	158584.31	71277.64	12062.66	0	241924.61
6.	गोवा	191.07	48.24	2.66	0.55	242,52
7.	गुजरात	82747.43	51920.71	3290.85	0.19	137959.18
8.	हरियाणा	29629.86	18071.56	737.55	0.03	48439
9.	हिमाचल प्रदेश	44452.16	29400.83	3089.87	0.43	76943,29
10.	जम्मू और कश्मीर	34803.22	15684.58	2142.29	0	52630.09
11.	झारखंड	172113.76	42139.35	5671.82	0	219924.93
12.	कर्नाटक	347568.61	115298.69	11862.66	3.85	474733,81
13.	केरल	153795.42	81256.59	8926.31	1.29	243979,61
14.	लद्दाख	1290	1114	275.43	0	2679,43
15.	मध्य प्रदेश	410405.58	197355.25	18238.52	3.3	626002.65
16.	महाराष्ट्र	92343.63	26818.4	7217.94	31.62	126411.59
17.	मणिपुर	48601.23	17947.68	1028.8	0	67577.71
18.	मेघालय	38668.08	23085.11	2324.14	0	64077.33
19.	मिजोरम	33721.77	2642.62	648.21	0	37012.6
20.	नागालैंड	10820.92	4335.31	66.66	0	15222.89

21.	ओडिशा	315214.07	68367.06	9492.31	0.23	393073.67
22.	पंजाब	60630.72	33059.95	1044.87	0.02	94735.56
23.	राजस्थान	475965.36	196164	37414.73	0	709544.09
24.	सिक्किम	4982.2	1788.24	230.19	0.01	7000.64
25.	तमिलनाडु	495653.02	227885.68	18456.18	0	741994.88
26.	तेलंगाना	190658.57	85457.54	8259.65	0	284375.76
27.	त्रिपुरा	50759.1	18432.07	4342.94	0.03	73534.14
28.	उत्तर प्रदेश	406821.69	142826.31	3793.49	0	553441.49
29.	उत्तराखंड	29656.31	12083.44	849.5	0.23	42589,48
30.	पश्चिम बंगाल	495370.78	335726.62	13211.55	52.6	844361.55
31.	अण्डमान और निकोबार	502.01	47.86	0	0	549.87
32.	लक्षद्वीप	0.27	0	0	0	0.27
33.	पुदुचेरी	1094.22	35.35	0	0	1129.57
34.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0
	कुल	5015920.81	2376576.02	218791.77	379.51	7611668.11

2.2 समिति द्वारा 2022-23 के दौरान दर्शाये गए वास्तविक व्यय और 73000 करोड़ रुपये के स्थिर बजट अनुमान के बारे में पूछे जाने पर डीओआरडी ने निम्नवत उत्तर दिया :-

“वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के लिए बजट भुगतान 73,000 करोड़ रुपए है। संशोधित अनुमान स्तर पर 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई गई है। इससे कुल आबंटन बढ़कर 98,000 करोड़ हो जाता है। जिसमें से अब तक 80139.81 करोड़ रुपए (81.11 प्रतिशत) का उपयोग कर लिया गया है। शेष निधियां बाकी बची अवधि में उपयोग की जाएंगी। महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है।”

2.3 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा के तहत आरई चरण में मांगी गई निधि की भारी वृद्धि अर्थात् 73,000 करोड़ रुपये के बीई से बढ़ाकर 98,000 करोड़ रुपये किए जाने का औचित्य सिद्ध करने के लिए कहे जाने पर डीओआरडी ने निम्नवत स्पष्टीकरण दिया :-

“महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज एक सतत प्रक्रिया है। बजट अनुमान के आकलन के समय व्यय की वर्तमान गति को ध्यान में रखा गया है। तथापि, मंत्रालय जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार वित्त मंत्रालय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग करता है। वर्तमान में संशोधित अनुमान स्तर पर 98,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है।”

2.4 चालू वित्तीय वर्ष की बची हुई कम अवधि के दौरान शेष राशि का पूरी तरह से उपयोग करने की डीओआरडी की योजना के बारे में पूछे जाने पर, डीओआरडी ने निम्नवत बताया:-

“महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित कार्यक्रम है। वर्तमान में स्वीकृत श्रम बजट अब तक 306.45 करोड़ है। क्षेत्र में कार्यों की मांग में बढ़ोतरी के अनुसार आज तक गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और केरल के श्रम बजट को पहले ही बढ़ा दिया गया है। मांग आधारित कार्यक्रम होने के कारण निधियों की आवश्यकता प्रत्याशित मांग पर आधारित होती है।”

3. वार्षिक कार्य निष्पादन की समीक्षा

स्वीकृत श्रम बजट की तुलना में सृजित किए गए कार्यदिवसों के संबंध में उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है:

सूचक	वि .व. 2021- 2022*	वि .व. 2020- 2021	वि .व. 2019-2020	वि .व. 2018-2019
अनुमोदित श्रम बजट (करोड़ में)	296.76	385.67	277.63	256.56
अब तक सृजित श्रम दिवस(करोड़ में)	277.3	389.13	265.35	267.96
कुल श्रम बजट का %	93.44	100.9	95.57	104.44
काम करने वाले परिवार (करोड़ में)	6.54	7.55	5.48	5.27
100 दिनों का मजदूरी रोजगार पूरा करने	24,01,727	71,98,748	40,60,463	52,59,502

वाले परिवारों की कुल संख्या				
कुल % में से महिलाओं का श्रमदिवस	54.25	53.19	54.78	54.59
प्रत्येक परिवार को दिए गए रोजगार का औसत दिन	42.41	51.52	48.4	50.88
पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या (लाख में)	64.44	85.94	74.67	90.22
एनआरएम व्यय का % (सावर्जनिक + व्यक्तिगत)	68.76	64.32	61.88	58.8
कृषि और कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का प्रतिशत	69.25	65.67	66.13	63.39

*05.01.22 की स्थिति के अनुसार

3.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान सृजित रोजगार

क्र. सं.	राज्य	परिवारों जॉब कार्ड जारी किए गए	परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया	सृजित श्रम दिवस					100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवार
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	महिलाएं	
1.	आंध्र प्रदेश	97.813	45.425	508.237	219.123	1439.742	2167.102	1241.048	3.481
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.771	2.289	0.019	76.729	6.816	83.564	36.463	0.002
3.	असम	54.873	19,358	20.129	70.167	387.226	477.522	221.514	0.088
4.	बिहार	189.3	32.55	119.5	12.99	941.483	1073.9	580.55	0.05

		07	3	01	4		78	4	
5.	छत्तीस गढ	40.59 6	23.14 2	74.72 2	283.5 02	435.566	793.79	395.61 8	0.39 2
6.	गोवा	0.344	0.027	0.016	0.151	0.293	0.46	0.351	0
7.	गुजरात	42.60 9	9.207	22.27 8	166.4 69	217.824	406.57 1	190.13 5	0.18 6
8.	हरिया णा	11.99	3.261	37.72 4	0	55.957	93.682	48.145	0.02 8
9.	हिमाच ल प्रदेश	13.85 4	5.664	57.03	17.90 5	141.682	216.61 7	132.90 4	0.06 3
1 0.	जम्मू और कश्मीर	12.39 8	3.95	6.877	13.01 8	135.51	155.40 5	47.287	0.04
1 1.	झारखंड	59.56 1	20.66 5	64.84 1	178.3 61	521.25	764.45	2343.9 39	0.3
1 2.	कर्नाटक	75.22 1	30.61 1	206.6 52	131.5 28	885.271	1223.4 51	610.51 3	0.20 3
1 3.	केरल	40.04	14.36	94.29 3	33.78 3	391.329	519.40 5	460.48 5	0.11 8
1 4.	लद्दाख	0.371	0.246	0	9.66	0.008	9.668	6.058	0.00 3
1 5.	मध्य प्रदेश	77.56 1	44.53 5	280.2 99	718.3 41	1204.139	2202.7 8	900.12 9	0.92 9
1 6.	महारा ष्ट्र	93.87 2	13.52 2	33.81 4	68.68	270.412	372.90 6	153.15 4	0.51 1
1 7.	मणिपुर	5.898	5.364	5.833	95.13 7	109.482	210.45 2	108.99 4	0.00 1
1 8.	मेघालय	6.235	14.27 8	1.195	150.2 89	13.613	165.09 7	80.439	0.08 8
1	मिजोर	2.081	2.087	0.023	140.0	1 .017	141.04	86.198	0

9.	म				02		2		
20.	नागालैंड	4.489	3.985	0.004	99.492	4.509	104.005	39.431	0
21.	ओडिशा	76.876	30.716	203.871	512.613	780.605	1497.089	689.793	2.414
22.	पंजाब	19.537	7.577	147.512	0.147	75.361	223.02	131.495	0.049
23.	राजस्थान	114.946	59.386	513.993	602.901	1382.786	2499.681	1639.52	1.47
24.	सिक्किम	0.866	0.582	1.097	9.46	11.685	22.242	11.395	0.011
25.	तमिलनाडु	89.686	64.262	685.101	33.211	1596.991	2315.303	1968.965	0.275
26.	तेलंगाणा	56.553	26.662	256.491	252.783	683.768	1193.043	691.154	2.27
27.	त्रिपुरा	6.518	5.734	39.667	136.43	91.365	267.461	126.939	0.2
28.	उत्तर प्रदेश	210.629	65.307	634.236	22.38	1340.112	1996.728	733.769	1.048
29.	उत्तराखण्ड	11.777	4.557	23.281	5.282	112.917	141.48	77.05	0.077
30.	पश्चिम बंगाल	139.733	67.098	640.441	197.278	1623.94324 61.662 1128.889 1.315	2461.662	1128.889	1.315
31.	अण्डमान और निकोबा	0.326	0.031	0	0	0.644	0.644	0.349	0

	र								
3 2.	लक्षद्वी प	0.08	0	0	0.005	0	0.005	0	0
3 3.	पुदुचेरी	0.73	0.328	1.462	0.01	3.3	4.772	4.187	0
3 4.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.035	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	1560. 176	616.7 69	4680. 639	4257. 831	14866.606	23805. 079	12886. 864	15.6 12

3.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत शुरू किए गए और पूर्णतः पूरे किए गए कार्यों की कुल संख्या के संबंध में, डीओआरडी ने बताया कि:-

"सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आज तक शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या 199.4 लाख है और पूरे किए गए कार्यों की संख्या 68.02 लाख है (स्रोत: एक नजर में 24/01/2022)।"

4. मजदूरी में लंबन - सामग्री घटक

4.2 डीओआरडी ने मजदूरी देयताओं और सामग्री हिस्सेदारी में लंबन के संबंध में निम्नानुसार लिखित जानकारी प्रस्तुत की है: -

दिनांक 24.01.2022 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मजदूरी देयताओं/लंबित मजदूरी का ब्यौरा निम्नानुसार है।

(रु लाख में)

क्र.सं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	लंबित एफटीओ		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य
1	अरुणाचल प्रदेश	0.45	536.63	534.06
2	असम	0.00	0.00	1552.73
3	गुजरात	0.00	3807.54	1349.42
4	हरियाणा	1927.95	0.00	492.36
5	हिमाचल प्रदेश	1483.49	0.00	6507.90
6	झारखंड	2864.79	7351.22	27701.57
7	केरल	7021.54	186.20	0.00
8	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	17468.68
9	मेघालय	0.00	0.00	444.17
10	मिजोरम	0.00	292.65	0.00
11	नागालैंड	0.00	1761.06	5588.74
12	ओडिशा	1742.90	11623.63	13664.03
13	पंजाब	0.00	22.47	4247.81
14	राजस्थान	0.00	11726.65	31577.56
15	तमिलनाडु	3161.86	0.00	0.00
16	तेलंगाना	4343.43	1514.24	0.00
17	त्रिपुरा	0.00	1251.17	0.00
18	उत्तर प्रदेश	0.00	1199.41	52714.27
19	उत्तराखंड	0.00	0.00	863.09
20	पश्चिम बंगाल	14675.10	4686.50	49479.70
21	पुदुचेरी	0.00	0.00	33.37
22	लद्दाख	0.00	331.29	59.12
कुल		37221.49	46290.68	214278.58

अब तक केंद्र द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सामग्री हिस्सेदारी जारी करने में लंबन का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	राज्य	लंबित देयता (सामग्री) (नरेगासॉफ्ट के अनुसार 75%)
1	आंध्र प्रदेश	100593.50
2	अरुणाचल प्रदेश	2736.11
3	असम	10558.76
4	बिहार	51265.57
5	छत्तीसगढ़	24246.18
6	गोवा	0.80
7	गुजरात	13054.67
8	हरियाणा	3243.56
9	हिमाचल प्रदेश	7924.08
10	जम्मू और कश्मीर	6072.14
11	झारखंड	23475.71
12	कर्नाटक	57127.50
13	केरल	11733.28
14	लद्दाख	82.67
15	मध्य प्रदेश	85722.29
16	महाराष्ट्र	7380.33
17	मणिपुर	10147.86
18	मेघालय	13409.29
19	मिजोरम	255.26
20	नागालैंड	2301.59
21	ओडिशा	24034.23
22	पंजाब	17605.81
23	राजस्थान	90073.47
24	सिक्किम	1039.87
25	तमिलनाडु	45015.50
26	तेलंगाना	8616.83

27	त्रिपुरा	2016.95
28	उत्तर प्रदेश	49240.22
29	उत्तराखंड	12020.42
30	पश्चिम बंगाल	118064.27
31	अंडमान और निकोबार	17.50
32	लक्षदीप	0.00
33	पुदुचेरी	3.44
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00
	कुल	799079.63

4.3 डीओआरडी द्वारा मजदूरी में लंबन को दूर करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में, डीओआरडी ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

"निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। निधियों की निर्मुक्ति राज्य के निष्पादन, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है। मंत्रालय ने पहले ही राज्यों को समय पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सचेत कर दिया है। मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट संशोधन, राज्य समीक्षा बैठकों जैसे सभी मंचों के माध्यम से उन्हें सचेत किया जा रहा है। इसके अलावा, सुगमता से मजदूरी भुगतान करने के लिए डीबीटी-एनई-एफएमएस भी अपनाया है।"

4.4 सामग्री घटक हिस्सेदारी में लंबन के मामले के संबंध में, सचिव, डीओआरडी ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की: -

"मैं बता रहा हूं। मैं तीनों बातों पर आऊंगा। आपने 40 परसेंट मटेरियल दिए जाने की बात कही है, मटेरियल में काफी बैकलॉग चलता है। यद्यपि हम लोग कोशिश करते हैं कि शुरू में प्रावधान पर्याप्त हो, लेकिन उतना नहीं मिल पाता है जिससे कि बैकलॉग और उस साल का पूरा का पूरा बजट हम मटेरियल का दे सके। जितनी राशि उपलब्ध रहती है और साल के शुरू के छः महीने में कोई कठिनाई नहीं होती है, लोगों के पास राशि भी उपलब्ध होती है। छः महीने का अंतराल जरूर आता है, लेकिन जैसे ही अगले साल आता है, जितना भी मटेरियल इयूज हैं, हम सब को लिक्विडेट कर देते हैं मतलब छः महीने का गैप ज्यादा से ज्यादा हो सकता है।"

लेकिन उससे ज्यादा गैप नहीं आता है। मैं आपको यह भी बता दूँ कि कई राज्यों ने, खास कर ओडिशा ने तो यह किया है कि राज्य अपनी तरफ से मटैरियल के लिए पैसा एडवांस में उपलब्ध करवा देता है तो वैसी स्थिति होने पर कुछ भी गैप नहीं रहेगा।

सर, पिछले सालों का मटैरियल का जो बैकलॉग है, मान लीजिए, वर्ष 2020-21 में मटैरियल के ड्यूज बचे, जब हम वर्ष 2021-22 में आए तो हम उन सारे ड्यूज को लिक्विडेट करते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है, उससे फिर साल में जो मटैरियल की रिक्वायरमेंट्स हैं, वह पूरा करते हैं।“

5. मजदूरी का भुगतान

5.2 मनरेगा के तहत भुगतान से संबंधित एक समसामयिक मुद्दे पर, सचिव, डीओआरडी ने समिति के समक्ष निम्नलिखित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की:-

“सर, आपने एससी/एसटी और ओबीसी के बारे में कहा था। हम लोग इन सबके लिए क्रमवार करते हैं। मैं समिति को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2020-21 तक यह व्यवस्था नहीं थी कि जो मजदूरी है, हम उसमें अलग-अलग मदों में रखें। वर्ष 2021-22 में यह व्यवस्था, संभवतः किसी संसदीय समिति की सिफारिश थी।

मेरी पूरी बात सुन लीजिए। यह व्यवस्था थी और तीनों के अलग-अलग मस्टर जारी करने की व्यवस्था की गई। समिति आज जिस बात को अनुभव कर रही है, हमारे मंत्रालय का भी वही अनुभव था। इसी तर्क को हमने वित्त मंत्रालय के सामने भी रखा था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय में वे किसी प्रकार का भेद नहीं कर सकते, तो हमने अंततोगत्वा, चूँकि कार्यक्रम चलाना था, इसे स्वीकार करना पड़ा। उसमें अब तीन अलग-अलग मस्टर निर्गत हो रहे थे।

एक एससी का, दूसरा एसटी का और बाकी का अलग-अलग मस्टर है तथा अलग-अलग ट्रांजेक्शन्स हैं। यद्यपि हम एक साथ जारी कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्लो सब को अलग-अलग टाइम पर हो रहा है। कई बार एससी, एसटी मद में लेबर बजट का जो प्रावधान था, वह पुनरीक्षण नहीं हो पाने के कारण या खत्म हो जाने के कारण उनको राशि नहीं जा पा रही थी। हमें जब इस बात की जानकारी मिली तो हमने वित्त मंत्रालय से यह कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करिए, जिसके माध्यम से आपकी बात भी रहे और इस प्रकार की जो कठिनाई हो रही है, उसका भी समाधान हो। उन्होंने अब यह व्यवस्था की है कि

एक ही फंड ट्रांसफर ऑर्डर के माध्यम से, यद्यपि बजट का स्रोत भले ही अलग-अलग हो, एक साथ ही जाए। कुछ सहूलियतें भी दी हैं और हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो कठिनाई है, वह उत्पन्न न हो।

सर, पहले एक मस्टर तीन फंड्स ट्रांसफर ऑर्डर्स के लिए था, अब उसको कम करके फिर से एक फंड ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया गया है तो अब यह कठिनाई नहीं रहेगी।”

6. मजदूरी में वृद्धि

6.2 मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि के संबंध में डीओआरडी के वर्तमान दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाने पर, डीओआरडी ने निम्नानुसार विस्तृत जानकारी प्रदान की: -

"ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी एनआरईजी अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रतिवर्ष महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है।

केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की धारा 6(1) के अनुसार अधिनियम के लाभार्थियों के लिए अधिसूचना द्वारा मजदूरी पर विनिर्दिष्ट करती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अकुशल कामगारों के लिए मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) कामगारों को महंगाई का मुआवजा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर को संशोधित करता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होती है। तथापि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर के अतिरिक्त मजदूरी प्रदान कर सकता है।

6.3 समान मजदूरी के संबंध में, डीओआरडी ने निम्नानुसार कहा: -

"ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रतिवर्ष महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है।

केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की धारा 6(1) के अनुसार अधिनियम के लाभार्थियों के लिए अधिसूचना

द्वारा मजदूरी दर विनिर्दिष्ट करती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अकुशल कामगारों के लिए मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) कामगारों को महंगाई का मुआवजा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दर को संशोधित करता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू होती है। तथापि, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर के अतिरिक्त मजदूरी प्रदान कर करता है।"

7. मनरेगा के अन्तर्गत नए कार्यों को शामिल करना

7.2 मनरेगा में 'अनुमेय कार्यों' के दायरे में आवश्यक कार्यों को शामिल करने के लिए डीओआरडी के विचार के बारे में पूछे जाने पर, निम्नलिखित उत्तर दिया गया:-

"महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 262 अनुमेय कार्य हैं। अनुमेय कार्यों की यह सूची अधिनियम के उपबंधों पर आधारित है। इस सूची को राज्यों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। मंत्रालय को जब कभी कोई अन्य कार्य करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो मंत्रालय जहां कहीं भी लागू हो उस विषय से संबंधित मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लेता है। हाल ही में, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से सीमा क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क को अनुसूची में जोड़ा गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वायर क्रेट (गैबियान), पत्थर, मिट्टी के स्पर और तटबंध का निर्माण/मरम्मत और रखरखाव अनुमेय कार्य हैं जो मुख्य रूप से बाढ़ नियंत्रण से संबंधित हैं।"

7.3 साक्ष्य के दौरान मनरेगा के तहत राजस्व सृजित करने वाले वृक्षारोपण के संबंध में पूछे जाने पर, सचिव ने निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की:-

“सर, इसके अलावा आपने जिक्र किया है कि सड़क के किनारे जो वृक्षारोपण हो रहा है, उसमें उपयोगी वृक्ष लगें। अभी जो मैंने आपको बताया कि सीएलएफ के माध्यम से हम कराने की सोच रहे हैं, उसके पीछे यही सोच है कि सड़क के किनारे जो वृक्षारोपण हो रहा है, वे उपयोगी वृक्ष हों। मोरिंगा का हमने दिया है, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन का दिया है। हम इसके साथ सीएलएफ के मेंबर्स को भी जोड़ रहे हैं ताकि उनकी मेन्टिनेंस हो। सामान्यतः जो वन विभाग करता है या फिर हॉर्टिकल्चर या सोशल फॉरेस्ट्री या मृदा संरक्षण वाले जो करते हैं, वे मेन्टिनेंस बिल्कुल नहीं करते हैं। इस

कारण से जो वृक्षारोपण होता है या तो वे वृक्ष मर जाते हैं या इस प्रकार के वृक्ष लगाते हैं, जहाँ जिसकी उपयोगिता नहीं रहती है, जैसा अभी आपने उल्लेख किया है। अब हम इसका कार्य करने का तरीका ही बदल रहे हैं। मुझे आशा है कि इससे परिणाम बढ़ेगा।”

7.4 मनरेगा के तहत वैयक्तिक लाभ कार्यों के बारे में बताते हुए सचिव ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की:-

“सर, आपने वैयक्तिक लाभ की योजनाओं के लक्ष्य के बारे में कहा। हमारी तरफ से कोई इसका लक्ष्य नहीं होता है। योजनाओं के चयन का अधिकार ग्राम सभा पर है। न तो हम केन्द्र स्तर से किसी प्रकार की, इस प्रकार की सीलिंग निर्धारित करते हैं, न राज्यों को इस प्रकार की सीमा निर्धारित करने का कोई हक है। कई राज्यों से हमने पूछा है, उनके मनरेगा कमिश्नर ने कई बार इस तरह के डायरेक्शन दिए हैं। हमने उनसे शो कॉज पूछा है कि क्यों न हम इस मनरेगा एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई करें? ये लोग ऐसा कर रहे हैं और यह गलत है।”

7.5 आगे विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए, सचिव, डीओआरडी ने बताया कि:-

“मैं एक बात समिति के समक्ष जरूर स्वीकार करना चाहूँगा कि कुछ बातों में हम विशेष बल देते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन या वैयक्तिगत लाभ की योजनाओं पर हम विशेष रूप से बल देते हैं कि इन योजनाओं को लीजिए। मनरेगा कार्यक्रम का उद्देश्य यह नहीं है कि हम साल दर साल उसको 100 दिन की मजदूरी पर निर्भर रखें। हमारा उद्देश्य यह है कि हम उसको इस लायक बना दें कि वह इससे हट जाए। यही हमारा उद्देश्य है और इसी दिशा में हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं।”

7.6 मनरेगा के तहत लैंडस्पर्स को अनुमत कार्यों के रूप में शामिल करने के पहलू पर, सचिव, डीओआरडी ने बताया कि:-

“यह लैंड स्पर्स का मामला है, जो आपने कहा है, सर, यह थोड़ा विवादास्पद विषय है, क्योंकि बाढ़ ढांचे अपरदन पर निर्भर करते हैं। वह टूटती हैं। अब मनरेगा के काम में, जिसका हम बाद में वेरिफिकेशन न कर सकें, वह हमारे लिए एक बहुत कठिनाई का सबब बनता है। हमने ऐसे मामलों में हमेशा होल्ड किया है।”

8. मस्टर रोल को प्रभावित करने वाले मुद्दे

8.2 मस्टर रोल भरने के एक प्रासंगिक मुद्दे के संबंध में, सचिव, डीओआरडी ने समिति के समक्ष निम्न अभिसाक्ष्य दिया: -

“सर, फोटोग्राफ में जियो टैग भी रहता है और टाइम भी रहता है कि आपने कब फोटो ली। ये सारी चीजें हमारे पास रहती हैं। टेक्निकल डिजाइन में आपकी जो शंका है, उसका हमने समाधान करने का काम किया था। इसके अलावा आपने दूसरा मुद्दा उठाया था कि 15 दिनों में मजदूरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहां पर मस्टर रोल की एंट्री नहीं हो पाती है। अभी तक सामान्यतः अधिकतर जगहों पर यह व्यवस्था थी कि मस्टर रोल उसने भरा और ब्लॉक में जाकर प्रोग्राम ऑफिसर के पास लाया और उसने भर दिया। ग्राम पंचायतों में इसे नहीं भरे जाने का मुख्य कारण यह है कि ग्राम पंचायतों में इंटरनेट नहीं है।

सर, इंटरनेट नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम में यह प्रावधान है कि लोग गांवों से भी भर सकते हैं। उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर किसी राज्य में इस प्रकार का स्पष्टीकरण न हो, तो हम इस बात को फिर से स्पष्ट कर देंगे। महाराष्ट्र के बाबत हम लोग इसको पुनः स्पष्ट कर देंगे, लेकिन हम भारत नेट के साथ मिलकर यह काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी पंचायतों में भारत नेट की उपलब्धता हो और उसके माध्यम से ग्राम स्तर से ही मस्टर रोल की एंट्री हो।”

9. फर्जी जॉब-कार्ड, भ्रष्टाचार के आरोप और निगरानी

9.2 अधिक संख्या में जॉब कार्ड जारी करने के संबंध में, सचिव, डीओआरडी ने समिति के समक्ष निम्नानुसार कहा:-

“मैं जॉब कार्ड की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। गत वित्तीय वर्ष में 191 लाख नए जॉब कार्ड्स निर्गत हुए हैं और इस वित्तीय वर्ष में 113.67 लाख जॉब कार्ड्स निर्गत हुए हैं।”

9.3 निगरानी के संबंध में, डीओआरडी ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

"डीपीसी द्वारा जिला स्तर पर कार्यों की वास्तविक निगरानी की जा रही है और जिला स्तर पर तैनात तकनीकी दल और राज्य स्तर पर आयुक्त, अपर आयुक्त, मुख्य/अधीक्षक अभियंता सहित अन्य अधिकारी नियमित रूप से कार्यों की निगरानी

करते हैं। निगरानी के परिणामों को प्रयोक्ता अनुकूल तरीके से दर्ज करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक क्षेत्र अधिकारी एपीपी विकसित किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे सौंपे गए कार्यों की निगरानी करें। केन्द्रीय स्तर पर संयुक्त सचिव (आरई), निदेशक (आरई) और यह दल क्षेत्र दौरों के दौरान कार्यों की वास्तविक रूप से निगरानी करते हैं, मध्यावधि समीक्षा बैठक, श्रम बचजट समीक्षा बैठकों और योजना के विभिन्न पहलुओं पर वास्तविक वीडियो कॉन्फेंसिंग जैसी बैठकों के माध्यम से विभिन्न प्रगति की समीक्षा करते हैं। क्षेत्र स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की निगरानी (एनआरएम) के माध्यम से भी निगरानी की जाती है। कार्य स्थल स्तर पर कार्यों की नियमित निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा एक ऐप “राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली” (एनएमएमएस) विकसित किया गया है जिसके माध्यम से कामगारों की उपस्थिति की दैनिक आधार पर निगरानी की जा सकती है।”

9.4 मनरेगा साइट पर वास्तविक मजदूरों की अनुपलब्धता के मुद्दे पर, सचिव, डीओआरडी ने समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

“मजदूरों की संख्या घट रही है और जिलों में आंकड़े ज्यादा दर्शाए जा रहे हैं, इस बात का उल्लेख किया है। यह कई जगहों पर, जो मशीन से काम करवा लेते हैं, उसके चलते होता है बाकी जितने लोग क्षेत्रीय स्तर से आते हैं, वह इस बात से अवगत है। हमने आपको अभी दो चीजें बताई हैं। नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम इसलिए लगाया है कि अगर हर दिन आपको उपस्थिति दर्ज करवानी हो तो आप मशीन कहां से दिखाएंगे। दूसरा यह है कि अगर ऑफिसर इंस्पेक्ट कर रहा है तो कम से कम कुछ तो आंख का पानी रखेंगे। यह काम राज्यों को भी करना है और केन्द्र को भी करना है। राज्यों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि योजना उनकी है। योजना का पूरा स्वरूप उन्होंने गठित किया है। दुर्भाग्यवश आज मुझे यह स्वीकार करते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि राज्य उस प्रकार की जिम्मेवारी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी केन्द्र ही करें, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन का जिम्मा उनका है। यह बहुत माकूल बात नहीं लगती है। यह फेडरल प्रिंसिपल्स के भी विरुद्ध है।”

9.5 भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, डीओआरडी का निर्णय निम्नानुसार है:-

“जब कभी भी मंत्रालय को महात्मा गांधी नरेगा में अनियमितताओं/भ्रष्टाचार और गबन आदि की शिकायतें मिलती हैं, तो शिकायतों के निर्णायक निपटान के लिए उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मंत्रालय गंभीर प्रकृति की शिकायतों के लिए राष्ट्रीय स्तर के

निगरानीकर्ता (एनएलएम) तैनात करता है और एनएलएम से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर एनएलएम की जांच रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के लिए राज्य से अनुरोध करता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं जिनमें जियो-टैगिंग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस), आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों की स्थापना तथा राज्यों में लोकपाल की नियुक्ति शामिल हैं। राज्यों की राज्य विशिष्ट समीक्षाएं भी समय-समय पर की जाती हैं। मंत्रालय के अधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता भी महात्मा गांधी नरेगा के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं।"

10. ओम्बड्समैन (लोकपाल) की नियुक्ति

10.2 ओम्बड्समैन की नियुक्ति न होने के प्रासंगिक मुद्दे पर, सचिव, डीओआरडी ने बताया कि:-

"मैं समिति के सामने यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि पिछले दो वर्षों से हम लोग लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और जहाँ यह संख्या करीब-करीब 100-125 के करीब होती थी, आज के दिन लगभग 300 पहुँच चुकी है और हमने राज्यों से यह भी कहा है कि अगर आप 80 प्रतिशत जिलों में लोकपाल बहाल नहीं करेंगे तो हम आपको अगले साल का लेबर बजट ही स्वीकृत नहीं करेंगे। थोड़ी-थोड़ी सख्ती हम लोग कर रहे हैं और आपने जैसा मागदर्शन दिया है, हम लोग और भी करेंगे।"

लोकपाल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

दिनांक 24.01.2022 तक लोक की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति			
क्र.सं.	राज्य का नाम	उन जिलों की संख्या जहां योजना चल रही है	नियुक्त लोकपाल
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	13	17
2	अरुणाचल प्रदेश	25	0
3	असम	32	30
4	बिहार	38	31
5	छत्तीसगढ़	28	16

6	गोवा	2	0
7	गुजरात	33	0
8	हरियाणा	22	4
9	हिमाचल प्रदेश	12	8
10	जम्मू और कश्मीर	22	8
11	झारखंड	24	19
12	कर्नाटक	31	25
13	केरल	14	10
14	लद्दाख	2	0
15	मध्य प्रदेश	51	16
16	महाराष्ट्र	34	20
17	मणिपुर	16	2
18	मेघालय	11	1
19	मिजोरम	11	6
20	नागालैंड	11	0
21	ओडिशा	30	25
22	पंजाब	22	0
23	राजस्थान	33	4
24	सिक्किम	4	1
25	तमिल नाडु	37	0
26	तेलंगाना	32	0
27	त्रिपुरा	8	7
28	उत्तर प्रदेश	75	29
29	उत्तराखंड	13	13
30	पश्चिम बंगाल	23	4
31	अण्डमान और निकोबार	3	0
32	लक्षद्वीप	1	0
33	पुदुचेरी	2	0
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	0
	कुल	716	296

शेष जिलों के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लोकपालों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, लोकपाल के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों की सूची:

- i. इस मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि लोकपाल के 80 प्रतिशत से अधिक पदों को नहीं भरा जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट को अधिकार प्राप्त समिति स्वीकार नहीं करेगी।
- ii. लोकपाल को सुगमता से शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग के लिए इस मंत्रालय ने एक लोकपाल ऐप्लिकेशन विकसित किया है।
- iii. लोकपाल के पद के लिए अनुभवी और गुणवत्तापूर्ण उम्मीदवारों की भर्ती सुनिश्चित करना। इस मंत्रालय ने सेटिंग शुल्क को 1000 रुपए प्रति सेटिंग (प्रति माह अधिकतम सीमा 20,000 रुपए) से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति सेटिंग कर दिया है, जिसमें प्रति माह अधिकतम सीमा 45,000 रुपए है।
- iv. विभिन्न जिलों में लोकपाल की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार भर्ती और निष्पादन की समीक्षा मध्यावधि समीक्षा बैठक, श्रम बजट समीक्षा बैठक में नियमित रूप से की जाती है।

11. दुर्घटना मुआवजा

दुर्घटना मुआवजे के भुगतान के संबंध में सचिव, डीओआरडी ने निम्नानुसार जानकारी दी:-

“यह बात सही है कि पहले यह राशि बीस हजार रुपये या पच्चीस हजार रुपये थी और आम आदमी बीमा योजना से लिंक किया गया था। अब प्रधान मंत्री बीमा सुरक्षा योजना से लिंक किया गया है और राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है।”

ख. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

1. योजना का नोबल विजन

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को 1 अप्रैल, 2016 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से सभी आवासहीन परिवारों और कच्चे तथा जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान का प्रावधान करके वर्ष 2024 तक “सभी को आवास” उपलब्ध कराना है। इस योजना में वर्ष 2016-17 से 2023-24 की अवधि के दौरान कुल 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य है, जिसमें चरण-1 (2016-17 से 2018-19) में 1 करोड़ मकानों और चरण-1। (2019-20 से 2023-24 तक) में 1.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया है।

पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएँ:

- मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रु. और पर्वतीय राज्यों/दुर्गम क्षेत्रों/आईएपी जिलों में 1,30,000 रु. की इकाई सहायता।
- इकाई सहायता राशि के अतिरिक्त मनरेगा के अंतर्गत अकुशल मजदूरी के लिए 90/95 श्रम दिवस और शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रूपए का प्रावधान।
- स्वास्थ्यवर्धक खाना बनाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र सहित मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर।
- वित्तीय संस्थानों से 70,000 रूपए का ऋण प्राप्त करने के लिए इच्छुक लाभार्थियों की सहायता करना।
- लाभार्थियों का निर्धारण एवं चयन आवास की कमी एवं सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी-2011) के आँकड़ों में अन्य सामाजिक वंचन मानदंडों और ग्राम सभा द्वारा सत्यापन पर आधारित है। लाभार्थियों के निर्धारण हेतु प्रक्रियाविधि बनाते समय सर्वाधिक जोर ग्राम सभाओं द्वारा प्राथमिकता सूचियों के सत्यापन पर दिया गया है। सत्यापन प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों का त्वरित और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर शिकायत निपटान हेतु एक मजबूत अपीलीय तंत्र बनाया गया है। अब तक, 4.04 करोड़ के समूह में से 1,36 करोड़ परिवारों को पक्का आवास होने, प्रवास, मृत्यु आदि के आधार पर ग्राम सभा द्वारा निरस्त कर दिया गया है और शेष परिवारों को अपीलीय कार्यवाही के समापन के बाद सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र पाया गया है।
- **कमजोर वर्गों के लिए निर्धारण:** न्यूनतम 60 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए और 15 प्रतिशत तक अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक संभन हो कम से कम 5 प्रतिशत लाभार्थी दिव्यांग व्यक्ति हों।

वित्तपोषण पद्धति:

- इस योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्यों द्वारा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर जहां केन्द्र और राज्यों द्वारा वित्त पोषण का पैटर्न 90:10 के अनुपात में है, के अलावा केन्द्र

तथा राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में अनुदान दिया जाता है। केन्द्र द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत निधियां प्रदान की जाती हैं।

- पीएमएवाई-जी के लिए वार्षिक बजट प्रावधानों में से पीएमएवाई-जी के अंतर्गत नए मकानों के निर्माण के लिए 95 प्रतिशत निर्धारित है। इसमें इस योजना का केन्द्र तथा राज्य स्तर पर संचालन करने के लिए 2 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय शामिल है। बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जैसी परिस्थितियों से पैदा होने वाली आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बजटीय आवंटन का शेष 5 प्रतिशत केन्द्र स्तर पर विशेष परियोजनाओं के लिए रख लिया जाता है।

पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 50% की 2 किस्तों में वित्तीय सहायता जारी की जाती है।

2. वित्तीय प्रगति

गत तीन वर्षों के दौरान वर्तमान और वित्तीय वर्ष में दिनांक 5.1.2022 तक सभी योजनाओं के लिए कुल आवंटित/जारी की गई निधियों/वित्तपोषण पद्धति का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधियां	रिलीज की गई निधियां	वित्तपोषण पद्धति (गैर पूर्वोत्तर राज्य)	पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्य एवं जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्त पोषण पद्धति	अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण
2016-17	15,000	16074.37	60:40	90:10	100:0
2017-18	23,000	29901.72*	60:40	90:10	100:0
2018-19	21,000	29986.91**	60:40	90:10	100:0
2019-20	19,000	28930.63***	60:40	90:10	100:0
2020-21	19,500	39268.96****	60:40	90:10	100:0
2021-22	19,500	13483.27 as on 5.1.2022	60:40	90:10	100:0

* इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों अर्थात नाबार्ड से ऋण से जारी किए गए 7329.43 करोड़ रुपए शामिल हैं।

** इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों अर्थात नाबार्ड से ऋण से जारी किए गए 10678.80 करोड़ रुपए शामिल हैं।

***इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों अर्थात नाबार्ड से ऋण से जारी किए गए 10811.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

**** इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों अर्थात नाबार्ड से ऋण से जारी किए गए 19999.82 करोड़ रुपए शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 5.1.2022 तक राज्य-वार सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के योजनाओं के लिए आवंटित/जारी की गई कल निधियां

(रुपए करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधियां	रिलीज की गई निधियां
2016-17	1600	1732.61
2017-18	2300	1980.95
2018-19	2100	411.49
2019-20	1880	1697.05
2021-21	1950	1926.57
2021-22	1950	1667.38 दिनांक 5.1.2022 की स्थिति के अनुसार

विगत तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वित्तीय वर्ष में 11.01.2021 तक योजना-वार कुल अप्रयुक्त शेष।

(रु. लाख में)	
की स्थिति के अनुसार	खर्च न की गई शेष राशि
31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	1733435.064
31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	972466.973
31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	898971.341
31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	10843.10
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	2020110.00

आज की तारीख तक (13.01.2022)*	1082920.87 (B5 रिपोर्ट अंतिम कॉलम)
*दिनांक 13.1.2022 को आवाससॉफ्ट पर दी गई जानकारी के अनुसार	

वित्तीय उपलब्धि

(रु. करोड़ में)

वर्ष	ब.अ. (करोड़ में)	सं.अ. (करोड़ में)	वास्तविक व्यय (करोड़ में)	उपलब्धि (आरई के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय रिलीज)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
2016-2017	15000	16078.60	16074.37	99.97%
2017-2018	23000	22832.31	22572.29 + 7329.43 करोड़ रु. ईबीआर	98.86%
2018-2019	21000	19600	19307.95 + 10678.80 करोड़ रु. ईबीआर	98.51%
2019-2020	19000	18455	18119.63 + 10811.00 करोड़ रु. ईबीआर	98.18%
2020-21	19500	19500	19269.14 + 19999.82 करोड़ रु. ईबीआर	98.81%
2021-22	19500	20389.84 [^]	13483.27 करोड़	69.14%

[^]पीएमएवाई-जी के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर 889.84 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई है जिससे नाबार्ड को ब्याज के भुगतान से संबंधित व्यय की पूर्ति की जा सके।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	उपयोग
1	अरुणाचल प्रदेश	47263.95	6623.27	2292.06
2	असम	1862904	725005.2	709478.7
3	बिहार	3241656	1925879	3001613
4	छत्तीसगढ	903434	696985.5	1071271
5	गोवा	1422.173	284.785	229.6
6	गुजरात	329295.4	235123.5	387165.7
7	हरियाणा	22687.06	15863.14	29083.32
8	हिमाचल प्रदेश	17359.63	13267.57	14623.5
9	जम्मू और कश्मीर	241427.2	134396.2	132454
10	झारखंड	1272469	995937.5	1532673
11	केरल	41353.63	12190.22	24832.57
12	मध्य प्रदेश	2406886	2000052	3010896
13	महाराष्ट्र	1174653	667855	1011992
14	मणिपुर	54469.55	23672.97	23165.25
15	मेघालय	88432.89	55354.08	50877.56
16	मिजोरम	28360.97	7667.28	8179.121
17	नागालैंड	34696.48	8989.793	7699.248
18	ओडिशा	2043818	1393999	2188150
19	पंजाब	30007.44	15913.8	28498.59
20	राजस्थान	1436906	978875.4	1522753
21	सिक्किम	1648.53	1312.927	1419.2
22	तमिलनाडु	597989.6	264582.7	435160.3
23	त्रिपुरा	251245.7	112981.9	128130.1
24	उत्तर प्रदेश	1934489	1966727	3025569
25	उत्तराखंड	17216.16	29462.33	27126.8
26	पश्चिम बंगाल	2806096	2510969	3953227
27	अण्डमान और निकोबार	1947.6	1917.395	1094.781
28	दादरा और नगर हवेली	8216.4	7158.68	8190.4
29	दमन और दीव	164.649	58.62	15.6
30	लक्षद्वीप	70.9202	70.92	59.7
31	पुदुचेरी	0	0	0
32	आंध्र प्रदेश	187171.9	75511.1	52901.79
33	कर्नाटक	170757	136951.1	114340.4

34	तेलंगाना	0	19078.87	0
	कुल	21256517	15040717	22505163

2.2 बजट अनुमान स्तर पर 19,500 करोड़ रुपये की तुलना में संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर निधि को बढ़ाकर 20,389.84 करोड़ रुपये करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर डीओआरडी ने निम्नानुसार उत्तर दिया है:-

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एमएच 2216 (नाबार्ड को ब्याज भुगतान) के तहत 2500.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और एमएच 2216 के तहत कुल आवश्यक 3815.00 करोड़ रुपये है। इस घाटे को योजना की आंतरिक बचत और अन्य योजनाओं से बचत से पूरा किया जा रहा है। इस प्रकार 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान को आरई चरण में बढ़ाकर 20,389.84 करोड़ रुपये कर दिया गया है।"

2.3 शेष अवधि में पूर्ण निधियों के उपयोग के संबंध में पूछे जाने पर, डीओआरडी ने उत्तर में निम्नानुसार कहा:-

"वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 20,389.84 करोड़ रुपये के अनुमोदित आरई में से पीएमएवाई-जी के तहत 13,485.02 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी थी।"

(करोड़ रुपए में राशि)

माह	शेष अवधि के दौरान जीबीएस का उपयोग करने की अनुमानित योजना
जनवरी, 2022	2854.00
फरवरी, 2022	1500.00
मार्च, 2022	2712.27

उपर्युक्त अनुमान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त/प्राप्त होने वाली, जो प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों में हैं, पर आधारित है।

2.4 वर्ष 2022-23 के लिए मांगी गई धनराशि की पर्याप्तता के संबंध में, डीओआरडी ने बताया है कि: -

"वर्ष 2022-23 के लिए मांगी गई बीई 20,000.00 करोड़ रुपये है (जो 2021-22 की जीबीएस से 2.5% अधिक है)। वित्त वर्ष 2022-23 में 52,78,547 मकान बनाने का लक्ष्य है। भारत सरकार की कुल लागत 48,422.00 करोड़ रुपये (ब्याज लागत सहित) है। 2022-23 के लिए मांगा गया बजट आवंटन 20,000.00 करोड़ रुपए है। पीएमएवाई-जी को मार्च, 2021 के बाद जारी रखने को मंजूरी देते समय मंत्रिमंडल ने 48,422.00 करोड़ रुपए की ईबीआर सहायता को मंजूरी दे दी जिसमें कहा गया कि ईबीआर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से पूरी योजना के वित्तपोषण के प्रावधान का निर्णय वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाएगा।"

3. वास्तविक उपलब्धि

वर्ष	पीएमएवाई-जी लक्ष्य (संख्या में)	बनाए गए मकान*			पूर्ण किए गए मकानों का %
		पीएमएवाई-जी	आईएवाई	कुल	
2016-17	4233011	2115	3212399	3214514	75.94
2017-18	3154507	3815997	638515	4454512	141.21
2018-19	2513662	4472404	260967	4733371	188.31
2019-20	5862199	2128855	62955	2191810	37.39
2020-21	4424610	3399513	127648	3527161	79.72
2021-22	6102372	3140141	104463	3244604	53.17
कुल	26290361	16959025	4406947	21365972	81.27

आवास सॉफ्ट की 13.01.2022 की रिपोर्ट के अनुसार

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य और उनकी उपलब्धि तथा लक्ष्यों की उपलब्धि में यदि कोई कमी हो तो उसके कारण।

वित्तीय	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक	कमी के कारण
---------	-----------------	----------	-------------

वर्ष		उपलब्धि*	
2016-17	4233011	3214514	राज्यों ने ग्राम सभा से सत्यापन कराने, प्राथमिकता सूची, कार्मिकों के प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी आवाससॉफ्ट पर अपलोड करने इत्यादि में समय लगाया। इसके अलावा, 2016-17 में पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन फ्रेमवर्क जारी करने में।
2017-18	3154507	4454512	शून्य
2018-19	2513662	4733371	शून्य
2019-20	5862199	2191810	शून्य
2020-21	4424610	3527161	महामारी (कोविड) के कारण कार्यान्वयन प्रभावित हुआ था
2021-22	6102372	3244604	वित्तीय वर्ष 2021-22 जारी है

* राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 13.01.2022 को आवास सॉफ्ट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इसमें आईएवाई मकान का निर्माण भी शामिल है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के बीच अंतर।

(i) वास्तविक लक्ष्य में अंतर:

वित्तीय वर्ष	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि*	अंतर
2016-17	4233011	3214514	1018497
2017-18	3154507	4454512	शून्य
2018-19	2513662	4733371	शून्य
2019-20	5862199	2191810	3670389
2020-21	4424610	3527161	897449
2021-22	6102372	3244604	2857768

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 13.01.2022 को आवास सॉफ्ट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इसमें आईएवाई मकान भी शामिल हैं।

4. योजना का विस्तार

योजना की समय सीमा बढ़ाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया:-

"दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 155.75 लाख मकानों का निर्माण किया जाना बाकी है और इसलिए मार्च, 2022 तक लक्ष्य हासिल नहीं किया जाएगा, जैसा पहले अनुमान लगाया गया था। इसकी मुख्य बाधाओं में से एक केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की साझोदारी पद्धति के अनुसार राज्य बजट की उपलब्धता थी और इसके साथ कुछ राज्यों में धीमी गति भी इसकी बाधाओं में से एक थी। इसके अतिरिक्त, आवास+ के नए सर्वेक्षण से लाभार्थियों की पहचान करना और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का आवंटन वृहत प्रक्रिया है। धीमी प्रगति के अन्य कारणों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने में देरी, मकानों की स्वीकृति में देरी, भारी बारिश, बाढ़, चक्रवात आदि जैसे प्राकृतिक आपदाएं तथा कोविड-19 का प्रभाव शामिल थे। यह अनुमान लगाया गया है कि 2.02 करोड़ मकान 15 अगस्त, 2022 की समय-सीमा तक निर्मित कर लिए जाएंगे। इसलिए 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस योजना को मार्च, 2024 तक जारी रखने की आवश्यकता थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के कुल लक्ष्य में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत शेष मकानों के निर्माण को पूरा करने के लिए अपनी 08 दिसंबर, 2021 की बैठक में योजना को मार्च, 2021 से बढ़ाकर मार्च, 2024 तक जारी रखने के लिए अनुमोदन दिया है।"

5. किस्त जारी करने में विलंब

5.2 राज्य के बराबर हिस्सा जारी नहीं करने और लंबित राशि के बारे में, ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया:-

"पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार राज्यों को केंद्रीय अंश के विरुद्ध राज्य अंश जारी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार उपार्जित ब्याज को भेजना अनिवार्य है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत जारी राज्य अंश का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	लंबित राज्य अंश
1	असम	83.2
2	बिहार	0
3	छत्तीसगढ़	562.54
4	गुजरात	0
5	हिमाचल प्रदेश	0
6	जम्मू और कश्मीर	13.71
7	झारखंड	0
8	मध्य प्रदेश	0
9	महाराष्ट्र	460.01
10	मणिपुर	0.61
11	मेघालय	4.91
12	नागालैंड	1.93
13	ओडिशा	0
14	पंजाब	0
15	राजस्थान	0
16	सिक्किम	0
17	तमिलनाडु	0
18	त्रिपुरा	0
19	उत्तर प्रदेश	0
20	कर्नाटक	0
21	उत्तराखंड	0

5.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से समय पर प्रस्तावों को पूरा न करने/प्रस्तुत न करने से जुड़े मुद्दों, जिनसे योजना की प्रगति में विलंब हो रहा है, से निपटने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की योजना के बारे में समिति द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया है: -

"समय-समय पर पीएमएवाई-जी की समीक्षा के लिए मंत्रालय स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न मानदंडों जैसे स्वीकृति, मकान निर्माण पूरा करना आदि के अनुसार योजना की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है। एक सप्ताह (स्वीकृति आदेश के जारी होने से 07 कार्य दिवस तक) के भीतर लाभार्थियों के पंजीकृत बैंक खातों में पहली किस्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिलीज की जाएगी।

मकानों को समय-सीमा में निर्मित करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। इसके लिए आवश्यक सहायता ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी जा रही है। मकान निर्माण की गति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम कार्यान्वयन में कुशलता के अनुरूप विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होती है। इसके अतिरिक्त निधि रिलीज करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पहली किस्त की सहायता की रिलीज से संबंधित पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क (एफएफआई) के सीआई 10.4 पर निधि रिलीज दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है और दिनांक 16 नवंबर, 2021 के पत्र सं. जे-11012/01/2019-आरएच के द्वारा परिचालित किया गया है। निधि रिलीज करने की संशोधित प्रणाली राज्यों को समय पर पर्याप्त निधियां देना सुनिश्चित करने में मदद करेगी।"

6. भूमिहीन लाभार्थियों के मुद्दे

6.2 भूमिहीन लाभार्थियों द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया है:-

“भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को मकानों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में सबसे योग्य लाभार्थियों में से एक हैं।

मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे को आवश्यकतानुसार हल करें और प्राथमिकता के आधार पर सभी भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करें, जिसमें सचिव (राजस्व) और पीएमएवाई-जी से संबंधित सचिव शामिल हों, ताकि पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से भूमि आवंटित की जा सके। इस मामले को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमि के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे सर्वाधिक भूमिहीन लाभार्थियों वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री (ग्रामीण विकास) के स्तर पर भी उठाया गया है।

इसके अतिरिक्त, आवाससॉफ्ट पर एक भूमिहीन मॉड्यूल को भी शामिल किया गया है, इस प्रकार यह पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को बेहतर निगरानी तंत्र अपनाने और समय पर भूमि के प्रावधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्राप्त करने के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं नीचे दी गई हैं

-

क. माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने अपने पत्र में (पत्र सं. एम-12018/2/2016-आरएच (एमएंडटी) दिनांक 10.08.2020) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) के माननीय मंत्री को एमओएसजेई की अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से संबंधित किसी भी उपयुक्त योजना के तहत सबसे योग्य भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भूमि प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराने का अनुरोध किया है।

ख. माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने अपने पत्र में (पत्र सं. एम-12018/2/2016-आरएच (एमएंडटी) दिनांक 10.08.2020) जनजाति मामले मंत्रालय के माननीय मंत्री को जनजाति मामले मंत्रालय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित किसी भी उपयुक्त योजना के तहत सबसे योग्य भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भूमि प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कराने का अनुरोध किया है।

ग. माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने अपने पत्रों (अ.शा. पत्र सं.13011/05/2013-एलआरडी, दिनांक 05 सितंबर, 2018 और अ.शा. जे-11014/01/2016-आरएच, दिनांक 30 अप्रैल, 2021) में माननीय मुख्यमंत्रियों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से अनुरोध किया था कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों की स्थिति का आकलन करें और भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्राप्त करने में तेजी लाने के लिए टास्क फोर्स समिति का गठन करें।

घ. माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने अपने पत्र (पत्र सं जे-11060/07/2018-आरएच (एम एंड टी), दिनांक 16 सितंबर 2019) में भूमिहीनों को सहायता के लिए बिहार राज्य की योजना का विवरण साझा किया।

ड. ग्रामीण विकास सचिव ने अपने पत्र (पत्र सं जे-11014/01/2016-आरएच, दिनांक 09 अप्रैल 2021) में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने में तेजी लाने के लिए टास्क फोर्स समिति का गठन करने का अनुरोध किया।

च. संयुक्त सचिव, ग्रामीण आवास ने अपने पत्र (अ.शा. पत्र सं. जे-11060/07/2018-आरएच (एम एंड टी) दिनांक 04 जनवरी, 2019) में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समयबद्ध तरीके से भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 22.01.2022 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी की संपूर्ण स्थायी प्रतीक्षा सूची में चिन्हित कुल 4,45,975 भूमिहीन लाभार्थियों में से अब तक केवल 2,05,800 (46%) को ही मकानों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की गई है। इस पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति नीचे दी गई है-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूमिहीन लाभार्थी	जिन लाभार्थियों को भूमि/सहायता प्रदान की गई	भूमि/सहायता अभी प्रदान की जानी है
1	अंडमान और निकोबार	740	740	0
2	आंध्र प्रदेश	1888	1888	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	50148	33347	16801
5	बिहार	27946	1124	26822
6	छत्तीसगढ़	6207	6144	63
7	दादरा और नगर हवेली	88	31	57
8	दमन और दीव	0	0	0
9	गोवा	66	0	66
10	गुजरात	7665	5549	2116
11	हरियाणा	9	0	9
12	हिमाचल प्रदेश	151	21	130
13	जम्मू और कश्मीर	127	0	127
14	झारखंड	3434	1839	1595
15	कर्नाटक	15436	11560	3876
16	केरल	7194	156	7038
17	लद्दाख	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0

19	मध्य प्रदेश	37463	32710	4753
20	महाराष्ट्र	105000	38326	66674
21	मणिपुर	0	0	0
22	मेघालय	876	600	276
23	मिजोरम	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0
25	ओडिशा	57932	9281	48651
26	पुदुचेरी	NA	NA	NA
27	पंजाब	204	156	48
28	राजस्थान	55405	45035	10370
29	सिक्किम	0	0	0
30	तमिलनाडु	50350	7049	43301
31	तेलंगाना	NA	NA	NA
32	त्रिपुरा	155	124	31
33	उत्तर प्रदेश	1993	1993	0
34	उत्तराखंड	539	539	0
35	पश्चिम बंगाल	14959	7588	7371
	कुल (राष्ट्रीय)	445975	205800	240175

7. प्रति इकाई सहायता में वृद्धि

7.2 जब मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के तहत प्रति यूनिट-सहायता में वृद्धि और पीएमएवाई-जी और पीएमएवाई-यू के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता में समानता लाने के बारे में ग्रामीण विकास विभाग के दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया तो ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया:-

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये (पूर्ववर्ती आईएवाई के अंतर्गत 70,000 रुपये से) और दुर्गम क्षेत्रों, आईएपी जिलों, पहाड़ी राज्यों (पूर्ववर्ती आईएवाई के अंतर्गत 75,000 रुपये से) में 1.30 लाख रुपये कर दी गई जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभाव में आई। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता के अतिरिक्त लाभार्थियों को मनरेगा योजना के तालमेल से मैदानी क्षेत्रों में 90 श्रम दिवस और दुर्गम क्षेत्रों, आईएपी जिलों, पहाड़ी राज्यों में 85 श्रम दिवसों की अकुशल श्रम

मजदूरी की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा योजना या निधि के अन्य समर्पित साधन के द्वारा शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है। मनरेगा योजना की सहायता से पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता के लिए संयुक्त सहायता दी जाती है जिसमें शौचालयों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में लगभग 1.50 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों, आईएपी जिलों और पहाड़ी राज्यों में 1.60 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ बिजली कनेक्शन (डीडीयूजीजेवाई/ऊर्जा मंत्रालय की सौभाग्य योजनाओं के तालमेल से), एलपीजी कनेक्शन (पेट्रोल एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पीएमयूवाई के तालमेल से), स्वच्छ पेयजल (पेयजल और स्वच्छता विभाग के जलजीवन मिशन के तालमेल से) जैसी मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं।

1 अप्रैल, 2016 से पीएमएवाई-जी में पूर्ववर्ती आवास योजना को पुनर्गठित करने के लिए 23 मार्च, 2016 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता निर्धारित की गई है। यही इकाई सहायता मार्च, 2019 के बाद भी योजना को जारी रखने के लिए आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक और मार्च, 2021 के बाद मार्च, 2024 तक योजना को जारी रखने के लिए 08 दिसंबर, 2021 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदनों द्वारा जारी रखी गई है। फिलहाल पीएमएवाई-जी के अंतर्गत इकाई सहायता को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्तमान में पीएमएवाई-जी और पीएमएवाई-यू के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता में एकरूपता लाने के लिए मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

8. वास्तविक लाभार्थियों का सत्यापन

8.2 ग्रामीण विकास विभाग ने अपने लिखित उत्तर में पात्र लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करने के लिए तंत्र की निम्नानुसार विस्तृत जानकारी दी है:-

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान आवास वंचन मानदंडों और एसईसीसी 2011 के अंतर्गत निर्धारित 13 बर्हिवेशन मानदंडों के आधार पर और ग्राम सभा तथा अपीलीय समिति प्रक्रिया द्वारा उचित सत्यापन के बाद की जाती है। बर्हिवेशन मानदंडों का उल्लेख पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क (एफएफआई) के अनुबंध-1 में भी किया गया है। लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को अंतिम रूप देने से पहले प्रणाली द्वारा सृजित 4.03 करोड़ परिवारों की सूचियों को

ग्राम सभा सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के लिए भेजा गया था। एसईसीसी 2011 डेटाबेस के आधार पर पीएमएवाई-जी के तहत 13 सूत्री बर्हिवेशन मानदंडों पर विचार करते हुए ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन के बाद और लाभार्थी द्वारा पहले से ही पक्के मकान का निर्माण/अन्य योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने; स्थायी प्रवास, बिना नामिती लाभार्थी की मृत्यु, अनिच्छुक लाभार्थी, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बसने आदि जैसे कारणों पर भी विचार किया गया जिससे स्थायी प्रतीक्षा सूची घटकर 2.15 करोड़ परिवार (कच्चे मकानों की संशोधित परिभाषा के आधार पर असम और त्रिपुरा राज्यों द्वारा पहचाने गए परिवारों सहित) हो गई है। पीएमएवाई-जी के पीडब्ल्यूएल से अपात्र परिवारों को हटाने की सुविधा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक रिमांड मॉड्यूल भी प्रदान किया गया है। एसईसीसी 2011 के अनुसार पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में मौजूद लाभार्थियों की पहचान उपर्युक्त पहचान प्रक्रिया का उपयोग करके की गई है। पहचाने गए लाभार्थियों का ब्यौरा भी आवाससॉफ्ट पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, आवास+ डेटाबेस परिवारों के संबंध में, मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसईसीसी 2011 के अनुसार पीएमएवाई-जी के एफएफआई में दिए गए बर्हिवेशन मानदंडों पर विचार करने और उन परिवारों को जिन्होंने पहले से ही पक्के मकान का निर्माण/अन्य योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर लिया है; स्थायी प्रवास, बिना नामिती लाभार्थी की मृत्यु, अनिच्छुक लाभार्थी, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बस जाने वाले परिवारों को भी शामिल न करने के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए थे। इस सर्वेक्षण के दौरान कुल 3.57 करोड़ परिवारों की पहचान की गई थी। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि वे एक बार फिर से आवास+ सूचियों की समीक्षा करें और उन परिवारों के नाम को बाहर करें जिन्हें सूची में गलत तरीके से शामिल कर लिया गया है और दिनांक 27.01.2022 तक कुल 2.75 करोड़ परिवार आवास+ सूचियों में संभावित लाभार्थियों के रूप में बचे हैं। लाभार्थियों के डेटा को आवास+ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आवाससॉफ्ट पर जोड़ा जाना आवश्यक था और इस सर्वेक्षण के दौरान मकान के स्थाइन की जियो-टैग की गई तस्वीर भी खींची गई थी।

चूंकि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत दर्ज किया गया डेटा आवास ऐप/आवास+ ऐप के माध्यम से और आवाससॉफ्ट पर है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का डेटा दर्ज करने के लिए इन ऐप/प्रणाली पर उपलब्ध क्षेत्रों के अनुसार पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के लिए सामान्य डेटा दर्ज करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल एप्लिकेशनों और आवाससॉफ्ट प्रणाली के कारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कोई

प्रोफार्मा/एप्लीकेशन प्रणाली नहीं है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए सभी अपेक्षित आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्मिकों की सुविधा के लिए माननीय संसद सदस्य इन प्रपत्रों का विकास कर सकते हैं। मंत्रालय किसी भी प्रत्येक प्रपत्र/आवेदन को स्वीकार नहीं करता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवारों के पंजीकरण से लेकर मकान निर्माण करने तक केवल आवाससॉफ्ट पर और आवास ऐप की सहायता से इस योजना को कार्यान्वित करना अपेक्षित है।"

- 8.3 छूटे हुए लाभार्थियों को शामिल किए जाने के बारे में सचिव , डी आर डी ओ ने बताया:
- “माननीय समिति इससे अवगत होगी कि सबसे पहले वर्ष 2011 में सोशियो एण्ड इकोनॉमिक कास्ट सेन्सस हुई, और जब उसके रिजल्ट्स आए तो उसमें से लगभग जो लोग, जिनके पास दो कमरे तक वाले कच्चे मकान थे या जो गृहविहीन थे, वैसे सभी लोगों को परमानेंट वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया। इस प्रकार की जो सूची बनी, उसमें 4 करोड़ 3 लाख लोग थे। फिर ग्राम सभा को उसके सत्यापन के लिए भेजा गया। ग्राम सभा ने सत्यापन करके जो आँकड़े दिए, उसके पश्चात् कुछ लोगों को सत्यापन पर शिकायत थी तो उनके लिए अपीलेंट फोरम का भी प्रावधान किया गया। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद 2 करोड़ 95 लाख की सूची बनी। योजना का जो 2 करोड़ 95 लाख का लक्ष्य आया था, वह इसी से आया था।
- निर्माण की स्वीकृति के समय जब हम उनके पास जाते हैं और अगर उस समय भी पक्का मकान मिला तो उन लोगों को हटाया गया। इस बीच अगर किसी की मृत्यु हो गई या उनका परमानेंट माइग्रेसन हो गया, वे वहां नहीं रह रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को वहां से हटाने की व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर, 2 करोड़ 15 लोग परमानेंट वेट लिस्ट में बचे। कई लोगों का दावा था कि हमें छोड़ दिया गया। इसके लिए फिर से आवास प्लस सर्वे की व्यवस्था की गई, जिसके लिए एक साल तीन महीने का समय दिया गया। जनवरी, 2018 से प्रारंभ हुआ था और मार्च, 2019 में बंद हुआ।
- सर, आपको यह जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि सेन्सस में कितने लोग छूटते हैं? केवल 5 प्रतिशत छूटते होंगे। 3 करोड़ 57 लाख लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया था। हमने कहा कि कम से कम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेन्सस के जिन मानकों पर हमने परमानेंट वेट लिस्ट बनाई थी, उन्हीं मानकों पर हम इन्हें तौलें। इनको तौलने के बाद राज्यों से कहा गया कि आप वेरिफिकेशन कीजिए। वेरिफिकेशन कराने के बाद 2 करोड़ 75 लाख लोग आए। हम योजना के अन्तर्गत सिर्फ 80 लाख लोगों को दे सकते हैं।

2 करोड़ 15 लाख तो वह हो गए, बाकी 2 करोड़ 95 लाख में से 80 लाख ही बचे हैं, जिन्हें हम इस स्वीकृत योजना के अन्दर नए दे सकते हैं। यह बिल्कुल अतार्किक बात है कि जो लोग छूटे हैं, उनकी संख्या उससे ज्यादा हो, जितने लोग सेन्सस में निकले थे। ऐसा होता ही नहीं है

9. छूटे हुए लाभार्थियों को शामिल किया जाना

9.2 पीएमएवाई-जी के दायरे में शामिल किए जाने से छूट गए पात्र लाभार्थियों के बारे में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया:

" केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 मार्च, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी के तहत विभिन्न चरणों में 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी दी और पहले चरण में, तीन साल की अवधि अर्थात् 2016-17 से 2018-19 तक, कुल 1.00 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाना था। इस योजना को मार्च, 2019 से मार्च, 2020 तक जारी रखा गया था, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की 19 फरवरी, 2019 को आयोजित बैठक में मंजूरी दी गई थी। लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को अंतिम रूप देने से पहले प्रणाली द्वारा सृजित 4.03 करोड़ परिवारों की सूचियों को ग्राम सभा सत्यापन और अपील प्रक्रिया के लिए भेजा गया था। एसईसीसी 2011 डेटाबेस के आधार पर पीएमएवाई-जी के तहत 13 सूत्रीय बर्हिवेशन मानदंडों पर विचार करते हुए ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन के बाद और लाभार्थी द्वारा पहले से ही पक्के मकान का निर्माण/अन्य योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने; स्थायी प्रवास, बिना नामिती लाभार्थी की मृत्यु, अनिच्छुक लाभार्थी, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बसने आदि जैसे कारणों पर भी विचार किया गया जिससे स्थायी प्रतीक्षा सूची घटकर 2.15 करोड़ परिवार (कच्चे मकानों की संशोधित परिभाषा के आधार पर असम और त्रिपुरा राज्यों द्वारा पहचाने गए परिवारों सहित) हो गई है। पीएमएवाई-जी के पीडब्ल्यूएल से अपात्र परिवारों को हटाने की सुविधा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक रिमांड मॉड्यूल भी प्रदान किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल करने हेतु छूटे हुए परिवारों की पहचान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक

सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण जनवरी 2018 में 31 मार्च 2018 की प्रारंभिक समय सीमा के साथ शुरू हुआ था, जिसे बाद में 04 बार 30 जून 2018, 30 सितंबर 2018, 30 नवंबर 2018 और अंत में 07 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान कुल 3.57 करोड़ परिवारों की पहचान की गई और मोबाइल एप्लिकेशन, आवास+ का उपयोग करके इन परिवारों को पंजीकृत किया गया। इस आवास+ डेटाबेस से अपात्र परिवारों को हटाने के बाद दिनांक 27.01.2022 तक कुल 2.75 करोड़ परिवार पात्र बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च, 2019 के बाद पीएमएवाई-जी की निरंतरता को मंजूरी देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ मकानों की अधिकतम सीमा के साथ अंतिम आवास+ सूची से अतिरिक्त पात्र परिवारों को पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल करने को मंजूरी दी थी, जहां पीडब्ल्यूएल समाप्त हो गया है और वित्त मंत्रालय के परामर्श और ग्रामीण विकास मंत्री के अनुमोदन से इन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्य आवंटित किया गया है।

चूंकि एसईसीसी 2011 डाटाबेस के आधार पर पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल 2.15 करोड़ मकान पात्र हैं, इसलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार शेष लक्षित मकानों 0.80 करोड़ (2.95-2.15) को आवास+ डाटाबेस से पूरा किया जाएगा। आवास+ डाटाबेस से 0.51 करोड़ मकानों का लक्ष्य पहले ही उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया जा चुका है जिन्होंने आवास+ संबंधी विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों, वित्त मंत्रालय की सहमति और ग्रामीण विकास मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर अपने मौजूदा एसईसीसी पीडब्ल्यूएल को पूरा कर दिया है।

पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ मकानों के कुल लक्ष्य की तुलना में दिनांक 27.01.2022 की स्थिति के अनुसार प्रगति निम्नानुसार है :-

- **आवंटित लक्ष्य** : 2.63 करोड़ मकान (कुल का 89.15%)
- **स्वीकृत मकान** : 2.17 करोड़ मकान (कुल का 73.56%)
- **पहली किस्त जारी की गई** : 2.06 करोड़ मकान (कुल का 69.83%)
- **दूसरी किस्त जारी की गई** : 1.85 करोड़ मकान (कुल का 62.71%)
- **निर्मित मकान** : 1.71 करोड़ मकान (कुल का 57.97%)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 08 दिसंबर 2021 को आयोजित अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी को मार्च 2021 से आगे मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है, ताकि 2.95 करोड़ मकानों को पूरा करने के कुल लक्ष्य में से शेष मकानों को पूरा किया जा सके।

9.3 नए लाभार्थियों को शामिल किए जाने के बारे में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया:

"ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल करने हेतु छोटे हुए परिवारों की पहचान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण जनवरी 2018 में 31 मार्च 2018 की प्रारंभिक समय सीमा के साथ शुरू हुआ था, जिसे बाद में 04 बार 30 जून 2018, 30 सितंबर 2018, 30 नवंबर 2018 और अंत में 07 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान कुल 3.57 करोड़ परिवारों की पहचान की गई और मोबाइल एप्लिकेशन, आवास+ का उपयोग करके इन परिवारों को पंजीकृत किया गया। इस आवास+ डेटाबेस से अपात्र परिवारों को हटाने के बाद दिनांक 27.01.2022 तक कुल 2.75 करोड़ परिवार पात्र बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2019 के बाद पीएमएवाई-जी की निरंतरता को मंजूरी देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता के आधार पर पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ मकानों की अधिकतम सीमा के साथ अंतिम आवास+ सूची से अतिरिक्त पात्र परिवारों को पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में शामिल करने को मंजूरी दी थी, जहां पीडब्ल्यूएल समाप्त हो गया है और वित्त मंत्रालय के परामर्श और ग्रामीण विकास मंत्री के अनुमोदन से इन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्य आवंटित किया गया है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत संभावित लाभार्थियों के रूप में अन्य छोटे हुए/नए परिवारों को जोड़ने के लिए वर्तमान में किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आवास+ विंडो को पुनः नहीं खोला गया है।

10. निर्माण की निगरानी और गुणवत्ता

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निष्पादन के साथ-साथ प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र अपनाया गया है। प्रदर्शन की निगरानी आवाससाफ्ट में वर्कफ्लो ईनेब्लड ट्रांसेक्शनल डेटा का उपयोग करते हुए प्रगति की रियल टाइम के माध्यम से की जाती है। आवाससाफ्ट में लेन-देन से उत्पन्न आंकड़ों को निष्पादन के विभिन्न पूर्व-निर्धारित पैरामीटरों की निगरानी के लिए प्रणाली द्वारा सृजित रिपोर्टों

के रूप में एकत्रित किया जाता है- पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देना, स्वीकृति, सहायता की किस्त जारी करना, राजकोष से केन्द्रीय और देय राज्य मिलान अंश को एसएनए में समय पर जमा करना, मकानों को समय पर पूरा करना आदि। केन्द्रीय टीमों (क्षेत्र अधिकारी और एनएलएम) द्वारा निरीक्षण, संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) द्वारा निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और राज्य स्तरीय पीएमयू के माध्यम से प्रक्रिया निगरानी तंत्र को अपनाया जाता है। सचिव (आरडी)/अपर सचिव (आरडी) और जेएस (आरएच), ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर समीक्षा द्वारा भी निगरानी की जाती है।

भारत सरकार के स्तर पर निगरानी सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के साथ-साथ क्षेत्र अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों और दिशा जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा जमीनी सत्यापन के माध्यम से की जाती है। लाभार्थियों के चयन से इस योजना का एंड टू एंड निष्पादन, लाभार्थियों को सहायता का संवितरण, निर्माण में प्रगति का सत्यापन, निधियों की रिलीज आदि कार्यप्रवाह सक्षम लेन-देन आधारित एमआईएस- आवाससॉफ्ट के माध्यम से आयोजित किया जाता है। जमीनी स्तर पर चरण-वार निर्माण की भौतिक प्रगति को निरीक्षकों द्वारा ली गई भू-संदर्भित, दिनांक और समय के माध्यम से सत्यापित और मॉनिटर की गई तस्वीरों या मोबाइल आधारित एप्लिकेशन "आवासएप" का उपयोग करके लाभार्थियों द्वारा ली गई तस्वीरों के माध्यम से की जाती है और आवाससॉफ्ट पर अपलोड की गई हैं। मंत्रालय के राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता और क्षेत्र अधिकारी भी अपने क्षेत्रीय दौरों के दौरान इस योजना के तहत अपनाई गई प्रगति और प्रक्रियाओं का आकलन करने के लिए पीएमएवाई-जी मकानों का दौरा करेंगे। माननीय संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तर पर दिशा समिति पीएमएवाई-जी की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी।

11. मकानों को पूरा करने में विलंब

11.2 विलंब को दूर करने के बारे में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया:

" मंत्रालय मार्च 2024 तक मकानों को पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की गति को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

- i. नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके मकान की मंजूरी और पूरा करने की सूक्ष्म निगरानी।
- ii. सचिव/अपर सचिव और संयुक्त सचिव स्तर पर निरंतर समीक्षा।

- iii. उन मकानों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जहां निधियों का तीसरी या दूसरी किस्त जारी की गई है
- iv. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों, खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों और देरी से निर्मित मकानों की अलग-अलग समीक्षा
- v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर निधियां जारी करना।
- (vi) पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई।
- vii. जिला/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को लक्ष्यों के आवंटन की निगरानी।"

ग. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

1. योजना का लक्ष्य

पीएमजीएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों को वर्ष भर काम आने वाली आवश्यक पुलियों और पुलों के साथ बारहमासी सड़क के माध्यम से सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी वाली और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों, मरूस्थलीय क्षेत्रों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों और गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा यथानिर्धारित विशेष चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों में 250 या उससे अधिक आबादी वाली बसावटों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना था ताकि इन बसावटों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षिक संस्थाओं तक और उनके उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराया जा सके। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों (गृह मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित) में 100 से अधिक जनसंख्या (जनगणना, 2001) वाली बसावटों को सड़क से जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। इस योजना में उन जिलों में मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन (निर्धारित मानकों तक) की भी व्यवस्था की गई है जिन जिलों में निर्दिष्ट जनसंख्या वाली सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है, हालांकि यह इस योजना (पीएमजीएसवाई-I) का मुख्य उद्देश्य नहीं था।

लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए परिवहन सेवा प्रदाता के रूप में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क का सुदृढीकरण करने के उद्देश्य से मई 2013 में पीएमजीएसवाई-II शुरू की गई थी। पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत कुल 50,000 कि.मी. सड़कों का

उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत कुल 49,885 कि.मी. लंबी सड़क स्वीकृत की गई है जिसमें से दिनांक 05 जनवरी, 2022 तक 45,872 कि.मी. लंबी सड़क बनाई जा चुकी है।

सीसीईए के अनुमोदन से वर्ष 2016 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश नामक 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 44 जिलों और उनसे सटे हुए कुछ जिलों में सड़क संपर्क में सुधार लाना था। सुरक्षा बलों द्वारा वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध कार्यवाही में सुगमता और निरंतरता के साथ-साथ क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करना इस योजना का दोहरा उद्देश्य है। इस परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि 04 वर्ष अर्थात् 2016-17 से 2019-20 तक थी।

गृह मंत्रालय ने 13 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों के लिए 1,169 कि.मी. लंबाई की 157 सड़कों और 24 लंबे पुलों के अतिरिक्त प्रस्ताव की 1,298 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ और अनुशंसा की है। राज्यों को यथाशीघ्र डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि इन प्रस्तावों को स्वीकृत किया जा सके।

बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस), उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 कि.मी. थ्रू-रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंक रूटों के सुदृढीकरण के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2019 में पीएमजीएवाई-III को स्वीकृति दी। योजना को मार्च 2025 तक पूरा किया जाना है। 17 राज्यों को कुल 72,881 कि.मी. लंबी सड़क स्वीकृत की जा चुकी है और 05 जनवरी, 2022 तक 21,820 कि.मी. लंबी सड़क बनाई जा चुकी है।

2. वास्तविक कार्य की प्रगति

योजना की शुरुआत से 05 जनवरी, 2022 तक 200 से अधिक, 500 से अधिक और 1000 से अधिक आबादी की श्रेणी की 1,55,554 बसावटों और 100-249 आबादी की श्रेणी की 5,820 बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जा चुका है और राज्य अंश सहित

2,66,549 करोड़ रुपये के व्यय से योजना के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के अंतर्गत कुल 6,83,495 कि.मी. लंबी सड़क बनाई जा चुकी है।

पीएमजीएसवाई-I, पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई-III के तहत स्वीकृत कार्य का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र -वार ब्योरा तथा इनकी वर्तमान स्थिति :

पीएमजीएसवाई-I

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़क लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत पुल कार्यों की संख्या	पूर्ण सड़क कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए पुल कार्यों की संख्या	पूर्ण की गई सड़क लंबाई (कि.मी.)	शेष सड़क लंबाई (कि.मी.)
1	अण्डमान और निकोबार	67	103.284	0	23	0	41.502	60.974
2	आंध्र प्रदेश	4,439	13,769.216	255	4,394	242	13,188.625	148.776
3	अरुणाचल प्रदेश	1,309	13,836.062	230	1,018	93	11,467.192	2,361.329
4	असम	8,381	26,987.246	1,346	8,052	1107	26,683.692	168.326
5	बिहार	17,608	55,201.905	1,215	17,124	868	52,134.781	1,220.740
6	छत्तीसगढ़	7,825	34,671.882	348	7,383	328	32,084.685	1,435.157
7	गोवा	70	155.850	0	70	0	155.330	0.000
8	गुजरात	4,413	11,535.324	48	4,413	47	11,397.033	0.000
9	हरियाणा	426	4,572.101	0	426	0	4,565.224	0.000
10	हिमाचल प्रदेश	3,467	20,608.068	103	3,101	75	18,783.654	1,532.176
11	जम्मू और कश्मीर	3,099	18,394.790	234	2,295	136	15,314.369	2,824.397
12	झारखंड	7,237	25,550.194	499	7,034	430	24,530.771	404.565
13	कर्नाटक	3,277	16,359.367	36	3,277	36	16,357.155	0.000
14	केरल	1,374	3,308.373	1	1,346	1	3,202.371	78.619
15	लद्दाख	129	1,128.115	2	106	2	834.655	277.295
16	मध्य	18,951	75,952.096	658	18,896	559	72,885.231	131.927

	प्रदेश							
17	महाराष्ट्र	5,610	24,782.813	685	5,545	645	24,009.705	208.405
18	मणिपुर	1,858	11,347.940	208	1,609	67	8,997.519	2,343.344
19	मेघालय	1,080	4,265.233	100	769	41	3,146.486	1,113.854
20	मिजोरम	345	4,288.482	0	245	0	3,889.795	384.759
21	नागालैंड	343	4,154.450	48	310	15	3,982.930	171.520
22	उड़ीसा	15,829	61,134.734	528	15,590	452	58,423.021	345.744
23	पंजाब	1,050	6,937.212	0	1,050	0	6,912.435	0.000
24	राजस्थान	16,804	66,045.983	26	16,802	25	63,762.169	10.500
25	सिक्किम	961	4,794.500	100	825	30	4,234.083	506.506
26	तमिलनाडु	7,678	16,319.534	97	7,678	97	16,168.399	0.000
27	तेलंगाना	2,924	10,191.857	284	2,876	267	9,773.552	204.003
28	त्रिपुरा	1,364	4,937.618	70	1,299	48	4,540.178	227.999
29	उत्तर प्रदेश	17,576	50,324.730	0	17,572	0	49,420.315	11.475
30	उत्तराखंड	2,300	19,376.954	362	1,622	103	16,628.706	2,585.683
31	पश्चिम बंगाल	7,010	34,563.358	37	6,723	10	33,787.212	479.497
	कुल	164,804	645,599.271	7,520	159,473	5724	611,302.775	19,237.570

पीएमजीएसवाई-II

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़क लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत पुल कार्यों की संख्या	पूर्ण सड़क कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए पुल कार्यों की संख्या	पूर्ण की गई सड़क लंबाई (कि.मी.)	शेष सड़क लंबाई (कि.मी.)
1	अण्डमान और निकोबार	48	96.662	0	0	0	0.000	96.662
2	आंध्र प्रदेश	174	1,330.953	2	173	2	1,283.441	6.980
3	अरुणाचल प्रदेश	80	550.910	7	23	2	192.750	357.960
4	असम	251	1,724.352	66	130	29	1,705.891	18.461

5	बिहार	345	2,456.473	103	250	9	2,128.413	321.104
6	छत्तीसगढ	179	2,240.705	0	177	0	2,189.839	10.700
7	गुजरात	109	1,180.310	40	109	39	1,171.810	0.000
8	हरियाणा	88	1,042.239	18	88	18	1015.738	0.000
9	हिमाचल प्रदेश	112	1,251.161	1	28	1	660.198	588.982
10	जम्मू और कश्मीर	123	683.550	7	26	2	456.668	226.065
11	झारखंड	165	1,641.810	6	144	2	1,566.923	67.401
12	कर्नाटक	314	2,241.178	1	314	1	2,218.163	0.000
13	केरल	149	582.888	3	132	1	534.808	43.352
14	लद्दाख	13	79.330	1	4	0	55.782	23.550
15	मध्य प्रदेश	374	4,984.497	245	361	222	4,874.422	31.909
16	महाराष्ट्र	385	2,618.906	108	382	108	2,585.411	2.630
17	मणिपुर	55	325.000	3	2	0	61.600	263.400
18	मेघालय	94	489.960	12	17	1	241.420	248.493
19	मिजोरम	6	194.250	0	0	0	35.000	159.250
20	नागालैंड	13	227.600	5	0	0	6.000	221.600
21	ओडिशा	636	3,672.386	30	573	22	3,613.313	40.790
22	पुदुचेरी	45	106.125	0	0	0	0.000	106.125
23	पंजाब	123	1,342.820	7	123	7	1,330.795	0.000
24	राजस्थान	401	3,464.263	6	401	6	3,468.627	0.000
25	सिक्किम	34	120.992	0	6	0	36.820	83.992
26	तमिलनाडु	860	2,940.416	34	859	34	2,936.465	1.000
27	तेलंगाना	114	944.075	17	114	16	896.021	0.000
28	त्रिपुरा	42	307.233	1	2	0	115.512	191.721
29	उत्तर प्रदेश	963	7,614.283	2	963	2	7,508.666	0.000
30	उत्तराखंड	112	905.830	7	45	0	771.271	133.024
31	पश्चिम बंगाल	293	2,523.808	23	183	1	2,360.902	158.337
	कुल	6,700	49,884.965	765	5,629	535	46,022.669	3,403.488

पीएमजीएसवाई-III

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़क लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत पुल कार्यों की संख्या	पूर्ण सड़क कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए पुल कार्यों की संख्या	पूर्ण की गई सड़क लंबाई (कि.मी.)	शेष सड़क लंबाई (कि.मी.)
1	आंध्र प्रदेश	299	2,314.380	2	43	0	586.266	1,722.108
2	असम	429	2,759.715	0	41	0	1,228.985	1,529.065
3	बिहार	169	1,390.308	39	0	0	0.000	1,390.308
4	छत्तीसगढ़	535	5,611.612	28	164	1	4,485.924	1,122.445
5	गुजरात	304	3,015.368	0	15	0	514.329	2,499.745
6	हरियाणा	203	1,905.883	0	80	0	1,436.535	460.671
7	झारखंड	108	979.351	0	0	0	0.000	979.351
8	कर्नाटक	794	5,401.933	101	114	5	1,906.637	3,485.160
9	केरल	143	686.232	0	0	0	1.705	684.527
10	मध्य प्रदेश	986	11,390.562	340	203	49	5,159.444	6,209.102
11	महाराष्ट्र	430	2,925.922	0	0	0	172.020	2,753.902
12	ओडिशा	985	6,478.055	71	11	0	736.498	5,742.086
13	पंजाब	206	2,083.993	16	1	0	136.546	1,947.452
14	राजस्थान	611	5,821.363	6	371	1	4,470.885	1,313.823
15	तमिलनाडु	880	3,198.09	0	377	0	1,689.323	1,497.499
16	तेलंगाना	356	2,395.843	100	21	0	539.173	1,853.415
17	उत्तर प्रदेश	2,534	18,770.167	5	50	0	775.807	17,991.386
	कुल	9,972	77,128.696	708	1,491	56	23,840.077	53,182.045

आरसीपीएलडब्ल्यूईए

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़क लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत पुल कार्यों की संख्या	पूर्ण सड़क कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए पुल कार्यों की संख्या	पूर्ण की गई सड़क लंबाई (कि.मी.)	शेष सड़क लंबाई (कि.मी.)
1	आंध्र प्रदेश	192	1,533.401	34	84	10	757.656	762.946
2	बिहार	125	1,816.820	69	49	19	1,112.322	695.556
3	छत्तीसगढ़	291	2,479.025	25	91	7	1,296.780	1,175.670
4	झारखंड	238	1,976.678	167	47	58	758.993	1,216.012

5	मध्य प्रदेश	6	80.450	14	1	10	41.350	38.100	
6	महाराष्ट्र	46	619.676	108	5	14	75.710	543.966	
7	ओडिशा	48	485.858	2	23	0	302.915	182.137	
8	तेलंगाना	59	698.115	33	3	9	261.633	435.732	
9	उत्तर प्रदेश	25	541.300	1	1	14	2	303.525	237.300
	कुल	1,030	10,231.323	463	317	129	4,910.884	5,287.419	

"जैसा कि देखा जा सकता है कि पीएमजीएसवाई-1 और II दोनों के अंतर्गत पर्याप्त कार्य पूरे कर लिए गए हैं और लंबित कार्य मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में हैं। कठिन स्थलाकृति और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण, कार्यों की प्रगति वांछित स्तर तक नहीं रही है। तथापि, राज्यों से कहा गया है कि वे पीएमजीएसवाई-1 और II के सभी लंबित कार्यों को सितंबर, 2022 तक पूरा कर लें, अन्यथा भविष्य की गतिविधियों को करने और पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत निधियों में से कोई भी व्यय करने के लिए सभी अनुसंधान कार्य को रोक दिया जाएगा। राज्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं जिनमें प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

2.2 पीएमजीएसवाई-1 को पूरा करने की अंतिम अवधि मार्च, 2019 थी जबकि एलडब्ल्यूई (100-249) श्रेणी के क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन की अवधि मार्च, 2020 थी पीएमजीएसवाई-II और आरसीपीएलडब्ल्यूईए को मार्च, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य था। तथापि, इन घटकों के अंतर्गत स्वीकृत अनेक परियोजनाएं कुछ राज्यों में लंबित थी, इसलिए सीसीए के अनुमोदन से पीएमजीएसवाई-1 और II को पूरा करने की समय-सीमा सितंबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है तथा आरसीपीएलडब्ल्यूईए के लिए 31 मार्च, 2023 तक का समय दिया गया है। पीएमजीएसवाई-III को मार्च, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

वर्ष 2015-16 से इस योजना को पूर्ण रूप से वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित के स्थान पर केन्द्र तथा राज्यों (पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों नामतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर जहां केन्द्र और राज्यों द्वारा वित्तपोषण का पद्धति 90:10 के अनुपात में है) के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तपोषण की जाने वाली योजना बना दिया गया है।"

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य और लक्ष्यों की प्राप्ति में कोई कमी, यदि कोई हो, के कारणों सहित उनकी उपलब्धि।

वर्ष	वास्तविक				वित्तीय [करोड़ रुपए में]	
	बसावटें [संख्या में]		लंबाई [किमी में]		लक्ष्य (बजट अनुमान)	उपलब्धि
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि		
2018-19	15,000	10,429	57,700	49,007.28	16,200	15,417.55
2019-20	9,721	4,149	50,097	27,304.58	19,000	14,017.48
2020-21	3,273	2,588	46,164	36,674.55	19,500	13,694.99
2021-22*	3,037	725	50,000	20,802.38	15,000	10,240.06

* 05.01.2021 की स्थिति के अनुसार

3. वित्तीय उपयोग

पिछले तीन वर्षों के संबंध में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय और वर्तमान वर्ष के संबंध में बजट अनुमानों को दर्शाने वाला विवरण

पूंजी और राजस्व व्यय को अलग से दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधन अनुमान	रिलीज	व्यय@
2018-19 [राजस्व]	19,000	15,500.00	15,417.55	23,370.02
2019-20 [राजस्व]	19,000	14,070.07	14,017.48	21,768.88
2020-21 [राजस्व]	19,500	13,706.23	13,694.99	23,935.01
2021-22 [राजस्व] (05.01.2022 तक)	15,000	14,000.00	10,240.06	18,450.86

@राज्य अंश सहित

3.2 आर ई चरण में निधियों में कमी के बारे में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया :

"व्यय अच्छी तरह से किया जाता रहा है और यह आशा की गई थी कि, 15,000 करोड़ रुपये के समग्र आवंटन का उपयोग किया जाएगा। दिनांक 24.01.2021 तक व्यय 10345.73 करोड़ रुपये था। यह अनुभव किया गया है कि, इस योजना के तहत मांग अक्टूबर के बाद बढ़ जाती है। पिछली प्रवृत्ति के आधार पर, 15,000 करोड़ रुपये की समस्त निधि का उपयोग कर लिया जाएगा। तथापि, 1000 करोड़ रुपए की कटौती संशोधित अनुमान चरण में की गई है।"

3.3 शेष अवधि में निधियों के पूर्ण उपयोग के बारे में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया :

"राज्यों को निधियां जारी करना उनकी उपयोग करने की क्षमता, उनके पास शेष कार्य, उपलब्ध व्यय न किए गए शेष पर निर्भर करता है। इसके अलावा, मानसून के बाद माह नवंबर से सड़क निर्माण की गति तेज हो जाती है और इस प्रकार अधिकतम सड़क निर्माण और निधि का उपयोग नवंबर के महीने में और उसके बाद होता है। दिनांक 29-01-2021 की स्थिति के अनुसार, 14,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में राज्यों को 10,447.89 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और यह आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पूरे बजट प्रावधानों का उपयोग कर लिया जाएगा।"

3.4 वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर निधि में कमी के बावजूद वर्ष 2022-23 के लिए मांगी गई निधि (बजट अनुमान) में वृद्धि के बारे में पूछे जाने पर ग्रामीण विकास विभाग ने बताया :

"2021-22 के लिए पीएमजीएसवाई का बजट अनुमान 15,000 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 14,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, 2021-22 के लिए बजट अनुमान 19,000 करोड़ रुपये है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीएमजीएसवाई-I और II के तहत स्वीकृत कार्यों को पूरा करने की समय सीमा सितंबर 2022 में समाप्त हो जाएगी, राज्य लंबित काम को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करेंगे, इसलिए पीएमजीएसवाई-I और II के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए अगले वर्ष निधि की अधिक मांग होगी। इसके अतिरिक्त पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत 77,129 किमी सड़क स्वीकृत की गई है। चूंकि पीएमजीएसवाई-III के तहत स्वीकृत सड़कों का निर्माण योजना के अन्य घटकों की सड़कों की तुलना में तेज गति से होता है इस तथ्य के कारण कि निर्माण गतिविधि पहले से मौजूद सड़क पर होती है, यह आशा की गई थी कि राज्य इस काम के लिए लगातार मांग करेंगे। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण राज्यों के पास व्यय न की गई कम शेष राशि उपलब्ध होगी, अतः निधियों की अधिक आवश्यकता होगी।"

4. निर्माण की गुणवत्ता

4.2 पीएमजीएसवाई के तहत गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ-साथ सड़क बनाने का काम समय पर पूरा करने के बारे में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया:

"इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों की राज्यों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों और पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों, वीडियो सम्मेलन के माध्यम से मासिक समीक्षा बैठकों और राज्यों के आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, बाधाओं की पहचान की जाती है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। निरंतर निगरानी के परिणामस्वरूप, वन विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण लंबित परियोजनाओं की संख्या में काफी कमी आई है। विभिन्न कारणों से अभी तक जिनकी संविदा नहीं प्रदान की गई थी ऐसी परियोजनाओं की संख्या में भी कमी आई है, क्योंकि राज्यों ने कड़ी निगरानी के कारण लंबित परियोजनाओं की संविदा प्रदान कर दी है। कई कार्य जो विभिन्न कारणों से राज्य के नियंत्रण से परे थे, उन्हें छोड़ दिया गया है। सीसीईए के निर्णय के अनुसार पीएमजीएसवाई-1 और II के कार्य अब सितंबर 2022 तक पूरे किए जा सकते हैं। इसके बाद राज्यों को सभी लंबित कार्यों को अपने संसाधनों से पूरा करना होगा। माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पत्राचारों और बैठकों के माध्यम से राज्यों को यह स्पष्ट कर दिया गया है।

जहां तक गुणवत्ता सुनिश्चित करने का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि सभी प्रकार के कार्यों की निगरानी के लिए त्रिस्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली बनाई गई है अर्थात् (i) प्रगतिशील कार्य (ii) पूर्ण कार्य (iii) अनुरक्षण कार्य। त्रिस्तरीय प्रणाली इस प्रकार है: -

- पहला स्तर: पीआईयू को निर्माण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के प्राथमिक और बुनियादी कार्य के साथ गुणवत्ता प्रबंधन के पहले स्तर के रूप में परिकल्पित किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के प्रथम स्तर के अंतर्गत, प्रत्येक पैकेज के लिए ठेकेदार द्वारा स्थापित स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की निगरानी करके और विनिर्दिष्ट व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर अनिवार्य परीक्षण किया जाना सुनिश्चित करके इन-हाउस तंत्र के माध्यम से गुणवत्ता मानकों को लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कभी-कभार किए जाने वाले परीक्षणों के लिए फील्ड प्रयोगशालाओं को बढ़ाने के लिए, राज्यों के जिलों में राज्य प्रयोगशालाओं के साथ-साथ जिला प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं।

- दूसरे स्तर के अंतर्गत एसआरआरडीए के नियंत्रणाधीन राज्य स्तर पर गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी करना निर्धारित किया गया है। एसआरआरडीए मुख्यालय के राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) को कार्यान्वयन इकाइयों से स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता

मॉनीटर (एसक्यूएम) की तैनाती करके कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करना अपेक्षित है। ये एसक्यूएम अपने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निरीक्षण करते हैं और ओएमएमएस में कार्यों के जियो-टैग तस्वीरों के साथ गुणवत्ता ग्रेडिंग का सार अपलोड करते हैं। ये राज्य गुणवत्ता मॉनीटर फील्ड प्रयोगशालाओं की स्थापना की भी जांच करते हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह प्रयास किया जाना है कि प्रत्येक सड़क कार्य का राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा कम से कम तीन बार निरीक्षण किया जाए। प्रत्येक कार्य के पहले दो निरीक्षण कार्य के निष्पादन के दौरान कम से कम तीन महीने के अंतराल पर किए जाने चाहिए और अंतिम निरीक्षण प्रत्येक काम के पूरा होने पर यथाशीघ्र किंतु अधिमानतः काम पूरा होने के 4 महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

- गुणवत्ता तंत्र का तीसरा स्तर एनआरआईए द्वारा केन्द्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र है। तीसरे स्तर की गुणवत्ता तंत्र का उद्देश्य राज्यों द्वारा निष्पादित सड़क कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के तहत सड़क कार्य मानकों के अनुरूप हैं और यह देखना है कि क्या राज्य में गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र प्रभावी है। इस स्तर की भूमिका "दोष खोजने" के बजाय राज्य कार्यान्वयन मशीनरी और फील्ड इंजीनियरों को मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस स्तर के अंतर्गत, सड़क कार्यों के निरीक्षण के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ इंजीनियरों को राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) के रूप में नियुक्त किया जाता है। निरीक्षण के लिए कार्यों का चयन यादृच्छिक रूप से किया जाता है। इस स्तर का मूल उद्देश्य राज्य के गुणवत्ता आश्वासन तंत्र में प्रणालीगत खामियों की पहचान करना और विनिर्दिष्टियों और सर्वोत्तम निर्माण पद्धतियों की बेहतर समझ के लिए फील्ड स्टाफ को निर्माण-स्थल पर मार्गदर्शन प्रदान करना है।

इसके अलावा गुणवत्ता में सुधार के लिए अलग-अलग प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए 15000 एनक्यूएम निरीक्षणों का लक्ष्य रखा गया है। राज्यों को उनके राज्य में दर्ज किए गए कार्य के असंतोषजनक प्रतिशत के बारे में सूचित किया जाता है और उन्हें लगातार इसमें सुधार करने के लिए कहा जाता है।

5. निविदा संबंधी मुद्दे

पीएमजीएसवाई में निविदा संबंधी मुद्दे के बारे में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया:

" यह सुनिश्चित करने हेतु कि सरकार के हित का नुकसान ना हो एस बी डी में में प्रावधान है कि *यदि सफल बोलीदाता की बोली संविदा के तहत किए जाने वाले कार्य की*

लागत के संबंध में इंजीनियर के अनुमान से बहुत अधिक असंतुलित है, तो नियोक्ता बोलीदाता से उन मूल्यों की आंतरिक स्थिरता को प्रदर्शित करने के लिए मात्रा के बिल की किसी भी या सभी मदों के लिए विस्तृत मूल्य विश्लेषण को प्रस्तुत करने की मांग सकता है। मूल्य विश्लेषण के मूल्यांकन के बाद, नियोक्ता के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि आईटीबी के खंड 30 में निर्धारित निष्पादन सुरक्षा की राशि को सफल बोलीदाता के व्यय पर एक स्तर तक बढ़ाया जाए जो संविदा के तहत सफल बोलीदाता द्वारा चूक की स्थिति में नियोक्ता को वित्तीय हानि से बचाने के लिए काफी हद तक पर्याप्त है। बढ़ी हुई निष्पादन सुरक्षा की राशि नियोक्ता के विवेकाधिकार से तय की जाएगी, जो बोलीदाता के लिए अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक होगी।

निविदा/खरीद प्रक्रिया राज्यों द्वारा की जाती है। यदि प्राप्त बोलियां एक निश्चित सीमा से नीचे हैं तो राज्यों को निष्पादन गारंटी में वृद्धि करने की मांग करने के लिए प्रावधान करना पड़ता है। इसके अलावा, यह ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वह 5 वर्षों की अवधि तक सड़क का रखरखाव करे। यह मंत्रालय रखरखाव कार्यों की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली (ई-मार्ग) कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें सभी भुगतान इस प्रणाली के माध्यम से किए जाने हैं। इससे दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान रखरखाव कार्यों में और अधिक सुधार होगा।"

6. निर्माण के बाद रखरखाव

6.2 सड़क के निर्माण के बाद रखरखाव के बारे में ग्रामीण विकास विभाग ने बताया :

" सड़कों का निर्माण, रखरखाव और मरम्मत आईआरसी 2014 द्वारा प्रकाशित सड़कों और पुलों के लिए ग्रामीण विकास विभाग की विनिर्दिष्टियों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। दोष सुधार दायित्व अवधि के दौरान सड़कों के अनुरक्षण पर अधिक ध्यान देने और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव की सेवा प्रदायगी को सुव्यवस्थित करने के उपाय के रूप में, मंत्रालय ने सभी राज्यों में पीएमजीएसवाई (ई-मार्ग) के तहत ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इन समस्याओं के लिए सरल लेकिन एक बेहद प्रभावी समाधान के रूप में 01 फरवरी, 2019 को ई-मार्ग, ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रिक रखरखाव, परिचालन में आया है। प्रदर्शन आधारित रखरखाव संविदा (पीबीएमसी) की अवधारणा पर

आधारित, ई-मार्ग स्मार्ट आईटी और संविदा प्रबंधन के साथ सरकारी विभागों में बुनियादी ढांचे के रखरखाव का समाधान कैसे किया जा सकता है इस संबंध में एक ब्लू-प्रिंट स्थापित करता है। पीबीएमसी एक प्रकार की संविदा है जिसमें ठेकेदार को भुगतान सड़क की न्यूनतम स्थिति, इसके क्रॉस ड्रेनेज कार्यों और यातायात परिसंपत्तियों के आधार पर किया जाता है जिन्हें उसके द्वारा पूरा किया जाना है। भुगतान इस बात पर आधारित होते हैं कि ठेकेदार संविदा में परिभाषित प्रदर्शन मानकों या सेवा स्तरों का अनुपालन कितनी अच्छी तरह से करता है, न कि कार्य के भाग के आधार पर। ई-मार्ग जीआईएस-आधारित एंटरप्राइज ई-गवर्नेंस समाधान है जो अधिकारियों, ठेकेदारों, बैंकों और आम जनता की सहायता है। यह एक संपूर्ण समाधान है, जो इंटरनेट के माध्यम से नियंत्रित भूमिका-आधारित पहुंच प्रदान करता है।

ई-मार्ग में सभी परिस्थितियों में पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए जो डीएलपी के तहत हैं ऐसी पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव से संबंधित भुगतान करने के लिए सड़कों के प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन पर जोर देता है। अब तक, सभी राज्य ई-मार्ग पर हैं। वर्तमान में पूरे भारत में 1,401 जिला पीआईयू और 13,151 ठेकेदारों द्वारा निरीक्षण करने, एकल क्लिक बिलों को तैयार करने और अनुमोदित करने और भुगतान करने के लिए ई-मार्ग का उपयोग किया जा रहा है, इस प्रकार यह मुख्य रूप से मानव द्वारा किए जाने वाले और थकाऊ कार्यों को आसान बनाता है। अब तक ई-मार्ग के माध्यम से 5,45,964 सड़क निरीक्षण किए गए हैं दिनांक 24.01.2022 की स्थिति के अनुसार 7,51,703 बिल जिनकी कुल राशि 1089.4 करोड़ रुपये है उनका भुगतान ई-मार्ग के माध्यम से सरलतापूर्वक किया गया है।

6.3 रखरखाव और भुगतान के मुद्दों के बारे में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने समिति के समक्ष बताया :

“पहली प्रणाली ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव से संबंधित है। जैसा कि मैंने बताया है, परफार्मेंस बेस्ड पेमेंट सिस्टम मेंटिनेंस के लिए यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक सड़क के रखरखाव की गुणवत्ता किस प्रकार की है, उसके आधार पर ही ठेकेदार को भुगतान होगा। इस प्रकार से यह काफी ऑब्जेक्टिव प्रणाली है और इसके चित्र संबंधित पदाधिकारियों द्वारा लेकर ऑनलाइन सिस्टम पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसका मूल्यांकन करके ही राशि उन्हें विमुक्त की जाती है। इन्हीं का जिक्र इसके अंतर्गत किया गया है और जियो टैग फोटोग्राफ भी रखा जाता है, ताकि मेंटिनेंस की स्थिति का थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी किया जा सके।”

7. नई प्रौद्योगिकी का उपयोग

7.2 नई प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने समिति के समक्ष बताया :

“15 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कें नई टेक्नोलॉजी योजनाओं के अंतर्गत पूरी की जाएंगी। वेस्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और मेंटिनेंस का काम शत-प्रतिशत ई-मार्ग प्रणाली के उपयोग से कराया जाएगा। इससे परफार्मेंस आधारित मेंटिनेंस को सुनिश्चित कराया जाता है।”

" पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नई और हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। सड़क निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग किया जाता है ताकि किफायती और तेजी से निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। राज्यों से कहा गया है कि वे वार्षिक प्रस्तावों की लंबाई का कम से कम 10% का प्रस्ताव किसी भी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, जिसके लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के विनिर्देश पहले से ही उपलब्ध हैं और वार्षिक प्रस्तावों की 5% की अतिरिक्त लंबाई के संबंध में प्रस्ताव आईआरसी द्वारा मान्यता प्राप्त सामग्री सहित किसी भी नई प्रौद्योगिकियों के साथ, जिसके लिए भारतीय सड़क कांग्रेस के विनिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, प्रस्तुत करें।

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे अनिवार्य रूप से नई प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित सड़क लंबाई के न्यूनतम 15% के भीतर अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग करके सड़कों का निर्माण करें।

पीएमजीएसवाई के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अपनाई जा रही विभिन्न नई प्रौद्योगिकियां भारत में ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पीएमजीएसवाई के तहत उपयोग की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां इस प्रकार हैं-

- **सेल फिल्ड कंक्रीट:** निर्माण की विधि कंक्रीट को लचीला बनाती है, और सतह में दरार नहीं पड़ती है। इसके अलावा, इसके लिए पारंपरिक फुटपाथ की तुलना में कम प्रारंभिक लागत की आवश्यकता होती है और आमतौर पर रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है।
- **पैनल युक्त सीमेंट कंक्रीट:** इस तकनीक का उपयोग करके किए गए फुटपाथ बहुत कम व्हील लोड तनाव पैदा करते हैं और इसके लिए कम

मोटाई की आवश्यकता होती है और यह बिटुमिनस फुटपाथ की तुलना में बहुत अधिक टिकाऊ है।

- **रोलर कंपेक्टेड कंक्रीट फुटपाथ:** यह विधि सरल, तेज और किफायती निर्माण को सक्षम बनाती है। इसके लिए न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है और इसका जीवनकाल लंबा होता है।

- **सीमेंट स्थिरीकरण:** विभिन्न प्रकार के स्टेबलाइजर्स का उपयोग करके मिट्टी का स्थिरीकरण करना मिट्टी के गुणों को बढ़ाने के लिए इंजीनियरों और डिजाइनरों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सामान्य विधि है। यह मिट्टी की ताकत, स्थिरता में सुधार करता है, जिससे रखरखाव लागत कम होता है।

- **टैराजाइम:** टैराजाइम पर्यावरण के अनुकूल सॉयल स्टेबलाइजर है जिसका उपयोग सड़क के बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया जाता है। यह उत्पाद इंजीनियरों को निर्माण लागत को कम करने के लिए एक साधन प्रदान करता है, इसके विपरीत सड़क संरचनाओं की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि करता है। टैराजाइम का उपयोग करना आसान है, पर्यावरण या इसके उपयोगकर्ताओं के लिए हानिकारक नहीं है और बेहतर और लंबे समय तक चलने वाली सड़क की गारंटी देता है।

- **कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी:** कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी उपलब्ध आईआरसी विनिर्देशों के साथ कोल्ड मिक्स बाइंडर का उपयोग करके बिटुमिनस सरफेसिंग कोर्स का प्रयोग करना है। इस प्रौद्योगिकी में बिटुमिनस को गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप ईंधन की बचत होती है और इस प्रकार पर्यावरण की रक्षा होती है। इस प्रक्रिया से निर्माण गतिविधि तेज हो जाएगी।

- **अपशिष्ट प्लास्टिक:** प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ग्रामीण सड़कों में हरित प्रौद्योगिकी और गैर-पारंपरिक सामग्रियों जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जियो-टैक्सटाइल, फलाई-ऐश, लोहा और तांबा स्लैग आदि के उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

- **सरफेस ड्रेसिंग:** यह एक निवारक उपचार है जो अच्छी स्थिति की सड़कों पर उपयोग किया जाता है, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके और

जीवनकाल को लंबा किया जा सके। ये कार्य टूट-फूट में सुधार करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क को सील और जलरोधी बनाएंगे, एक नई सतह प्रदान करेंगे।

• **पूर्ण गहराई सुधार (एफडीआर):** सीमेंट के साथ एफडीआर एक प्रकार की मृदा-सीमेंट और फुटपाथ सुधार विधि है जिसमें मौजूदा खराब कोलतार सतह और इसके अंतर्निहित आधार, उपआधार और/या सबग्रेड सामग्री को एक नई स्थिर आधार परत के रूप में पुनः उपयोग करना शामिल है। एफडीआर किफायती है और सड़क निर्माण परियोजनाओं में कार्बन अवशेष को कम करता है।"

घ दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

1. लक्ष्य और उद्देश्य

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार के लिए एक से अधिक आजीविकाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का पुनर्गठन करके जून, 2011 में शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2023-24 तक चरणबद्ध रूप में सभी ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचना है और महत्वपूर्ण रूप से उनकी आजीविकाओं को प्रभावी बनाना है। विशेषतौर पर इस मिशन का उद्देश्य 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 706 से अधिक जिलों, 6,891 ब्लॉकों, 2,53,576 ग्राम पंचायतों और लगभग 7,97,292 गांवों के 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को प्रभावित करना है।

डीएवाई-एनआरएलएम की रूपरेखा जिन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है वे इस प्रकार हैं :-

- ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी से उबरने के लिए लंबे समय तक निरंतर वित्तीय एवं आजीविका सहायता की आवश्यकता होती है;
- यदि गरीब ही सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के रूप में अन्य गरीबों को क्षमता विकास एवं सहायता प्रदान करें तो ऐसी सहायता सबसे ज्यादा प्रभावी और टिकाऊ रूप ले पाती है; और

- iii. गरीबों के स्थायी विकास के लिए कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों में एक से अधिक आजीविकाओं, परिसंपत्तियों और उनके साथ कौशलों पर आधारित आजीविकाओं की आवश्यकता होती है।

2. योजना के मुख्य बिन्दु

(क) स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से सर्वव्यापी सामाजिक एकजुटता

महिलाओं के स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के माध्यम से ग्रामीण गरीब परिवारों की सर्वव्यापी सामाजिक एकजुटता डीएवाई-एनआरएलएम की मूल विशेषता है। इस सर्वव्यापी सामाजिक एकजुटता के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:

- प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूह नेटवर्क में शामिल किए जाने की जरूरत है;
- एसईसीसी के आँकड़ों के अनुसार एक या अधिक अभावों वाले सभी परिवारों को स्व-सहायता समूहों में शामिल किया जाना है और इन परिवारों के निर्धारण का सत्यापन भागीदारीपूर्ण निर्धारण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए और यह निर्धारण अंततः ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए; और
- कमजोर और उपेक्षित परिवारों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विशेषरूप से अभावग्रस्त जनजाति समूह, अकेली रह रही महिलाओं और महिला मुखियाओं, विकलांगों, भूमिहीनों, प्रवासी कामगारों और अलग-थलग एवं दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के परिवारों का निर्धारण करने और उन्हें स्व-सहायता समूह नेटवर्क में एकजुट करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं।

(ख) स्व-सहायता समूहों के संघों को बढ़ावा

गांव, क्लस्टर और ब्लॉकों के स्तरों पर स्व-सहायता समूहों के संघों का निर्माण डीएवाई-एनआरएलएम की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है।

(ग) क्षमता निर्माण

स्व-सहायता समूहों और उनके संघों का निरंतर और गहन क्षमता विकास डीएवाई-एनआरएलएम की अहम विशेषता है। क्षमता विकास के अंतर्गत गरीबों की डीएवाई-एनआरएलएम-पूर्व संस्थाओं का भी निर्धारण और सुदृढीकरण किया जाता है। सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), कार्यकर्ताओं, प्रेरकों, बुक कीपरों, पैरा प्रोफेशनल का निर्धारण और

प्रशिक्षण क्षमता विकास प्रयासों का अभिन्न घटक है, जो स्व-सहायता समूहों और उनके संघों के निरंतर क्षमता विकास के प्रयास करते हैं और अन्य प्रकार की सामुदायिक सहायता प्रदान करते हैं।

घ) निरंतर उपलब्ध संसाधनों के रूप में सामुदायिक निधियां

डीएवाई-एनआरएलएम सामुदायिक संस्थाओं की संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को बढ़ावा देने और मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने हेतु उनके ट्रैक रिकॉर्ड का निर्माण करने के लिए स्थायी रूप से संसाधन बनाने के लिए धन प्रदान करता है।

इ) सार्वजनीन वित्तीय समावेशन

मुख्यतः प्रत्येक स्व-सहायता समूह को बैंकों से जोड़ने और उनके द्वारा बैंकों की ऋण सहित समस्त वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में मदद देकर वित्तीय समावेशन किया जाता है। इस मिशन में यह अपेक्षित है कि 5 से 7 वर्षों की अवधि में प्रत्येक स्व-सहायता समूह अनेक बार में कुल 10,00,000 रु. का बैंक ऋण इस प्रकार प्राप्त कर पाएगा कि प्रत्येक सदस्य के परिवार को कुल मिलाकर औसतन 1,00,000 रु. का ऋण प्राप्त हो पाए।

च) आजीविका को बढ़ावा

डीएवाई-एनआरएलएम में प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार के लिए विभिन्न आजीविकाएं उपलब्ध कराने और उनकी मौजूदा आजीविकाओं को स्थिर बनाने, बढ़ावा देने तथा उनमें विविधता लाने के प्रयास किए जाते हैं।

3 वास्तविक वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस मिशन के अंतर्गत चयनित प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुसार प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं..	संकेतक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य 21-	वित्तीय वर्ष 21-22 (दिसम्बर,	उपलब्धि का % (दिसम्बर,	संचयी प्रगति

			22	21 तक) में प्रगति	21 तक)	
1	शामिल जिलों की सं.	सं.	11	1	9%	706
2	शामिल ब्लॉकों की सं.	सं.	331	258	78%	6779
3	एसएचजी में शामिल परिवारों की सं.	लाख	87.4	46.9	54%	807
4	सहायता पाने वाले स्व-सहायता समूहों की सं.	लाख	7.8	4.41	57%	73.79
5	सहायता पाने वाले ग्राम संगठनों की सं.	सं.	66391	26512	40%	427946
6	सहायता पाने वाले क्लस्टर स्तरीय संघों की सं.	सं.	5239	2456	47%	32805
7	प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता	रुपए करोड़ में	6738	5354	79%	15830.53
8	बैंक ऋण पाने वाले एसएचजी की सं.	लाख	37.31	28.2	76%	
9	प्राप्त बैंक ऋणों की राशि	रुपए करोड़ में	97223	65448	67%	4,45,104
10	बकाया बैंक ऋणों की राशि	रुपए करोड़ में				
11	सहायता पाने वाली महिला किसानों की सं.	लाख	49.5	30.82	62%	147
12	स्थापित किए गए कस्टम हायरिंग सेंटरों की सं.	सं.	5222	1852	35%	22556

13	कृषि-पोषण उद्यान वाले परिवारों की सं.	लाख	24.77	19.22	78%	77.89
14	एसवीईपी के अंतर्गत सहायता पाने वाले उद्यमियों की सं.	सं.	48500	27292	56%	182837

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत वास्तविक प्रगति:

वर्ष	सहायता पाने वाले/एनआरएलएम नेटवर्क में शामिल किए जाने वाले एसएचजी की सं. (लक्ष्य)	सहायता प्राप्त कर चुके/एनआरएलएम नेटवर्क में शामिल किए गए एसएचजी की सं.	%
2018-19	9.13 लाख	9.77 लाख	107.0
2019-20	9.36 लाख	9.76 लाख	104.3%
2020-21	6.46 लाख	6.02 लाख	93%
2021-22	7.8 लाख	4.41 लाख	57%

4 वित्तीय ब्योरा

डीडीयू-जीकेवाई योजना के अंतर्गत बचत के कारण संशोधित अनुमान में 1968.00 करोड़ रुपए की कमी की गई थी। डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत बचत का कारण मुख्य रूप से कोविड-19 के फैलाव के कारण डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों का बंद होना था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यय की प्रगति निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान (31/12/2021 तक) व्यय		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(रु. लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	1,976.13
2	बिहार	1,23,972.82
3	छत्तीसगढ़	31,048.00

4	गोवा	433.54
5	गुजरात	13,737.26
6	हरियाणा	3,908.63
7	हिमाचल प्रदेश	2,282.63
8	जम्मू और कश्मीर	9,733.92
9	झारखंड	48,488.59
10	कर्नाटक	27,773.67
11	केरल	9,341.62
12	मध्य प्रदेश	21,255.00
13	महाराष्ट्र	15,302.46
14	ओडिशा	55,650.79
15	पंजाब	2,413.37
16	राजस्थान	21,754.04
17	तमिलनाडु	30,828.65
18	तेलंगाना	3,061.05
19	उत्तर प्रदेश	1,89,809.38
20	उत्तराखंड	5,639.50
21	पश्चिम बंगाल	24,889.82
22	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	299.62
23	दमन और दीव और डीएनएच	78.01
24	लद्दाख	125.95
25	लक्षद्वीप	19.54
26	पुदुचेरी	367.54
	उप योग	6,44,191.53
	पूर्वोत्तर राज्य	
1	अरुणाचल प्रदेश	3,233.49
2	असम	24,881.61
3	मणिपुर	3,253.11
4	मेघालय	4,727.81
5	मिजोरम	2,909.26
6	नागालैंड	4,427.37
7	सिक्किम	865.21

8	त्रिपुरा	3,852.50
	उप योग	48,150.36
	कुल योग	6,92,341.89

वर्तमान वर्ष के दौरान व्यय की धीमी गति का कारण :

- अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार के कारण कार्यक्रम कार्यकलाप काफी हद तक प्रभावित हुए थे।
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा किस्तों (अर्थात आवंटन का 25%) में निधियों की रिलीज पर प्रतिबंध।
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार एसएनए का कार्यान्वयन।
- राज्य सरकार/कोषागार से एसआरएलएम द्वारा निधियों की प्राप्ति में विलंब।

अधिकांश राज्यों में कोविड-19 के आघात के बाद अब कार्यक्रम गतिविधियों में तेजी आ गई है और यह उम्मीद की जाती है कि व्यय की गति अधिक होगी और अंतिम तिमाही में आरई बजट प्रावधान का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है।

अभावग्रस्त परिवारों को एकजुट करने और उन्हें प्रशिक्षित करना आदि बहुत कठिन कार्य हैं जिसमें लोगों से सीधे संपर्क करने की आवश्यकता होती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कोविड -19 महामारी के कारण संक्रमण और प्रतिबंधों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। तथापि, सभी बाधाओं के बावजूद, दिसंबर 2021 तक, तीसरी तिमाही की समाप्ति तक, प्रमुख कार्यकलापों में प्रगति महत्वपूर्ण रही है। निम्नलिखित तालिका तीसरी तिमाही तक की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करती है।

एनआरएलएम के मुख्य निष्पादन संकेतक	वि.व. 21-22	लक्ष्य ति-1+ ति-2 + ति-3	दिसंबर, 2021 तक की प्रगति	उपलब्धि %	संचयी प्रगति	चौथी तिमाही का लक्ष्य
आउटरीच						
नए जिलों की संख्या	11	11	0	0%	706	11
नए ब्लॉकों की संख्या	331	329	258	78%	6779	73
एकजुट किए गए परिवार और प्रोत्साहित किए गए सीबीओ (संशोधित योजना)						

प्रोत्साहित किए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या (लाख में)	7.28	4.30	4.42	101%	73.79	2.86
स्व-सहायता समूहों में एकजुट किए गए परिवारों की संख्या (लाख में)	91.16	53.22	47.00	88%	807.32	44.16
प्रोत्साहित किए गए ग्रामीण संगठनों की संख्या	62495	34909	26512	76%	427946	35983
गठित सीएलएफ की संख्या	4258	2458	2456	99%	32805	1802

इस कार्यक्रम से चौथी तिमाही के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा है।

5. स्वयं सहायता समूह

5.2 स्वयं सहायता समूहों के कार्य निष्पादन के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित जानकारी दी :-

“जहां तक स्वयं सहायता समूहों के गठन का प्रश्न है तो इसमें 7 लाख 28 हजार का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध 4 लाख 42 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जो कुल मिलाकर 74 प्रतिशत है। जहां तक स्वयं सहायता समूहों में बहनों के शामिल करने का सवाल था तो 91 लाख 16 हजार बहनों को अतिरिक्त नए गठित समूहों में शामिल करना था, जिसके विरुद्ध 47 लाख बहनों को शामिल किया जा चुका है और आज के दिन तक लगभग 8 करोड़ 7 लाख बहनों को इस कार्यक्रम की परिधि में लाया जा सका है।

सर, आरएफसीआईएफ के आंकड़े आपके सामने हैं, मैं इनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा। स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरित किए जाने का प्रश्न है तो इस वित्तीय वर्ष में 97 हजार 223 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य था, जिसके विरुद्ध लगभग 71 हजार 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। अगर आप वर्ष 2013-14 से कुल दिए गए ऋण को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 4 लाख 45 हजार करोड़ रुपए का ऋण विभिन्न वित्तीय वर्षों में उपलब्ध कराया गया है।”

स्वयं सहायता समूहों के गठन के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नलिखित जानकारी दी :-

क्र. सं.	राज्य	लक्ष्य वि.व. 21-22	उपलब्धि	उपलब्धि का %	संचयी प्रगति
1	आंध्र प्रदेश		8928		819969
2	असम	6952	7658	110%	303364
3	बिहार	24247	22011	91%	1003114
4	छत्तीसगढ़	18000	10747	60%	205491
5	गुजरात	40000	6897	17%	262460
6	झारखंड	25000	9328	37%	264292
7	कर्नाटक	26400	16674	63%	210573
8	केरल	7500	5953	79%	246015
9	मध्य प्रदेश	70000	18401	26%	346069
10	महाराष्ट्र	105000	24307	23%	535718
11	ओडिशा	14,500	30,525	211%	4,91,454
12	राजस्थान	65480	34096	52%	200785
13	तमिलनाडु	12000	15805	132%	290285
14	तेलंगाना	20000	0	0%	407737
15	उत्तर प्रदेश	208000	144054	69%	561040
16	पश्चिम बंगाल	48675	42880	88%	919806
17	हरियाणा	15000	3702	25%	48643
18	हिमाचल प्रदेश	8000	6139	77%	31389
19	जम्मू और कश्मीर	10200	9999	98%	55730
20	पंजाब	10411	5437	52%	29314
21	उत्तराखंड	4000	4484	112%	36187
22	अरुणाचल प्रदेश	6481	839	13%	4234
23	मणिपुर	8760	933	11%	3228
24	मेघालय	13558	5805	43%	36875
25	मिजोरम	1894	509	27%	7285
26	नागालैंड	373	129	35%	12403
27	सिक्किम	120	121	101%	5233
28	त्रिपुरा	7500	4689	63%	31460
29	अंडमान और निकोबार	65	92	142%	1029
30	गोवा	600	247	41%	3195
31	लद्दाख	649	13	2%	420

32	लक्षद्वीप	230	140	61%	296
33	पुदुचेरी	500	247	49%	3452
34	दमन दीव और दादरा नगर हवेली	500	98	20%	667
	कुल	780595	441887	57%	7379212

5.2 स्व-सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण आजीविकाओं को बढ़ावा दिये जाने की संकल्पना पर विचार करते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नलिखित जानकारी दी :-

"डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्व-सहायता समूह कार्यक्रम का ग्रामीण गरीबों की समग्र आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव है। आरएफ और सीआईएफ के रूप में एसएचजी को दी गई पूंजीगत निधियां आंतरिक ऋण की आदत शुरू करती हैं। बचत की आदत सदस्यों के स्वामित्व को प्रेरित करती है जिससे न केवल उपभोग के उद्देश्यों के लिए बल्कि उत्पादन उद्देश्यों के लिए भी उच्च बचत और ऋण का आदान-प्रदान होता है। कृषि आजीविका के विभिन्न कार्यकलापों ने कृषि और पशुधन की पैदावार, सब्जी फसलों की शुरुआत और फल उत्पादन में वृद्धि की है।

इन आजीविका कार्यकलापों को लाभ अर्जित करने और टिकाऊ बनाने के लिए, डीएवाई-एनआरएलएम उन्हें उनके पैमाने और आउटरीच के आधार पर क्रमशः पीजी और पीई और एफपीसी में संगठित कर रहा है। वर्तमान में, देश में 117471 उत्पादक समूह (पीजी) कार्यरत हैं।"

5.3 स्व-सहायता समूहों को ऋण दिये जाने के ब्योरे के संबंध में आंकड़े देते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नलिखित जानकारी दी :-

**राज्य-वार एसएचजी बैंक लिंकेज की प्रगति
(वित्तीय वर्ष 2021-22, दिसंबर, 2021 तक)**

क्र. सं.	राज्य और सं.रा. क्षेत्र	कुल एसएचजी	वितरित की गई ऋण राशि (राशि करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	26	0.17
2	आंध्र प्रदेश	556945	26569.96
3	अरुणाचल प्रदेश	516	5.29
4	असम	58819	829.37
5	बिहार	443529	3790.42
6	छत्तीसगढ़	53910	577.50

7	गोवा	542	16.12
8	गुजरात	27065	243.06
9	हरियाणा	12898	163.03
10	हिमाचल प्रदेश	4563	85.90
11	जम्मू और कश्मीर	11581	229.16
12	झारखंड	115616	1079.83
13	कर्नाटक	536555	10393.11
14	केरल	43884	2260.96
15	लद्दाख	5	0.15
16	लक्षद्वीप	24	0.50
17	मध्य प्रदेश	66972	825.67
18	महाराष्ट्र	116794	2135.03
19	मणिपुर	500	6.13
20	मेघालय	3417	37.84
21	मिजोरम	544	11.59
22	नागालैंड	685	13.64
23	ओडिशा	202360	3643.09
24	पुदुचेरी	1331	59.11
25	पंजाब	5188	41.99
26	राजस्थान	47488	640.69
27	सिक्किम	871	15.36
28	तमिलनाडु	100441	4355.36
29	तेलंगाना	242414	9553.53
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	77	0.63
31	त्रिपुरा	10965	142.82
32	उत्तराखंड	8188	66.05
33	उत्तर प्रदेश	41383	385.49
34	पश्चिम बंगाल	472035	8508.45
	उप योग	3188131	76687.00
	संपूर्ण भारत कुल (संघ राज्य क्षेत्रों सहित)	3191705	76810.27

6. बैंकों की भूमिका- ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

आरएसईटीआई ग्रामीण विकास मंत्रालय की बैंकों के नेतृत्व वाली पहल है, जिसे देश के प्रत्येक जिले में समर्पित अवसंरचना के साथ स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए निर्धारण, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान करना है और 18-45 वर्ष की उम्र के बेरोजगार ग्रामीण गरीब युवाओं को स्व-रोजगार उद्यमशीलता उद्यम शुरू करने के लिए सुविधा प्रदान करना है। आरएसईटीआई भारत सरकार और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा प्रायोजित, प्रबंधित और संचालित की जाती है। आरएसईटीआई युवाओं को दीर्घकालिक सहायता के साथ अल्पकालिक आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, और कुछ आरएसईटीआई जमीनी स्थिति और व्यवहार्यता के आधार पर युवाओं को ऑफ-साइट प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में आरएसईटीआई चार प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और सामान्य उद्यमिता विकास के तहत वर्गीकृत 61 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्तमान में, देश भर में 587 आरएसईटीआई कार्यरत हैं। आरएसईटीआई ने 39.57 लाख को प्रशिक्षित किया है और दिसंबर, 2021 तक 27.79 लाख को नियोजित किया है। वर्तमान में, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दो साल की अवधि के लिए आरएसईटीआई द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बाद सहायता दी जाती है।

6.2 बैंकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने यह जानकारी दी :-

"आरएसईटीआई कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकार और बैंक के तीन पक्षों की साझेदारी है। राज्य आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए भूमि, अभ्यर्थियों को एकजुट करने में सहायता उपलब्ध कराता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीबों के प्रशिक्षण की लागत और एक जिले में एक आरएसईटीआई के लिए एक करोड़ रु. का अवसंरचना अनुदान उपलब्ध कराता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले ग्रामीण गरीबों के प्रशिक्षण की लागत और अवसंरचना अनुदान के अलावा होने वाले व्यय तथा आरएसईटीआई के संचालन के रोजमर्रा के व्यय को प्रायोजक बैंक वहन करता है।

आरएसईटीआई की स्थापना के लिए बैंकों के चयन के विषय में, जिले का अग्रणी बैंक उस जिले में आरएसईटीआई की स्थापना करता है। जिले में मांग को ध्यान में रखते हुए उस जिले का अन्य कोई बैंक भी आरएसईटीआई की स्थापना कर सकता है।"

6.3 आरएसईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षित और नियोजित किए गए उम्मीदवारों का ब्योरा देते हुए ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नलिखित जानकारी दी :-

वर्ष 2021-22 के दौरान (31.12.2021 तक) प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	संचालित कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या	नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13	341	381
2	आंध्र प्रदेश	194	5140	4068
3	अरुणाचल प्रदेश	8	136	0
4	असम	228	6287	3798
5	बिहार	431	12672	7661
6	छत्तीसगढ़	218	5478	3436
7	दादरा एवं नगर हवेली	16	412	135
8	गुजरात	329	8793	7296
9	हरियाणा	245	6825	4670
10	हिमाचल प्रदेश	116	3154	1793
11	जम्मू और कश्मीर	150	3325	1881
12	झारखंड	282	8118	4598
13	कर्नाटक	493	12031	11274
14	केरल	133	3217	3268
15	लक्षद्वीप	6	90	30
16	मध्य प्रदेश	470	13214	9269
17	महाराष्ट्र	441	12659	7864
18	मणिपुर	11	263	136
19	मेघालय	42	995	491
20	मिजोरम	16	458	309
21	नागालैंड	9	229	133
22	ओडिशा	366	11168	9068
23	पुदुचेरी	8	269	286
24	पंजाब	225	6466	3848

25	राजस्थान	564	15065	11222
26	सिक्किम	2	23	35
27	तमिलनाडु	409	11866	8604
28	तेलंगाना	144	4156	2668
29	त्रिपुरा	55	1389	1090
30	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	15	344	198
31	उत्तर प्रदेश	1539	38607	28393
32	उत्तराखंड	167	4430	2382
33	पश्चिम बंगाल	169	4389	3419
	कुल योग	7514	202009	143704

7. बाजार से जुड़ा संवर्धन

- "डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत कृषि आजीविका कार्यकलाप कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों, बेहतर पशुपालन पद्धतियों, वैज्ञानिक एनटीएफपी संग्रहण और खेती तथा मूल्य श्रृंखला विकास के संवर्धन पर केंद्रित हैं। कृषि आजीविका कार्यकलापों के अंतर्गत कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियों, बेहतर पशुपालन पद्धतियों और एनटीएफपी के संवर्धन के लिए लगभग 1.47 करोड़ महिला किसानों को सहायता दी गई है। इन महिला किसानों के घर-द्वार तक विस्तार सेवा सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक लाख से अधिक आजीविका समुदाय संवर्गों को प्रशिक्षित और तैनात किया गया है। पारिवारिक स्तर पर पोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 77.89 लाख महिला किसानों को कृषि पोषण उद्यमों के संवर्धन से जुड़ी सहायता प्रदान की गई है।
- राजस्व अर्जन के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में महिला किसानों की सहायता करने लिए डीएवाई-एनआरएलएम महिला स्वामियों के उत्पादक समूहों को बढ़ावा दे रहा है, जो संग्रहण, मूल्य संवर्धन और बाजार संपर्कों जैसे विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से महिला किसानों की सहायता कर रहे हैं। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत 3.86 लाख सदस्यों वाले लगभग 183 महिला स्वामियों के उत्पादक उद्यमों (उत्पादक कंपनी अधिनियम, सहकारी अधिनियम और न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत औपचारिक उत्पादक संगठनों) को पहले ही सहायता प्रदान की जा चुकी है। 14 लाख सदस्यों के

लगभग 1.17 लाख उत्पादक समूहों (सूचना उत्पादक संगठन) को सहायता प्रदान की गई है, जिनमें से 6.50 लाख सदस्यों के लगभग 30,000 उत्पादक समूह महिला किसान सदस्यों के उत्पादों के संग्रहण और विपणन जैसे कार्यों में लगे हैं।

- विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एनआरईटीपी (राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक बदलाव परियोजना) के अंतर्गत 40 अन्य वृहत उत्पादक उद्यमों और 12,000 उत्पादक समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा।

- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की सुधार योजना और इसे मार्च, 2021 से आगे मार्च, 2025 तक जारी रखने के अंतर्गत 2024-25 तक अतिरिक्त 25,000 उत्पादक समूहों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, कृषि मंत्रालय के साथ तालमेल की स्थापना महिला स्वामियों के एफपीओ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। कृषि मंत्रालय की "10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन योजना" के कार्यान्वयन के लिए डीएवाई-एनआरएलएम को कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी माना गया है और इस योजना के अंतर्गत 100 एफपीओ एनआरएलएम को आवंटित किए गए हैं।

- बेहतर माहौल तैयार करने और उत्पादक समूहों को बढ़ावा देने के कार्य में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग ने जो उपाय किए हैं वे इस प्रकार हैं :-

- मूल्य श्रृंखला विकास कार्यकलापों में राज्यों की सहायता करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट के सहयोग से एफडीआरवीसी ग्रामीण (मूल्य श्रृंखला विकास फाउंडेशन नामक कंपनी की स्थापना धारा 8 के अधीन की है। आज तक एफडीआरवीसी मूल्य श्रृंखला विकास प्रस्ताव तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता दे चुका है। एफडीआरवीसी बाजार संपर्कों के लिए 10 दक उद्यमों की सहायता करेगाइन उत्पा।

- उत्पादक उद्यमों के संवर्धन, उत्पादक उद्यमों के वित्तपोषण, परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और उत्पादक उद्यमों के लिए निधि जारी करने के संबंध में राज्यों को एडवाइजरी जारी की जाती हैं।

- एनआरएलएम के एमकेएसपी नामक उपघटक के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके उसमें मूल्य श्रृंखला विकास के संवर्धन को शामिल किया गया है।

<p>डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत सहायता पाने वाले उत्पादक उद्यमों की राज्य-वार संख्या</p>

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता पाने वाले उत्पादक उद्यमों की संख्या	उद्यमों में शामिल सदस्यों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	21	34063
2	बिहार	7	43520
3	छत्तीसगढ़	8	12481
4	गुजरात	2	6000
5	झारखंड	16	35213
6	कर्नाटक	3	6381
7	मध्य प्रदेश	39	112900
8	महाराष्ट्र	14	11068
9	ओडिशा	20	25822
10	मिजोरम	1	10
11	राजस्थान	14	20890
12	तमिलनाडु	1	900
13	तेलंगाना	18	37057
14	उत्तर प्रदेश	4	25600
15	पश्चिम बंगाल	9	9890
16	केरल	5	2043
17	असम	1	2162
कुल		183	386000

8. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) की स्थिति और भूमिका

"दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के कौशल प्रशिक्षण और नियोजन कार्यक्रम को 25 सितंबर, 2014 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक मानकों के अनुरूप वेतन नियोजन से जुड़े कार्यक्रम प्रदान करना है। यह कार्यक्रम भारत को विश्व स्तर पर पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधान मंत्री के 'मेक इन इंडिया' अभियान में योगदान देता है, और वहीं देश के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान देने के अपने प्रयासों को जोड़ता है। डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय कौशल एजेंडा और देश में 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के 430 मिलियन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें से लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।"

8.2 वित्तीय प्रगति का ब्योरा

वित्तीय वर्ष	आवंटित निधियां (ब.अ.)	सं.अ.	रिलीज	शेष
2018-19	1200.00	1215.31	1215.29	0.02
2019-20	1849.99	1872.17	1871.98	0.19
2020-21	1996.21	1076.85	1076.67	0.18
2021-22	2000.00	32.00	8.035	23.965

8.3 उम्मीदवारों को वेतन रोजगार देने में डीडीयू-जीकेवाई के योगदान के प्रश्न पर ग्रामीण विकास विभाग ने यह जानकारी दी :-

वास्तविक निष्पादन : प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों की राज्य-वार और वित्तीय वर्ष-वार संख्या इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 31.12.2021 तक लक्ष्य की तुलना में डीडीयू-जीकेवाई की प्रगति				
क्र.सं.	राज्य	2021-22 का लक्ष्य	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	18,256	1606	2132
2	अरुणाचल प्रदेश	913	0	10
3	असम	13,692	735	606
4	बिहार	18,028	2778	1147
5	छत्तीसगढ़	11,406	2956	1618
6	गुजरात	7,607	448	351
7	हरियाणा	5,967	731	40
8	हिमाचल प्रदेश	3,347	80	0
9	जम्मू और कश्मीर	21,800	851	509
10	झारखंड	10,649	716	366
11	कर्नाटक	8,215	481	312
12	केरल	12,171	1265	766
13	मध्य प्रदेश	11,446	2204	375
14	महाराष्ट्र	7,642	0	1384

15	मणिपुर	1,496	183	89
16	मेघालय	1,410	203	100
17	मिजोरम	938	35	14
18	नागालैंड	1,378	309	220
19	ओडिशा	22,820	2824	2271
20	पंजाब	6,546	3536	1135
21	राजस्थान	11,075	661	2837
22	सिक्किम	761	90	0
23	तमिलनाडु	12,779	3983	550
24	तेलंगाना	13,692	2330	2494
25	त्रिपुरा	4,378	354	31
26	उत्तराखंड	3,803	1287	191
27	उत्तर प्रदेश	34,230	4293	1059
28	पश्चिम बंगाल	13,542	210	2424
29	पुदुचेरी	618	34	6
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	228	0	0
कुल		2,80,833	35,183	23,037

देशभर में जिन 18 क्षेत्रों में 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है उनमें परिधान, आटोमोटिव बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, ब्यूटी एंड वेलनेस, पूंजीगत वस्तुएं, निर्माण, इलैक्ट्रिकल, स्वास्थ्य देखरेख, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं, लाइफ साइंस, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, प्रबंधन और उद्यमिता, नलसाजी, विद्युत और ऊर्जा, खुदरा, सुरक्षा, दूरसंचार और पर्यटन एवं आथित्य शामिल हैं। डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन क्षेत्रों का कुल योगदान 90.48% था (कुल 11.35 लाख प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से 10.27 लाख अभ्यर्थी)। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन विशेषकर परिधान, आटोमोटिव, पूंजीगत वस्तुओं, निर्माण, इलैक्ट्रिकल, स्वास्थ्य देखरेख, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, विद्युत और ऊर्जा, दूरसंचार इत्यादि के क्षेत्रों में मेक इन इंडिया अभियान में योगदान कर रहे हैं।

इ) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम)

1. पृष्ठभूमि

"वर्ष 2014-15 के बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने समेकित परियोजना आधारित अवसंरचना, आर्थिक कार्यकलापों के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 16 सितंबर, 2015 को इसे स्वीकृति दी। मिशन के अंतर्गत अपने स्वरूप में अनिवार्य रूप से शहरी माने जाने वाली सुविधाओं से समझौता न करते हुए समता तथा समावेशन पर ध्यान देते हुए ऐसे गांवों का क्लस्टर तैयार करता है जो ग्रामीण समुदाय के जीवन के सार को सुरक्षित और पोषित करें; इस प्रकार "रूरुन गांव तैयार करने" के विजन का अनुपालन किया जाता है। मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रेरित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रूरुन क्लस्टर तैयार करना है।

मंत्रिमंडलीय नोट के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरुन मिशन (एसपीएमआरएम) की कार्यान्वयन अवधि मार्च, 2020 है। वि.व. 2020-21 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा मिशन की समयावधि और 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। तथापि, वर्तमान प्रगति के मूल्यांकन के बाद, मिशन के अंतर्गत परियोजना को पूरा करने के लिए आगे तीन और वर्ष (मार्च, 2024 तक) आवश्यक होंगे। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में योजना को रोकने का सुझाव दिया है। मिशन की समयावधि मार्च, 2023 तक बढ़ाने की मांग करने के लिए मंत्रिमंडलीय नोट तैयार कर लिया गया है, अंतः मंत्रालयी परामर्श पूरे कर लिए गए हैं और माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास) के अनुमोदन हेतु अद्यतन मंत्रिमंडलय नोट प्रस्तुत किया जा रहा है।"

2. निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्य

वास्तविक प्रगति (धनराशि संख्या में)							
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (दिनांक 05.01.2022 तक)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	समेकित क्लस्टर कार्य	क्लस्टर की पहचान और अनुमोदन	क्लस्टर (300)
100	100	100	लक्ष्य
0	0	99	उपलब्धि
0	0	99	उपलब्धि का %
100	100	100	लक्ष्य
18	98	86	उपलब्धि
18	98	86	उपलब्धि का %
100	100	100	लक्ष्य
28	99	67	उपलब्धि
28	99	67	उपलब्धि का %
151	103	48	लक्ष्य
94	75	43	उपलब्धि
62.25	72.82	89.58	उपलब्धि का %
160	28	5	लक्ष्य
108	16	1	उपलब्धि
67.5	57.14	20	उपलब्धि का %
52	12	8 (* 8 clusters)	लक्ष्य
34	2	1	उपलब्धि
65.38%	16.67%	12.50%	उपलब्धि का %
18	10	7	लक्ष्य
1	1	6	उपलब्धि
5.56%	10.00%	85.72%	उपलब्धि का %

3. वित्तीय कार्य निष्पादन

वित्तीय प्रगति (धनराशि रुपए करोड़ में)							
लक्ष्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
संशोधित अनुमान (आरई)	60	600	600	451.03	300	372.33	375
रिलीज किया गया	32.05	599.45	553.26	432.59	303.59	371.82	16.47
उपलब्धि का %	53.42	99.91	92.21	95.91	101.20	99.86	4.39

3.2 यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान चरण स्तर पर आवंटन के 600 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से घटकर 375 करोड़ रुपए रह जाने के क्या कारण थे , तो ग्रामीण विकास विभाग ने यह बताया:-

" वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए मिशन के तहत आवंटित 600 करोड़ रुपये के कुल सीजीएफ में से, आज की तारीख तक केवल 16.47 करोड़ रुपये, अर्थात बीई का 2.74% जारी किए गए थे। कमी के कारण इस प्रकार हैं :

एसपीएमआरएम के तहत फंड प्लिंग तंत्र जनवरी 2021 से लागू किया गया है। रूबन के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्व में जारी की गई निधियों के 60% के उपयोग के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। हालांकि, व्यय

विभाग (डीओई) ने 23 मार्च 2021 को अपने कार्यालय जापन के माध्यम से राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पहले जारी की गई निधियों के कम से कम 75% का उपयोग अनिवार्य कर दिया है ताकि वे अगली निधि रिलीज के लिए पात्र बन सकें। इस वजह से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब निधि प्रस्ताव प्रस्तुत करने में अधिक समय लगता है।

फंड पूलिंग तंत्र के पश्चात् जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीजीएफ व्यय (केन्द्रीय और राज्य दोनों अंश) का 75% उपयोग कर लिया है, वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन मंत्रालय द्वारा आगे निधि रिलीज करने के लिए पात्र हैं।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुमोदित निधियां दो किस्तों में जारी की जानी चाहिए (अर्थात्, पहली किस्त में अनुमोदित राशि का 50% और दूसरी किस्त में 50%)। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, तदनुरूपी राज्य अंश सहित केन्द्र द्वारा जारी की गई पहली किस्त का 75% व्यय करने के बाद ही दूसरी किस्त का दावा कर सकते हैं। इससे योजना के तहत निधियां रिलीज की रफ्तार भी धीमी हो गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पास पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि 1413.22 करोड़ रुपये थी। चूंकि राज्यों के पास पहले से ही निधियां उपलब्ध थीं और आगे निधि रिलीज लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया था, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में निधियों की रिलीज बहुत कम थी। दिनांक 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त शेष राशि घटकर 796.80 करोड़ रुपये रह गई है।

अप्रैल-जून 2021 के दौरान कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य की गति गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। कोविड-19 महामारी ने चल रहे कार्यकलापों को प्रभावित किया क्योंकि राज्य के कई अधिकारियों पर इसके सीधे प्रभाव के कारण डीपीआर तैयार करने, कार्यों की निविदा, प्रशासनिक स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति आदि जारी करने जैसी सभी प्रशासनिक गतिविधियों में देरी हुई। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी के कारण क्लस्टर स्तर पर कार्यकलापों का समय पर पूरा नहीं होने से व्यय की गति धीमी हुई जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय को निधि प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।

मिशन की वास्तविक अवधि 2015-16 से 2019-20 तक थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वित्त मंत्रालय ने इस मिशन को एक वर्ष के लिए बढ़ाया था। तथापि, मंत्रालय ने परियोजना पूरा करने हेतु और तीन वर्षों (मार्च 2024 तक) की अवधि बढ़ाने की मांग की है। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 26 अगस्त 2021 को हुई अपनी बैठक में इस योजना को बंद करने का सुझाव दिया है। मिशन के विस्तार की मांग के लिए

एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया है, अंतर-मंत्रालयी परामर्श पूरा कर लिया गया है और अद्यतन मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत किया जा रहा है।

एसपीएमआरएम को बंद करने की सिफारिश करने वाले ईएफसी के फैसले के कारण, राज्यों को जारी की जाने वाली निधि अगस्त 2021 से रुकी हुई है। दिनांक 24-01-2022 की स्थिति के अनुसार, 18 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने जारी की गई निधियों के 75% से अधिक का उपयोग कर लिया है और उन्हें मंत्रालय द्वारा निधि जारी किया जाना देय है। दिनांक 24-01-2022 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय को 536.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय राशि जारी करने की मांग करने वाले 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हालांकि, अगस्त 2021 से, ईएफसी के फैसले के कारण निधि रिलीज को रोक दिया गया है। मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में व्यय विभाग से प्रतिबद्ध देयता के एवज में रिलीज की अनुमति देने का अनुरोध किया है, लेकिन निधि रिलीज पर निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है।

उपर्युक्त कारणों से, बजट को संशोधित अनुमान चरण में 600 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से घटाकर 375 करोड़ रुपये कर दिया गया।

3.3 निधियों के अनुपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"उपरोक्त प्रश्न संख्या 122 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पास पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि 1413.22 करोड़ रुपये थी। चूंकि राज्यों के पास पहले से ही निधियां उपलब्ध थीं और आगे निधि रिलीज लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया था, इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में निधियों की रिलीज बहुत कम थी। दिनांक 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार अप्रयुक्त शेष राशि घटकर 796.80 करोड़ रुपये रह गई है।

एसपीएमआरएम के तहत फंड पूलिंग तंत्र जनवरी 2021 से लागू किया गया है। फंड पूलिंग तंत्र के पश्चात् जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीजीएफ व्यय (केन्द्रीय और राज्य दोनों अंश) का 75% उपयोग कर लिया है, वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन मंत्रालय द्वारा आगे निधि रिलीज करने के लिए पात्र हैं। ये निधियां प्रत्येक 50% की दो खेपों में रिलीज की जाती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, तदनुरूपी राज्य अंश सहित केन्द्र द्वारा जारी की गई पहली किस्त का 75% व्यय करने के बाद ही दूसरी किस्त का दावा कर सकते हैं। इससे योजना के तहत निधियां रिलीज की रफ्तार भी धीमी हो गई है।

अप्रैल-जून 2021 के दौरान कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य की गति गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी जिसके परिणामस्वरूप डीपीआर तैयार करने, कार्यों की निविदा, प्रशासनिक स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति आदि जारी करने जैसी सभी प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी के कारण क्लस्टर स्तर पर कार्यकलापों का समय पर पूरा नहीं होने से व्यय की गति धीमी हुई जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय को निधि प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।

मिशन की वास्तविक अवधि 2015-16 से 2019-20 तक थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वित्त मंत्रालय ने इस मिशन को एक वर्ष के लिए बढ़ाया था। तथापि, मंत्रालय ने परियोजना पूरा करने हेतु और तीन वर्षों (मार्च 2024 तक) की अवधि बढ़ाने की मांग की है। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 26 अगस्त 2021 को हुई अपनी बैठक में इस योजना को बंद करने का सुझाव दिया है। मिशन के विस्तार की मांग के लिए एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया है, अंतर-मंत्रालयी परामर्श पूरा कर लिया गया है और अद्यतन मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत किया जा रहा है।

एसपीएमआरएम को बंद करने की सिफारिश करने वाले ईएफसी के फैसले के कारण, राज्यों को जारी की जाने वाली निधि अगस्त 2021 से रुकी हुई है। दिनांक 24-01-2022 की स्थिति के अनुसार, 18 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने जारी की गई निधियों के 75% से अधिक का उपयोग कर लिया है और उन्हें मंत्रालय द्वारा निधि जारी किया जाना देय है। दिनांक 24-01-2022 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय को 536.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय राशि जारी करने की मांग करने वाले 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हालांकि, अगस्त 2021 से, ईएफसी के फैसले के कारण निधि रिलीज को रोक दिया गया है। मंत्रालय ने अक्टूबर 2021 में व्यय विभाग से प्रतिबद्ध देयता के एवज में रिलीज की अनुमति देने का अनुरोध किया है, लेकिन निधि रिलीज पर निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है। निधियों की कमी के कारण ऐसे राज्यों में कार्य की गति पुनः धीमी पड़ गई है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में, हालांकि राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पास पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि 1413.22 करोड़ रुपये थी जो दिनांक 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के उपयोग करने के बाद 796.80 करोड़ रुपये रह गई है।"

3.4 एसपीएमआरएम के विस्तार के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने निम्नवत बताया:

“जब इस कार्यक्रम के बारे में 15वें वित्त आयोग अवधि विस्तार के समय हम लोग एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास गए, तो उन्होंने इस कार्यक्रम के एक्सटेंशन की अनुशंसा करने से इंकार कर दिया। हम लोग इसको पुनः प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में कैबिनेट के समक्ष गए हैं। उनका निर्णय आना बाकी है। अब उस कार्यक्रम पर व्यय नहीं किया जा रहा है।”

3.5 इस मुद्दे पर आगे विस्तार से बताते हुए ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने समिति के समक्ष निम्नवत बताया:

“श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के अंतर्गत एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने उसे रोका, पर हम ने यह देखते हुए कि इस कार्यक्रम की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है, हमने कई नई पहल भी की हैं। हमें समिति का भी मार्गदर्शन मिला है। जैसा कि आप देखेंगे कि हमने फंड पूलिंग का अरेंजमेंट किया है। समिति ने अवशेष राशि कम करने का मार्गदर्शन दिया था, उसके आधार पर किया गया। राज्य स्तरों पर डीपीआर के मॉडिफिकेशन की शक्ति उन्हें सौंप दी। स्पेशियल प्लानिंग और प्लानिंग नोटिफिकेशन की निधियों की विमुक्ति से जो संबंध था, उसको हटाया, ताकि राज्यों को पैसा जाए, पीएफएमएस से इंटीग्रेट किया। इसी प्रकार से जो स्पेशियल प्लानिंग का जो प्लेटफॉर्म विकसित किया, हमने मेंटर इंस्टीट्यूशन इम्पैनेल किए हैं। नेशनल नॉलेज और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, इत्यादि बनाए गए हैं। हम ने काफी काम किया है, मुझे आशा है कि इस योजना की भी कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी और वर्ष 2024 तक इस योजना को भी पूरा कर सकेंगे।”

3.6 शेष निधियों की भारी मात्रा का उपयोग करने की योजना के बारे में विभाग ने विस्तार से निम्नवत बताया:

“एसपीएमआरएम को बंद करने की सिफारिश करने वाले ईएफसी के फैसले के कारण राज्यों को जारी की जाने वाली निधि अगस्त 2021 से रुकी हुई है। दिनांक 24-01-2022 की स्थिति के अनुसार, 18 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने जारी की गई निधियों के 75% से अधिक का उपयोग कर लिया है और उन्हें मंत्रालय द्वारा निधि जारी किया जाना देय है। दिनांक 24-01-2022 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय को 536.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय राशि जारी करने की मांग करने वाले 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मिशन को मार्च, 2024 तक बढ़ाने की मांग के लिए एक मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया है, अंतर-मंत्रालयी परामर्श पूरा कर लिया गया है और अद्यतन मंत्रिमंडल नोट

प्रस्तुत किया जा रहा है। मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने पर, उपर्युक्त प्रस्तावों के एवज में निधि तुरंत जारी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, मिशन को विस्तार के लिए अनुमोदन मिलने के बाद स्थानिक योजनाओं को तैयार करने के लिए निधि जारी करने का भी प्रस्ताव है।"

3.7 मिशन में अप्रयुक्त शेष के मुद्दे पर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:

"योजना परिव्यय की 5142.08 करोड़ रु. की कुल राशि में से अब तक मिशन के अंतर्गत 2311.74 करोड़ रु. रिलीज की दिए गए हैं। मंत्रालय मिशन के अंतर्गत क्लस्टरों के 100 प्रतिशत विकास की उपलब्धि के लिए मिशन को मार्च, 2024 तक 2 वर्ष और बढ़ाने के लिए कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है

निर्धारित 300 रुर्बन क्लस्टरों में से, 291 आईसीएपी और 283 डीपीआर को अब तक पूरा कर लिया गया है। समय-सीमा बढ़ने पर शेष अनुमोदन प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उन क्लस्टरों में कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। डीपीआर अनुमोदन मिलने से अधिकतम क्लस्टरों के लिए आवश्यक प्रशासनिक/तकनीकी अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई हैं अतः इन सभी क्लस्टरों में कार्य की गति बढ़ जाएगी।

इसके अलावा, मिशन की समय-सीमा बढ़ाए जाने के बाद स्थानिक योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रशासनिक निधियां और नवाचार निधियां भी रिलीज की जानी हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, योजना परिव्यय की 5142.08 करोड़ रु. की कुल राशि में से मिशन के अंतर्गत अब तक 2311.74 करोड़ रु. रिलीज कर दिए गए हैं। अगले 2 वर्षों के लिए अनुमानित शीर्ष-वार व्यय निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शीर्ष व्यय	राशि करोड़ रु. में
1.	अनिवार्य पूरक निधि	2,478.25
2.	प्रशासनिक निधि	106.18
3.	राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (एनएमएमयू)	6.57
4.	नवाचार निधि	239.7

मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1500 करोड़ रु. के व्यय का अनुमान लगाया है तथापि बजट अनुमान स्तर पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केवल 550 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। मिशन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांग के आधार पर और मार्च, 2023-24 तक

क्लस्टर विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरई स्तर पर अतिरिक्त निधियों की मांग करेगा।

4. योजना में कमियाँ - डीपीआर तैयार करना

4.2 डीपीआर तैयार करने से संबंधित मुद्दों के बारे में विभाग ने निम्नवत बताया:

1. मिशन के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क में यह अधिदेशित है कि आईसीएपी की तैयारी के दौरान ग्राम सभा के प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, फ्रेमवर्क में कहा गया है कि क्लस्टर विकास की संपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंत्रालय सभी समीक्षा बैठकों/मंचों पर राज्यों के साथ इस बात को उठा रहा है कि स्थानीय आबादी के सभी हितधारकों, अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ उचित परामर्श के बाद डीपीआर तैयार की जाए।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि हितधारक के साथ उचित परामर्श के माध्यम से डीपीआर तैयार/संशोधन करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है, मंत्रालय ने एडवाइज़री जारी की है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस तरह का परामर्श करके पेशवरों/फेलो का क्षमता निर्माण करने के लिए भी सजग किया गया है।

3. मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में सामुदायिक भागीदारी और क्लस्टर स्वामित्व की भावना, स्थानीय निकायों के बीच निर्णय लेने की भावना को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें पीआरआई सदस्यों द्वारा अनुभव साझा किया जाना, पीआरआई सदस्यों के साथ परामर्श करना भी शामिल है।

4. पहले डीपीआर को मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी जाती थी। तथापि, मंत्रालय ने डीपीआर में सुधार/संशोधन/परिवर्तन में कठिनाई का संज्ञान लिया और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को डीपीआर में संशोधनों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया। जरूरत और आवश्यकता के अनुसार डीपीआर को संशोधित किया जा सकता है और सांसदों/विधायकों, पंचायती राज संस्थाओं के सुझावों को उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है।

5. एसपीएमआरएम के तहत शुरू की गई स्थानिक आयोजना प्रक्रिया में समुदाय और ग्राम सभा के साथ भी गहन परामर्श शामिल होगा।
6. आर्थिक कार्यकलापों, तालमेल और संचालन एवं रखरखाव पर विशेष जोर देते हुए क्लस्टर के विकास में सक्रिय भागीदारी के संबंध में माननीय मंत्री (आरडी) की ओर से उन सांसदों को पत्र भेजा गया है जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में रूबन क्लस्टर हैं।
7. सामाजिक लेखा परीक्षा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और प्रायोगिक तौर पर 8 लेखा परीक्षा कार्य शुरू किए गए हैं। भविष्य में, प्रत्येक क्लस्टर को डीपीआर में और सुधार करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
8. उपर्युक्त कदमों के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र डीपीआर को बदल रहे हैं और जमीनी स्तर पर काम शुरू कर रहे हैं। समय पर तैयारी और जमीन पर काम शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक पत्र के माध्यम से 31 दिसंबर, 2021 तक सीजीएफ के तहत सभी गैर-स्टार्टर परियोजनाओं/कार्यों को शुरू करने का निदेश दिया गया है।

5. अप्रयुक्त शेष राशि को समाप्त करना

"मंत्रालय कार्यों की गति में तेजी लाने और अप्रयुक्त शेष राशियों को उपयोग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करता रहा है। मंत्रालय ने कार्यों में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे राज्य स्तर पर डीपीआर संशोधनों की अनुमति देना, स्थानिक आयोजना को कार्यों के लिए निधि रिलीज से अलग करना, निधि रिलीज की शर्तों को सरल बनाना और फंड पूलिंग को कार्यान्वित करना आदि।

जनवरी 2021 तक, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र मंत्रालय को क्लस्टर-वार निधि प्रस्ताव भेज रहे थे। क्लस्टरों में कार्यों की असमान गति के कारण, यह पाया गया कि बहुत सी अप्रयुक्त निधियां राज्यों के पास पड़ी हुई थीं। वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने और क्लस्टरों में निधि प्रबंधन में राज्यों को अधिक अनुकूलता प्रदान करने के लिए व्यय विभाग (डीओई) के निर्देशों के अनुरूप, मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी, 2021 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक फंड पूलिंग परिपत्र जारी किया गया था। फंड पूलिंग तंत्र को कार्यान्वित करने के पश्चात् जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सीजीएफ

व्यय का 75% (केन्द्रीय और राज्य दोनों अंश) प्राप्त कर लिया है, वे अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बाद आगे की निधियां जारी करने के लिए मंत्रालय को निधि प्रस्ताव भेज सकते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के अंतर्गत अप्रयुक्त शेष राशि निम्नानुसार है :-

योजना	अप्रयुक्त शेष राशि (करोड़ रुपये में)			
	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम)	2018-19	2019-20	2020-21
	1768.47	1562.2	1413.22	878.69

यह देखा जा सकता है कि अप्रयुक्त शेष राशि लगातार कम होती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि 1413.22 करोड़ रुपये थी जो दिनांक 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के उपयोग करने के बाद 796.80 करोड़ रुपये रह गई है। इसके अलावा, चूंकि जारी की गई निधि अब अगले 6 महीनों के लिए संभावित व्यय योजना पर आधारित है, इसलिए अप्रयुक्त शेष सीमित होगा। इसे और कम किया जाएगा, क्योंकि मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चल रही और अभी तक शुरू की गई कार्य प्रगति की बारीकी से समीक्षा कर रहा है।"

च. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

i. पृष्ठभूमि

भारत के संविधान में राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों में राज्यों को अपने साधनों से विशेष रूप से गरीबों एवं निराश्रितों को लक्षित करते हुए अनेक कल्याणकारी उपाय करने का आदेश दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अपंगता के मामले में तथा अवांछित कमी के अन्य मामलों में राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में अपने नागरिकों को जन सहायता उपलब्धकराने का निर्देश दिया

गया है। सामाजिक सुरक्षा, इनवैलिड एवं वृद्धावस्था पेंशन भारत के संविधान की समवर्ती सूची की 7वीं अनुसूची में मद 23 एवं 24 के रूप में दर्शायी गई है। इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप भारत सरकार ने 1995 में स्वतंत्रता दिवस को पूर्ण रूप से केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें उन निराश्रित व्यक्तियों को बुनियादी स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है जिनके पास अपनी स्वयं की आय अथवा पारिवार के सदस्यों से वित्तीय सहायता अथवा अन्य स्रोतों के माध्यम से गुजर-बसर करने का थोड़ा अथवा कोई भी नियमित साधन नहीं है। इन निराश्रितों की पहचान राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाएगी। वर्ष दर वर्ष कार्यक्रम की संरचना, पात्रता मानदंड एवं वित्तपोषण पद्धति में कई बदलाव किए गए हैं।

2. उप योजनाएं- संक्षिप्त जानकारी

वर्तमान में एनएसएपी में पांच उप योजनाएं इसके घटकों के रूप में शामिल हैं:

- क. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना - (आईजीएनओएपीएस) : इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। 60-79 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों को प्रति माह 200 रूपए तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500/- रूपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ख. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) : इस योजना के अंतर्गत 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की विधवाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रति माह 300/- रूपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रति माह 500/- रूपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।
- ग. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) : इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले के 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 300/- रूपए की सहायता राशि प्रदान

की जाती है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रति माह 500/- रूपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

घ. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) : इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार में 18-59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार को एकमुश्त सहायता दी जाती है। सहायता की राशि 20,000/- रूपए है।

ङ. अन्नपूर्णा योजना: योजना के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पात्र तो हैं किन्तु वे वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है।

कई राज्यों ने न केवल बड़ी हुई राशि की घोषणा की है बल्कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार उनके द्वारा निर्धारित किए गए लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को भी पहुँचाया है।

2.2 राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत नई पहल के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने समिति को निम्नवत बताया:

“राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष में एक नया प्रयोग हुआ है। हम ने संबल नाम का एक मोबाइल ऐप्लिकेशन सितम्बर, 2021 में प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की जानकारी, उसके अंतर्गत नामांकन, ऐप्लिकेशन की स्थिति जानने की सुविधा, इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की गई। अगले वित्तीय वर्षों में विभिन्न पेंशन कार्यक्रमों के अंतर्गत तीन करोड़, नौ लाख की अधिसीमा प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है।”

3. प्राप्त किए गए लक्ष्य

वास्तविक उपलब्धि: (लाभार्थियों की संख्या लाख में)

योजना	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (05.01.2022 तक)
आईजीएनओएपीएस	212.09	214.09	215.91	215.74
आईजीएनडब्ल्यूपीएस	58.12	65.73	60.89	63.00

आईएनडीपीएस	7.46	10.59	7.83	8.04
एनएफबीएस	3.58	3.59	3.59	3.59
अन्नपूर्णा	2.64	0.64	0*	0*

* खाद्य आवंटन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

3.2 नियमों में छूट के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाने के लिए योजना-उप/ तरीकों की समीक्षा-योजनाओं के तौरसंबंधी प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नवत बताया:

"सरकार को एनएसएपी की योजनाओं के तहत पात्रता मानदंड में ढील देने और केंद्रीय सहायता में वृद्धि करने के लिए संसद सदस्य, पेंशन परिषद और कुछ राज्य सरकारों सहित अन्य वर्गों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। 2012 में गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट और डॉ. सुमित बोस की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह द्वारा भी इसी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति आयोग (आईपीई ग्लोबल के माध्यम से) द्वारा एनएसएपी सहित विभिन्न योजनाओं के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया है और एनएसएपी योजनाओं में सुधार के लिए सिफारिश की गई है। उपरोक्त के अलावा, ग्रामीण विकास विभाग ने एनएसएपी योजनाओं के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन भी किया है, जिसे टिप्पणियों/सुझावों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जा रहा है। एनएसएपी में सुधार पर अंतिम निर्णय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श पर निर्भर है।"

4. निधि उपयोग

एनएसएपी की वित्त पोषण पद्धति के बारे में विभाग ने निम्नवत बताया:

"एनएसएपी एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है और इसमें कोई राज्य का अंश नहीं है। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय सहायता में अपने स्वयं के संसाधनों से 50 रुपये से लेकर 2300 रुपये तक की राशि जोड़ रहे हैं।"

4.2 वित्तीय उपलब्धि:

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	आवंटित राशि (ब.अ./सं.अ.)	खर्च की गई धनराशि	प्राप्त किए गए लक्ष्य का प्रतिशत
2018-19	ब.अ -9975.00/ सं.अ - 8429.69	8418.47	99.86
2019-20	ब.अ -9200.00/ सं.अ - 8692.40	8692.40	100
2020-21	ब.अ -9200.00/ सं.अ - 8686.69	11660.25*	100% से अधिक
2021-22 (05.01.2022 तक)	9200.00	6422.36	69.80

* भारत सरकार ने 26.03.2020 को गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रूपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी ताकि वे कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकें। उक्त पैकेज का एक घटक राष्ट्रीय सामाजिक सहायका कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं के मौजूदा वृद्ध विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को 1000 रूपए को दो किस्तों में (500/- रूपए प्रत्येक) अनुग्रह अनुदान प्रदान करना था। एनएसएपी प्रभाग ने एनएसएपी योजनाओं के मौजूदा 282 लाख लाभार्थियों के लिए पीएमजीकेवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल, 2020 में पहली किस्त और मई, 2020 में दूसरी किस्त के रूप में अनुग्रह अनुदान के रूप में कुल 2814.50 करोड़ रूपए रिलीज किए।

4.3 2021-22 में सं.अ. चरण पर निधियों में कमी किए जाने और ब.अ. 2022-23 में अधिक मांग किए जाने के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:

"आरई आवश्यकता का निर्धारण पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अपेक्षित वास्तविक निधियों के आधार पर किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10% धनराशि का निर्धारण अनिवार्य है और पहचान किए गए लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए धन की आवश्यकता निधियों के वार्षिक निर्धारण से बहुत कम है। पूर्वोत्तर राज्यों के खाते के शीर्ष में निधियों की उपलब्धता का मुख्य कारण वित्त मंत्रालय द्वारा आरई स्तर पर एनएसएपी को कम निधि का आवंटन करना है।"

"2022-23 की मांगों में अनुमानित वृद्धि निम्नलिखित आधारों पर की गई है:

1. गणना उन राज्योंको दी गई प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित सीमा संघ राज्य क्षेत्रों/ पर आधारित होती है, जिसके लिए चिह्नित बीपीएल लाभार्थियों को वित्तीय सहायता संवितरित की जाती है। वर्तमान में कुछ राज्य पूर्ण सीमा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वित्तीय वर्ष में 23-2022 इसके होने की संभावना है। पूर्ण डिजिटलीकरण के बाद धन की आवश्यकता बढ़ जाएगी।
2. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधि का 10% अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है और पहचान किए गए लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधियों की आवश्यकता निधियों के वार्षिक निर्धारण से बहुत कम है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10% अनिवार्य निर्धारण के कारण, शेष धनराशि शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, 2022-23 के लिए अधिक निधियों की मांग की गई थी।
3. राज्यों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि का मुख्य कारण 2021-22 के लिए जारी की गई राशि है। पूर्ण दस्तावेजीकरण के साथ अव्ययित शेष राशि के बकाया को 2022-23 में इस तरह के रिलीज के उचित दस्तावेज की उपलब्धता के बाद जारी करने की आवश्यकता हो सकती है।

5. सहायता राशि की समीक्षा

5.2 सहायता राशि के बारे में विभाग ने निम्नवत बताया:

"इस मंत्रालय ने एनएसएपी में सुधार के लिए एक व्यापक तृतीय-पक्ष मूल्यांकन अध्ययन किया है और अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। अध्ययन के व्यापक विचारणीय विषयों में सर्वोत्तम पद्धतियों का दस्तावेजीकरण, सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन में एकरूपता लाना, एनएसएपी योजनाओं के मानदंडों और सहायता की राशि में बदलाव का सुझाव देना शामिल है। टिप्पणियों/सुझावों के लिए रिपोर्ट को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जा रहा है और एनएसएपी में सुधार पर अंतिम निर्णय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श पर निर्भर है।"

6. निगरानी

6.2 योजना की निगरानी के संबंध में विभाग ने निम्नवत बताया:

"राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एनएसएपी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया

जाता है। एनएसएपी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान, मंजूरी और लाभ का वितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके कार्यान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल सचिव नामित करना होगा। राज्य नोडल विभाग द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की सूचना प्रत्येक माह दिए गए निगरानी प्रारूप में ऑनलाइन दी जानी है। वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की रिपोर्टिंग नहीं किए जाने को प्रगति की कमी के रूप में माना जाता है और इसलिए, इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय सहायता जारी नहीं की जा सकती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से वार्षिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण स्तर पर (वर्ष में दो बार) सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने और नियमित आधार पर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए अलग से दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। लेन-देन में पारदर्शिता और तेजी को बढ़ावा देने के लिए एनएसएपी पेंशन योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के दायरे में शामिल किया गया है।"

छ. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

1. योजना का आरंभ

"सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनोखी योजना है जिसमें पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर विकास करने के लिए सांसदों के नेतृत्व, क्षमता, प्रतिबद्धता और ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। देश भर में विकसित मॉडल ग्राम पंचायतों का सृजन करने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का शुभारंभ किया गया। प्राथमिक रूप से मार्च, 2019 तक तीन आदर्श ग्रामों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से एक गांव वर्ष 2016 तक विकसित कर लिया गया। इसके बाद वर्ष 2024 तक ऐसे पांच आदर्श ग्रामों (प्रत्येक वर्ष एक) का चयन करके उनको विकसित किया जाएगा। इन "आदर्श ग्रामों" से ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य, स्वच्छता, हरियाली और सौहार्द को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और ये ग्राम स्थानीय विकास एवं शासन का केन्द्र बनकर आस-पड़ोस की ग्राम पंचायतों को प्रेरित करेंगे।"

2. कार्यान्वयन की विधि

इस मंत्रालय ने एसएजीवाई के कार्यान्वयन में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- भारत सरकार के 17 मंत्रालयों की 26 योजनाएं संशोधित की गई हैं। संबंधित योजनाओं में एसएजीवाई को प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त एडवाइजरी जारी की गई हैं।
- सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता और 20 मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों वाली संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) संबंधी राष्ट्र स्तरीय समिति (एनएलसी) द्वारा एसएजीवाई की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि उनकी संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में बदलाव करने सहित कठिनाइयों की पहचान की जा सके, उनकी निगरानी, समीक्षा की जा सके, एक-दूसरे से सीख ले सकें तथा जहां आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके। एनएलसी की चौथी बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी जिसमें इन मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया था कि वे इस योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण सहज तालमेल सुनिश्चित करने के लिए अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन का एसएजीवाई ग्राम पंचायतों को पूरा लाभ दें।
- राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे कार्यान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा करने तथा राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों की योजनाओं के बीच सुगम तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति (एसएलइसी) की बैठकें आयोजित करें।
- मंत्रालय ने 17वीं लोक सभा के नव निर्वाचित संसद सदस्यों के लिए एसएजीवाई के संबंध प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया। ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा है जिसमें उन्हें संसद सदस्यों के प्रबोधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस तरह की प्रबोधन कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए कहा गया है।
- मंत्रालय, वीडिपी तैयार करने तथा योजनाओं के तालमेल के प्रति पहल के संबंध में राज्य के उन प्रभारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देता है जो स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन में समन्वय कर रहे हैं और वीडिपी के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं। राज्य नोडल अधिकारियों, राज्य के प्रशिक्षकों के समूह तथा एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के प्रभारी अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के माध्यम से आवधिक रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर एसएजीवाई की वेबसाइट (<http://saanjhi.gov.in>) पर एक अलग वेब आधारित एमआईएस उपलब्ध है। योजना से संबंधित और अधिक प्रासंगिक सूचना के साथ इस वेबसाइट को बेहतर बनाया गया है ताकि आम जनता विस्तृत रूप में इसे देख सके। इस

वेबसाइट में योजना की प्रगति से संबंधित विस्तृत सूचना, विस्तृत रिपोर्टें, ग्राफ तथा मानचित्र हैं। इसके अलावा, यह पोर्टल मिशन अंत्योदय की वेबसाइट से भी जुड़ा हुआ है जिसमें गोद ली गई एसएजीवाई ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक ग्राम पंचायत में अवसंरचना सुविधा तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के साथ-साथ उनकी रैंकिंग और कमी की स्थिति उपलब्ध है। इस योजना की निगरानी एमआईएस के माध्यम से की जाती है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्राम विकास योजना में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को नियमित रूप से अद्यतन करते हैं।

- एसएजीवाई वेबसाइट पर एक सांसद डैशबोर्ड तैयार किया गया है जिसमें संसद सदस्य की प्रमुखता अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। माननीय संसद सदस्य इसमें लॉग इन कर सकते हैं और चयनित ग्राम पंचायत की प्रगति देख सकते हैं और उसकी समीक्षा कर सकते हैं। माननीय संसद सदस्य प्रगति का आकलन करने के लिए मिशन अंत्योदय स्कोर देख पाएंगे तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर पाएंगे।

- ग्राम पंचायतों की परिवर्तनशील रैंकिंग के मानदंड हाल ही में तैयार किए गए हैं और पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं जिससे कि चयनित एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जा सके।

- एसएजीवाई के लिए एक तालमेल टूलकिट विकसित किया गया है जिसमें 127 केंद्रीय योजनाओं, 1924 राज्य योजनाओं, 100% संतुष्टि मोड पर 7 योजनाओं को और स्वतंत्र निधियों वाली 2 योजनाओं से संबंधित जानकारी कार्यक्रम पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में जानकारी एसएजीवाई की वेबसाइट से देखी जा सकती है।

- योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए तथा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संसद सदस्यों और सरकारी अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर संपर्क के लिए माननीय संसद सदस्यों के निजी सचिवों/प्रतिनिधियों के लिए आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के संबंध में एक अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसके अलावा, मंत्रालय ने एनआईआरडी एंड पीआर की सहायता से माननीय संसद सदस्यों के प्रतिनिधियों के लिए एक वर्चुअल वर्कशॉप भी आयोजित की है, ताकि एसएजीवाई को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उनसे बहुमूल्य फीडबैक लिया जा सके।

- एसएजीवाई और इसके एमआईएस पर प्रभारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए 06 से 08 जनवरी, 2022 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि डाटा नियमित रूप से भरा जा सके और इसकी प्रभावी तरीके से निगरानी की जा सके।

3. अभी तक हुई प्रगति

"सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य माननीय संसद सदस्यों के समग्र मार्गदर्शन में कार्यक्रमों के तालमेल के माध्यम से चयनित ग्राम पंचायतों का सम्पूर्ण विकास करना है। इस संदर्भ में 27 जनवरी 2022 तक सांसद आदर्श ग्राम योजना की स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:

एसएजीवाई I की स्थिति (2014-19)							
क्र.सं.	चरण	एसएजीवाई ग्राम पंचायतों की संख्या	वीडीपी अपलोड करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	वीडीपी की प्रगति को अद्यतन करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	नियोजित परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रगति अधीन परियोजनाओं की संख्या
1	चरण-I (वर्ष 2014-16)	703	689	672	41099	27954	3290
2	चरण-II (वर्ष 2016-18)	502	431	396	21647	15743	1191
3	चरण-III(वर्ष 2018-19)	305	245	227	9044	6482	639
	कुल	1510	1365	1295	71790	50179	5120
एसएजीवाई II की स्थिति (2019-2024)							
1	चरण-IV (वर्ष 2019-20)	454	319	220	9828	4200	1185
2	चरण-V (वर्ष 2020-21)	252	143	70	4586	1146	571
3	चरण-VI (वर्ष 2021-22)	152	64	18	1727	179	187
	कुल	858	526	308	16141	5525	1943

सात. दिशा समितियों की भूमिका

7.2 बैठकों के आयोजन में दिशा के प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और संबंधित अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग

द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में विस्तार से निम्नवत बताया:

"ग्रामीण विकास मंत्रालय दिशा-निर्देशों के अनुसार दिशा बैठकों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठा रहा है। विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में दिशा समिति की बैठकों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में सचिव (ग्रा.वि.) ने अपने दिनांक 3 मार्च, 2021 के पत्र संख्या क्यू-13016/03/2021-दिशा के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे जिला कलेक्टरों को निदेश दें कि वे बैठकों में जिले के सभी विभाग प्रमुखों की पूर्ण उपस्थिति के साथ दिशा समिति की नियमित बैठकें सुनिश्चित करें। हाल ही में, सचिव (आरडी) ने राज्यों के मुख्य सचिवों को 7 सितम्बर, 2021 के पत्र के माध्यम से इस बात पर जोर दिया है कि दिशा समिति जमीनी स्तर पर केन्द्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन पर संसदीय निगरानी रखने हेतु मंच है और इसलिए इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर दिशा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करना और इन समितियों को सौंपे गए कार्यों पर समय से अनुवर्ती कार्रवाई करना आवश्यक है।

हाल ही में, सचिव (ग्रामीण विकास) ने दिनांक 20 जनवरी, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से राज्यों के मुख्य सचिवों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में दिशा बैठकें आयोजित करने में प्रदर्शन को रिकार्ड करना दिशा समिति के कामकाज में सुधार के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। इस पत्र की एक प्रति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और एलबीएसएनएए को भी भेजी गई है।

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी इंटरफेस को मजबूत करने के लिए, 11 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा दिशा डैशबोर्ड की शुरुआत की गयी है। दिशा एप्लिकेशन, दिशा हितधारकों के लिए सहभागी मंत्रालयों/विभागों के सभी चयनित कार्यक्रमों/ योजनाओं के संबंध में सूचना का एकल स्रोत है। वर्तमान में दिशा डैशबोर्ड पर 44 योजनाओं से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं।

इस प्रकार, दिशा समिति के कार्य को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और यह अनुमान है कि लगातार अनुरोध के साथ इन प्रयासों से निश्चित रूप से दिशा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के लिए जिला अधिकारियों को संवेदनशील बनाने में मदद मिलेगी।

आठ. योजनाओं के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाना

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं:

- कोविड-19 के प्रसार के कारण अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धारित कार्यकलाप काफी हद तक प्रभावित हुए।
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा किस्तों (अर्थात् आवंटन का 25%) में निधियां जारी करने पर प्रतिबंध लगाया जाना।
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार निधियां जारी करने की नई पद्धति का कार्यान्वयन।

8.2 योजनाओं की प्रगति की धीमी गति और राज्यों के कार्य-निष्पादन के खराब स्तर में सुधार लाने हेतु विभाग द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:

"डीएवाई-एनआरएलएम:- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र, वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से निधियां जारी करने के लिए नियमित रूप से निदेश दिए जा रहे हैं। विभिन्न बैठकों के माध्यम से राज्य के निष्पादन की भी समीक्षा की जाती है। योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान व्यय करने के लिए पीएफएमएस प्लेटफार्म पर डीएवाई-एनआरएलएम की उपयोगिताओं की मैपिंग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की गई है।

डीडीयू-जीकेवाई:- जमीनी स्तर पर इस योजना के निष्पादन के लिए विभिन्न कार्यकलापों में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

आरएसईटीआई:- जमीनी स्तर पर इस योजना के निष्पादन के लिए विभिन्न कार्यकलापों में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/अग्रणी बैंकों के साथ इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

मनरेगा:- महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित योजना है। स्वीकृत श्रम बजट एक प्रत्याशित मांग है। योजना में इस तरह का कोई लक्ष्य नहीं है।

पीएमएवाई-जी:- प्रभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

क. विभिन्न स्तरों पर आवधिक समीक्षा करना - योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं और उसके निवारण पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा की जा रही है।

ख. खराब केपीआई वाले राज्यों/ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अलग-अलग समीक्षा करना।

ग. माह-वार लक्ष्य का आबंटन करना और काम पूरा होने की अपेक्षित दर और समय-सीमा निर्धारित करना ।

घ. भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

ङ. राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर शिकायतों के तत्काल निवारण के लिए ई-टिकटिंग मॉड्यूल का कार्यान्वयन करना।

च. निधि जारी करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।

पीएमजीएसवाई:- यह योजना अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और ऐसी उम्मीद है कि 50,000 कि.मी. सड़क कार्यों को पूरा करने का वास्तविक लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। चूंकि पीएमजीएसवाई-I और II को सितंबर 2022 तक समाप्त कर दिया जाना है, इसलिए शेष कार्यों को राज्यों द्वारा उस अवधि तक पूरा किया जाना है और उन्हें इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। उसके बाद लंबित किसी भी कार्य को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाएगा।

पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान योजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति, जैसा कि नीचे दिया गया है, यह दर्शाती है कि कोविड महामारी के बावजूद योजना अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है:-

वर्ष	लंबाई (कि.मी.)		बसावट (संख्या)		राज्य अंश सहित व्यय (करोड़ रु. में)
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
2019-20	50,097	27,305	9,721	4,151	21,774
2020-21	46,164	36,677	3,273	2,589	23,912
2021-22 (24.01.2022 की स्थिति के अनुसार)	50,000*	23,318	2,025**	811	20,282

* इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पीएमजीएसवाई-I और II को पूरा करने की समय-सीमा पहले 31 मार्च, 2022 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब उसे आगे बढ़ाकर सितंबर, 2022 कर दिया गया, इसलिए आंकड़े को बदलकर अब 50,000 कि.मी. कर दिया गया है। तदनुसार, इन दोनों घटकों के लंबित कार्यों को अगले वित्तीय वर्ष तक भी आगे बढ़ाया गया है। राज्य के परामर्श से राज्य-वार लक्ष्य को संशोधित किया जा रहा है।

** आंकड़े को संशोधित करते हुए 3,037 से 2,025 कर दिया गया है।

एसपीएमआरएम:- मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, विशेषरूप से पिछड़ रहे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मिशन के कार्यकलापों की प्रगति को फिर से बहाल करने के लिए कई कदम उठा रहा है।

मंत्रालय केंद्र के हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले किसी भी मुद्दे को हल करने में हुई प्रगति की समीक्षा और उसमें सहायता करने के लिए राज्यों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। संयुक्त सचिव से लेकर राज्य के प्रधान सचिव/सचिव (ग्रामीण विकास), सचिव से लेकर मुख्य सचिव, मंत्री (ग्रामीण विकास) से लेकर मुख्य सचिव इत्यादि को अलग-अलग स्तर पर पत्र भेजे गए हैं। माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास) ने सभी सांसदों को एसपीएमआरएम कार्यकलापों को प्राथमिकता देने के लिए पत्र लिखा है। मंत्रालय ने चुनौतियों को समझने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ परामर्श भी किया है। प्रभाग ने राज्यों से एसपीएमआरएम के लिए सभी जिलों में एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

मंत्रालय सभी राज्यों में मिशन की प्रगति में तेजी लाने और फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए राज्य के साथ विभिन्न स्तर की समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है।

एनआईआरडी एंड पीआर:- जमीनी स्तर पर योजना के निष्पादन के लिए विभिन्न कार्यकलापों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस मामले पर एनआईआरडी एंड पीआर के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। एसआईआरडी/ईटीसी से आवर्ती अनुदानों के लिए दावे प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया है। गैर-आवर्ती अनुदान प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध पत्र भी तैयार किया जा रहा है। अनुरोध प्राप्त होने के बाद गैर-आवर्ती अनुदान जारी किए जाएंगे जिससे निधियों की रिलीज की स्थिति में सुधार हो सकता है।"

नौ. योजना पर कोविड महामारी का प्रभाव

"डीएवाई- एनएलआरएम

एक. कोविड महामारी, मई-जून 2020 के दौरान प्रतिक्रिया: महामारी के प्रकोप के बाद से मिशन द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

क. एसआरएलएम को जागरूकता पैदा करने, सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए जन एकत्रीकरण, बुजुर्गों की देखभाल, प्रतिरक्षा हासिल करना, भ्रांतियां दूर करने, प्रवासियों के मानसिक सामाजिक मुद्दों, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने, एसएचजी नेटवर्क के माध्यम से आरोग्य सेतु ऐप को बढ़ावा देने के बारे में विभिन्न एडवाइजरी जारी की गई थी।

ख. मिशन एसएचजी नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में कोविड-19 रोकथाम उपायों और टीकाकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है। इस संबंध में, पाँच लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को मास्टर-प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इन मास्टर-प्रशिक्षकों ने 5.6 करोड़ एसएचजी सदस्यों को कोविड अनुकूल व्यवहार के बारे में प्रशिक्षित किया है।

ग. पहली कोविड -19 लहर की शुरुआत से ही लगभग 3 लाख एसएचजी सदस्य 23.7 करोड़ से अधिक फेस मास्क का उत्पादन करने के लिए एक साथ आए। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने 4.79 लाख लीटर सैनिटाइज़र और लगभग 1.02 लाख लीटर हैंड वॉश के उत्पादन में भी मदद की है। इसके अलावा, 5.72 करोड़ से अधिक लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन परोसा गया।

2. 2021 में कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिक्रिया: मिशन एसएचजी नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में कोविड -19 निवारक उपायों और टीकाकरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में शामिल रहा है।

अप्रैल-मई, 2021 के दौरान, कोविड -19 अनुकूल व्यवहार, कोविड -19 वैक्सीन, अच्छे स्वास्थ्य के अनुरूप आचरण और प्रतिरक्षा निर्माण उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया गया। स्वास्थ्य के अनुरूप व्यवहार और प्रतिरक्षा निर्माण उपायों पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल डीएवाई-एनआरएलएम के तहत विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत एफएनएचडब्ल्यू कार्यकलापों, पात्रता, बीमा, संक्रमण की रोकथाम, प्रतिरक्षा निर्माण के उपायों और कर्मचारियों और संवर्ग की भूमिका को शामिल करते हुए ग्रामीण समुदाय में अच्छे स्वास्थ्य के अनुरूप आचरण को बढ़ावा देना है।

मनरेगा:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 389 करोड़ श्रम दिवस थे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 190.65 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए।

पीएमएवाई-जी:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को 2024 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत, 90/ 95 दिनों की अकुशल मजदूरी देने के लिए मनरेगा योजना के साथ अनिवार्य तालमेल किया गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दूसरे दौर के दौरान जारी अपने दिशा-निर्देशों के तहत 20 अप्रैल, 2020

से अतिरिक्त कार्यकलापों की अनुमति दी थी, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम शामिल थे, जिसमें सामाजिक दूरी का कड़ाई से कार्यान्वयन और मास्क का उपयोग शामिल था। चूंकि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यकलापों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, इसलिए पीएमएवाई-जी के तहत मकानों का निर्माण सामाजिक दूरी के सख्त कार्यान्वयन और कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क का उपयोग करते हुए किया जा रहा है।

पीएमजीएसवाई: विभिन्न जागरूकता अभियानों के अलावा मंत्रालय ने राज्यों को कम से कम समय में विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति देने का प्रयास किया है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सके और प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो सके।

एनएसएपी: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2020 और मई, 2020 में दो किस्तों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता की योजनाओं के वर्तमान वृद्ध, विधवा और विकलांग/दिव्यांग जन लाभार्थियों के लिए दो किस्तों में (प्रत्येक किस्त में 500 रुपये) 1000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए कुल 2814.50 करोड़ रुपये रिलीज किए गए थे। एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां छमाही आधार पर 02 किस्तों में रिलीज की जाती हैं तथापि, वर्ष 2020-21 से महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निधियां तिमाही आधार पर रिलीज की जा रही हैं।

एसपीएमआरएम: अप्रैल से जून, 2021 के दौरान कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यों की गति अत्यधिक प्रभावित हुई। कोविड-19 महामारी में जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यकलापों को प्रभावित किया और इससे कई राज्य अधिकारी सीधे तौर पर प्रभावित हुए जिससे प्रशासनिक कार्यकलापों जैसे डीपीआर निर्माण, कार्यों के टेंडर करने, प्रशासनिक स्वीकृति (एएस), तकनीकी स्वीकृति (टीएस)/वित्तीय स्वीकृति (एफएस) आदि के लिए रिलीज में देरी हुई। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी से क्लस्टर स्तर पर कार्यकलापों का समय पर पूर्ण होना प्रभावित हुआ।

भाग - दो

समिति की टिप्पणियां / सिफारिशें

वार्षिक बजटीय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवंटन की मांग करते हुए दिनांक 08.02.2022 को अपनी मांग संख्या 87 रखी। विभागों से सम्बद्ध ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने अपने अधिदेश के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों की गहन जांच की है और विभाग के संज्ञान हेतु कतिपय टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं। इसका विस्तृत ब्यौरा अनुवर्ती पैराग्राफ में दिया गया है:-

1. उच्च निधि आबंटन

ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) पर एक बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह एक ऐसे वातावरण का निर्माण और विकास करें जिसमें देश के कोने कोने में रहने वाली विशाल ग्रामीण आबादी का समग्र विकास हो सके। ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास, ग्रामीण संपर्क और ग्रामीण आजीविका कुछ ऐसे विषय हैं जिनपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमारे जैसे समृद्ध विरासत वाले देश का 'विकासशील' से 'विकसित' होना तब तक संभव नहीं है जब तक गांवों में रहने वाली देश की अधिकतम आबादी अपने शहरी समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न चले। समिति इस विचार से सहमत है और देश में ग्रामीण विकास के महत्व को स्वीकार करती है। तथापि इस परिदृश्य में समिति यह नहीं समझ पा रही है कि विभाग किस प्रकार से निधियों की मांग कर रहा है/ प्राप्त कर रहा है जो कि प्रथम दृष्टया ग्रामीण प्रगति की सतत गति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2021-22 के लिए बजट अनुमान (बीई) 1.31 लाख करोड़ रुपये था जो संशोधित अनुमान चरण में बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो गया और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मांगा गया बजटीय आवंटन 1.35 लाख करोड़ रुपये है, जो मात्र 3.36% की वृद्धि है। समिति विशेष रूप से मनरेगा के मामले को नोट करती है, जिसमें 2022-23 के लिए बीई को 73,000 /- करोड़ रुपये ही रखा गया है जो 2021-22 के समान है, जबकि मनरेगा के लिए चालू वित्त वर्ष में आरई को बढ़ाकर 98,000 /- करोड़ रुपये किया गया है। समिति इस स्थिति से क्षुब्ध है और इतनी कम निधि के कारण ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की गति पर चिंता व्यक्त करती है। अतः, समिति डीओआरडी को अपनी गणना पर पुनर्विचार करने और बजट की कमी के कारण ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं की गति में तेजी लाने के लिए अधिक निधियों के आबंटन हेतु वित्त मंत्रालय से संपर्क करने की सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्रम सं. 1)

2. अव्ययित शेष राशि का उपयोग करना

आबंटित निधियों के व्यय से जुड़ी एक समस्या गैर-विवेकपूर्ण दृष्टिकोण है जिसके परिणामस्वरूप डीओआरडी की लगभग सभी योजनाओं में अत्यधिक अव्ययित शेष राशि है। समिति खेद के साथ यह नोट करती है कि 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार एनआरएलएम में 2,524 करोड़ रुपये और डीडीयू-जीकेवाई में 2,504.98 करोड़ रुपये अव्ययित हैं, जबकि प्रमुख योजनाओं जैसे मनरेगा में 491.28 करोड़ रुपये (28.01.2022 की स्थिति के अनुसार) और पीएमजीएसवाई में 4,860.15 करोड़ रुपये (24.01.2022 की स्थिति के अनुसार) अव्ययित शेष राशि है। यद्यपि समिति अव्ययित शेष के मुद्दे में आ रही विभिन्न समस्याओं और इससे निपटने और इसका समाधान करने के लिए किए गए उपायों को नोट करती है तथापि समिति एक ओर विभाग के लिए निधि के आबंटन में थोड़ी बहुत वृद्धि करने और दूसरी ओर मजदूरी और सामग्री संबंधित देयता के अनुसार मनरेगा जैसी योजनाओं में मौजूदा लंबितता या पीएमएवाई-जी में किशतों में विलंब और समग्र निधि का उपयोग न होने के कारण असमंजस में है। ऐसी स्थिति जिसमें लाभार्थियों को उनकी मजदूरी या किशतों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिसके कारण अव्ययित शेष बढ़ जाता है जो स्वीकार्य नहीं है। अतः, समिति डीओआरडी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि विभिन्न योजनाओं में गरीबों और समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से उपयोग किया जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 2)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

3. ग्राम पंचायत स्तर पर मस्टर रोल भरना

समिति ने नोट किया कि मनरेगा के श्रमिकों को मजदूरी का समय पर भुगतान करने के लिए कार्य आदेश जारी होने के बाद मस्टर-रोल को तत्काल ऑनलाइन भरना आवश्यक था। समिति ने अपने अध्ययन दौरों और सदस्यों के व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से समझा है कि अक्सर रोजगार सेवक शुरू में कच्चा मस्टर भरते हैं और मस्टर-रोल की ऑनलाइन अपलोडिंग के लिए सप्ताह में एक बार ब्लॉक जाते हैं। इससे मनरेगा लाभार्थियों पर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि मस्टर अपलोडिंग में विलंब के कारण मजदूरी के भुगतान में विलंब होता है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां मस्टर-रोल को अद्यतन नहीं किया जाता है और निर्धारित समय के भीतर अपलोड नहीं किया जाता है और इसे पिछली तारीख या पिछले सप्ताह से नहीं भरा जा सकता है जिससे भुगतान के लिए गणना में श्रमिकों द्वारा किए गए कई दिनों के काम की संख्या कम हो जाती है। जमीनी स्तर पर इस विसंगति के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार है। पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने का तर्क ग्राम पंचायतों को इंटरनेट

उपलब्ध कराने के भारत-नेट के प्रावधान के के आगे नहीं टिकता है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि मनरेगा से जुड़े जमीनी स्तर के अधिकारियों के दुलमुल रवैये पर दृढ़ता से कार्रवाई की जाए और ग्राम पंचायत स्तर पर मस्टर न भरने के लिए दिए गए बहानों को स्वीकार न किया जाए। इसलिए, समिति ग्रामीण विकास विभाग से पुरजोर अनुरोध करती है कि वह ग्राम पंचायत स्तर पर ही मस्टर भरना अनिवार्य बनाएं विशेष रूप से उन ग्राम पंचायतों को जो भारत-नेट से जुड़े हुए हैं। समिति को इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों से अवगत कराया जाए ।

(सिफारिश क्रम सं. 3)

4. मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी और सामग्री लंबितता

मनरेगा जैसी मांग आधारित योजना जिसका सांविधिक दर्जा है और जिसका उद्देश्य निराश्रित और हाशिए पर रहने वाले ऐसे लोगों जिनके पास कोई अन्य 'भरोसेमंद' विकल्प नहीं है, के लिए किसी प्रकार की आजीविका सुनिश्चित करना है, का उद्देश्य विफल हो जाता है यदि लंबित मजदूरी के रूप में 4,060 करोड़ रुपये शेष हैं। आश्चर्य की बात यह है कि सामग्री घटक के रूप में 9,000/- करोड़ रुपये लंबित हैं। समिति इन आंकड़ों को देखकर चिंता व्यक्त करती है कि जब मनरेगा के दोनों पहलू अर्थात् योजना की मांग आधारित प्रकृति और योजना के अंतर्गत आस्तियों के सृजन दोनों ऐसी लंबितता के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इस तरह के मौजूदा परिदृश्य के बाद भी, मनरेगा के लिए बीई में डीओआरडी द्वारा मांगे गए 78,000 /- करोड़ रुपये को घटाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 73,000 /- करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस तरह के विलंब के कारण होने वाली कोई भी प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक चूक पूरी तरह से अवांछित है और इतनी बड़ी योजना के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि डी ओ आर डी योजना के वित्तीय प्रबंधन में तेजी लाई जाए और जमीनी स्तर पर मनरेगा के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि मजदूरी और सामग्री घटक की लंबितता को यथाशीघ्र दूर किया जा सके।

(सिफारिश क्रम सं. 4)

5. अनुमेय कार्यों के दायरे का विस्तार

चर्चा के दौरान समिति के समक्ष मनरेगा के अंतर्गत 'अनुमेय कार्यों' की समीक्षा करने और उनके दायरे को बढ़ाए जाने की मांग होती रही है ताकि कुछ समकालिक आवश्यक क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सके । एक ऐसा ही मुद्दा देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 'लैंडस्पर्स' का निर्माण करना था ताकि प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित कई एकड़ भूमि को बचाया जा सके। ये लैंडस्पर्स मैदानी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाली बाढ़ के दौरान भूमि के अपरदन/कटाव को रोकते हैं । न केवल इस अवसंरचना अपितु कई अन्य उल्लेखनीय कार्यों

जैसे खेतों की चहारदीवारी करना और कृषि श्रम सहित कई कृषि संबंधी कार्यकलापों पर मनरेगा के अनुमेय कार्यों के अंतर्गत समावेशन हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है। अतः समिति दृढ़ता से यह आग्रह करती है कि डीओआरडी द्वारा लैंडस्पर्स, खेतों की चहारदीवारी, कृषि श्रम संबंधी कार्यकलापों को समय की आवश्यकता को देखते हुए मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यों में शामिल किए जाने के मामले पर विचार किया जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 5)

6. दुर्घटना क्षतिपूर्ति में वृद्धि

समिति को मनरेगा के अंतर्गत उन श्रमिकों जो कार्यस्थल पर दुर्घटना का शिकार होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है, को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साक्ष्य के दौरान, डीओआरडी के सचिव द्वारा यह बताया गया कि बीमा घटक के माध्यम से मनरेगा कार्य स्थल पर कार्य करते समय दुर्घटना के पीड़ितों को दो लाख की बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जा रहा है। समिति का मानना है कि मनरेगा के लाभार्थी समाज के बहुत गरीब और हाशिए पर रहने वाले वर्गों से संबंधित हैं जो अपने अधिकारों और लाभों से बेखबर हैं और अपनी बात कह नहीं पाते हैं। समिति को ऐसे दुर्घटना पीड़ितों को बहुत कम राशि का भी भुगतान न करने की निराशाजनक जमीनी हकीकत से भी अवगत कराया गया और यह भी अवगत कराया गया कि इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वस्तुस्थिति और मनरेगा मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, समिति महसूस करती है कि मनरेगा के तहत मौजूदा प्रावधान के अलावा दो लाख रुपये मुआवजे की राशि दुर्घटना पीड़ितों के परिजनों को तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए और डीओआरडी को संशोधित प्रावधानों के अनुसार और मानवीय दृष्टिकोण के साथ कम भुगतान के मुद्दे का निवारण करने के लिए कहा जाना चाहिए।

(सिफारिश क्रम सं. 6)

7. वृक्षारोपण से आय का प्रावधान

हरित पहल के हिस्से के रूप में और राजमार्गों के किनारे भूमि के बंजर क्षेत्रों के उपयोग के लिए वृक्षारोपण और उनके रखरखाव के लिए प्रावधान मौजूद है। हालांकि, वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। वर्तमान मानदंडों में मात्र एक परिवर्तन के द्वारा ही आय उपार्जन वृक्षारोपण से हरियाली भी रहेगी और आय भी होगी। समिति ने सर्वसम्मति से महसूस किया कि यह विवेकपूर्ण है कि ऐसे स्थलों पर फल देने वाले पेड़ लगाए जाएं ताकि आय का एक स्रोत हो जो सार्वजनिक संपत्तियों के रखरखाव और अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए निधि का उपयोग करने में स्थानीय अधिकारियों की सहायता कर सकता है। इसलिए, समिति डीओआरडी को

मनरेगा कार्यों के माध्यम से सड़कों के किनारे आय उपाजन करने वाले पेड़ों के अनिवार्य रोपण हेतु प्रावधान को संशोधित करने की सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्रम सं. 7)

8. मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि

मनरेगा से संबंधित समिति की निरंतर चिंता मजदूरी में वृद्धि की रही है। इस संबंध में कई सिफारिशों के बावजूद, डीओआरडी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। जबकि डीओआरडी हमेशा हर वित्तीय वर्ष में मजदूरी के संशोधन की अपनी नियमित प्रतिक्रिया दोहराता रहा है, लेकिन वास्तव में, संशोधन किए जाने की जरूरत है। चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण परिवेश, बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ गयी है और यह सर्वविदित है। इस समय भी मनरेगा की अधिसूचित मजदूरी दर जो कई राज्यों में प्रति दिन लगभग 200/- रु. है किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है जब उसी राज्य में श्रम दर बहुत अधिक होती है। यह समझ से बाहर है कि मनरेगा के तहत मजदूरी को अभी भी मौजूदा मुद्रास्फीति के अनुरूप उपयुक्त सूचकांक से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों से मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि की मांग से अवगत होते हुए समिति ने स्पष्ट रूप से डीओआरडी से अपने रुख पर फिर से विचार करने और मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आग्रह किया है।

(सिफारिश क्रम सं. 8)

9. मनरेगा के तहत कथित कदाचार की निगरानी

समिति को यह नोट करते हुए खेद है कि मनरेगा एक अद्वितीय सामाजिक कल्याण योजना है जिसमें फर्जी जॉब कार्ड, निधियों की अनियमितता, मशीनों के अनुचित उपयोग आदि जैसे कुछ कदाचार पाए जाते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है कि जमीनी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन से जुड़े बेईमान तत्वों की मिलीभगत के कारण पैसा वास्तविक मजदूरों को ना मिलकर गलत हाथों में पहुंच जाता है। समिति को मनरेगा साइट पर काम करने वाले वास्तविक मजदूरों की अनुपलब्धता के बारे में सूचित किया गया था, जबकि कागज पर मजदूरों को उपस्थित दिखाया गया था। कुछ लोगों के हाथों में योजना को पूरी तरह से खराब होने से बचाने के लिए इस तरह की अनुचित गतिविधियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। हालांकि, विभाग योजना के कई निगरानी तंत्रों का दावा करता है, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों पर हर बार 'आरोप मढ़ने' के बजाय, डीओआरडी को योजना से जुड़े कदाचार को दूर करने के लिए योजना की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कुछ ठोस उपाय करने चाहिए। इसलिए, समिति वास्तविक मनरेगा लाभार्थियों के लाभ के लिए प्रत्येक अधिकारियों की जवाबदेही और उल्लंघनकर्ताओं को दंड देने को प्रावधान को शामिल

करते हुए निगरानी तंत्र को सख्त बनाने और इसे लागू करने के लिए डीओआरडी से दृढ़ता से अनुशंसा करती है। (सिफारिश क्रम सं. 9)

10. जाति आधारित भुगतान प्रावधान की समीक्षा

मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 की जांच के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य यानी मनरेगा लाभार्थियों को जाति के आधार पर प्राथमिकता क्रम में पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और इसके बाद अन्य को भुगतान किए जाने का पता चला। इस तरह के खुलासे से समिति स्तब्ध रह गई। न तो यह तर्कसंगत है और न ही विवेकपूर्ण। यह तर्क समिति की समझ से परे है। मनरेगा की योजना की उत्पत्ति एक वैधानिक स्रोत, यानी मनरेगा अधिनियम, 2005 से हुई है। इस तरह के प्रावधान का अधिनियम में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और सभी मनरेगा लाभार्थियों के साथ समान व्यवहार करने के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है जो अति निंदनीय है। समाज के विभिन्न वर्गों में मनरेगा के लाभार्थियों में केवल एक बात समान है, अर्थात् वे गरीब, निराश्रित हैं और उनके पास जीवनयापन हेतु मनरेगा के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस प्रकार, वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और किसी भी धर्म/जाति से आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी भुगतान प्रणाली जिसमें एक विशिष्ट समुदाय को केवल जाति के आधार पर दूसरे की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, केवल आक्रोश को जन्म देगा और मनरेगा के लाभार्थियों के बीच दरार पैदा करेगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि योजना के तहत काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक, जाति से परे, मनरेगा द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान प्राप्त करें, 2021-22 से शुरू हुई इस प्रथा का तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, समिति ने सर्वसम्मति से डीओआरडी को जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना एकल फंड ट्रांसफर ऑर्डर के पुराने तंत्र को बहाल करने की सिफारिश की ताकि मनरेगा की कल्याण उन्मुख योजना जाति के आधार पर विभाजित न हो। (सिफारिश क्रम सं. 10)

11. सामग्री घटक भुगतान के लिए एमपीलैड्स फंड का उपयोग करना

समिति, सदस्यों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में मनरेगा के तहत कार्यों में तेज़ी लाने के लिए एमपीलैड्स से अपने धन को स्थानीय स्तर पर चल रही परियोजनाओं के भौतिक घटक के साथ जोड़ने में सामने आ रही प्रक्रियात्मक बाधाएँ को नोट करती है। ज़्यादातर मनरेगा के तहत चल रही परियोजनाएं पर्याप्त निधि घटक जारी न करने के कारण विशेष रूप से धन के 40%

अनुपात के तहत सामग्री घटक जारी करने में देरी के कारण रुक जाती हैं। निधियों को इसमें मिलाने का विचार वास्तव में सदस्यों की ओर से एक नेक दृष्टिकोण है जिसे प्रक्रियात्मक कदमों को सुगम बनाकर प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है। इसलिए, समिति डीओआरडी से संसद सदस्यों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखने और राज्य/जिला स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह करती है ताकि सदस्यों की निधियों को इसमें सरलता से जोड़ा जा सके और रुकी हुई परियोजनाओं को बेहतर रूप से तेज गति देने के लिए इनका उपयोग किया जा सके।

(सिफारिश क्रम सं. 11)

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

12. पीएमएवाई-जी के तहत वास्तविक लाभार्थियों का पता लगाना

डीओआरडी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीएमएवाई-जी के तहत 'सभी के लिए आवास' विजन की प्राप्ति को विभिन्न कारणों से मार्च, 2022 से मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, बचे हुए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण का डेटा भी संकलित किया गया है और सभी औपचारिकताओं के बाद, नए लाभार्थियों के अंतिम आंकड़े जमा कर लिए गए हैं। स्थायी प्रतीक्षा सूची में बचे हुए लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें जोड़ने हेतु विभाग सही दिशा में कदम उठा रही है। हालाँकि, एक प्रासंगिक मुद्दा जिससे योजना शुरुआत से ही जूझ रही है, वह वास्तविक लाभार्थियों/वास्तविक जरूरतमंद बेघर या कच्चे घर में रहने वालों की पहचान में आने वाली चुनौतियाँ हैं। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन को देखने के लिए समिति द्वारा बार-बार किए गए अध्ययन दौरों ने एक निराशाजनक परिदृश्य का बार-बार खुलासा किया गया है जिसमें पीएमएवाई-जी के माध्यम से सहायता का लाभ प्राप्त करने वाले ऐसे लाभार्थी सामने आए हैं जो एक वास्तविक लाभार्थी होने के उनके दावों को झूठा साबित करते हुए पहले से ही समृद्ध हैं और जिन्होंने महंगे घर बनाए हैं। इस तरह की घटनाओं से समिति हैरान रह गई। इस तरह की घटनाओं की संख्या अत्यधिक थी। सूची तैयार करने, सूची में लाभार्थियों को जोड़ने/हटाने के समय जमीनी स्तर पर प्रयोग किए गए। विवेकाधिकार में निहित स्वार्थ होते हैं, जो शायद स्थानीय पूर्वाग्रहों और राजनीति से प्रेरित होता है। इस प्रकार, कुछ लोगों के निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनके महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को संतुष्ट करने से वास्तविक और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए बनाई गई योजना का उद्देश्य विफल हो जाता है, क्योंकि वे पीएमएवाई-जी के लाभों से वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा, समिति यह भी महसूस करती है कि संपूर्ण बेघर ग्रामीण आबादी को शामिल करने के लिए घरों की संख्या को मौजूदा 2.95 करोड़ से बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए, आम जनता और वास्तविक लाभार्थियों के व्यापक हित में, समिति डीओआरडी से पुरजोर अपील करती है कि पीएमएवाई-जी के तहत वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए सभी त्रुटिपूर्ण सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करे साथ ही लाभार्थियों के लक्ष्य को मौजूदा 2.95 करोड़ से बढ़ाया जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 12)

13. पीएमएवाई-जी के तहत प्रति यूनिट सहायता में वृद्धि

समिति नोट करती है कि 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के साथ पीएमएवाई-जी की समय सीमा मार्च, 2024 तक बढ़ा दी गई है। बताया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी हो गई हैं ताकि लाभार्थियों की सूची को अद्यतन किया जा सके। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति यूनिट सहायता रु. 1.2 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए रु 1.3 लाख है जो काफी समय से बढ़ाई नहीं गई है। बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ कच्चे माल, परिवहन लागत, श्रम लागत आदि से जुड़े लागत कारक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस सहायता राशि से गरीबों और जरूरतमंद लाभार्थी के लिए पीएमएवाई-जी के तहत अपेक्षित क्षेत्र का एक नया घर बनाना भारी प्रतीत होता है। "सभी के लिए आवास" का सपना तब तक साकार नहीं हो सकता है जब तक कि लाभार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता और यथोचित सहायता प्रदान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें वित्तीय अभाव के कारण मकान निर्माण कार्य अधूरे रह जाते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस बात के मद्देनजर समिति को यह अत्यंत आवश्यक लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रति यूनिट सहायता राशि की समीक्षा की जाए, खासकर तब जब योजना को मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया हो। इसलिए, समिति जरूरतमंद लाभार्थियों को आवश्यक सहायता के लिए सहायता घटक में उपयुक्त वृद्धि के माध्यम से पीएमएवाई-जी के तहत प्रति इकाई सहायता को संशोधित करने के लिए डीओआरडी से सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्रम सं. 13)

14. पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-जी में समानता

समिति ने यह पाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के शहरी घटक और ग्रामीण घटक के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में असमानता है। ग्रामीण क्षेत्र में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सहायता राशि क्रमशः रु. 1.2 लाख और रु. 1.3 लाख है जबकि शहरी घटक के तहत सहायता राशि ऋण पर सब्सिडी के माध्यम से रु 2.5 लाख है। यह दृष्टिकोण समझ से परे है और समिति ग्रामीण क्षेत्र में सहायता राशि को शहरी समकक्ष से काफी कम रखने के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के निर्माण में आने वाली चुनौतियां सामग्री और लागत कारक दोनों के मामले में कहीं अधिक हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से हो जाता है यह सर्वविदित है। ग्रामीण क्षेत्र में भी, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण के लिए एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्र की परेशानियां अलग प्रकार की होती हैं जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों से कच्चा

माल लाने के लिए मजदूरों की अनुपलब्धता । अब समय आ गया है कि डीओआरडी पीएमएवाई की दो योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता का वस्तुपरक मूल्यांकन करने सहित, उपयुक्त और तर्कसंगत तरीके से दोनों के बीच की असमानता को कम करे । इसलिए, समिति डीओआरडी को पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-जी के तहत सहायता राशि के बीच कुछ हद तक समानता लाने की सिफारिश करती है। (सिफारिश क्रम सं. 14)

15. भूमिहीनता का मुद्दा

डीओआरडी के आंकड़ों के अनुसार पीएमएवाई-जी की कुल प्रतीक्षा सूची में अब तक चिह्नित किए गए गए कुल 4.46 लाख भूमिहीन लाभार्थियों में से केवल 2.05 लाख (46%) को ही घरों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की गई है। पीएमएवाई-जी की प्रगति को प्रभावित करने और लक्ष्य को पूरा करने में देरी में भूमिहीनता का प्रमुख मुद्दा है । समिति यह भी नोट करती है कि विभाग द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मुख्य सचिव के अधीन एक समिति गठित करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें पीएमएवाई-जी से संबंधित सचिव (राजस्व) और सचिव शामिल होंगे ताकि पीएमएवाई- जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से भूमि आवंटित की जा सके। समिति विभाग द्वारा सकारात्मक दिशा में किए गए प्रयासों को स्वीकार करती है, लेकिन यह भी महसूस करती है कि विचार-विमर्श बहुत लंबे समय तक चल सकता है जिससे भूमिहीन लाभार्थियों को अनावश्यक परेशानी हो सकती है। इस संदर्भ में, समिति ने डीओआरडी की सिफारिश की है कि भूमिहीन लोगों को पीएमएवाई -जी के तहत संबंधित राज्य उनके अपने घर के लिए भूमि सुनिश्चित करने के लिए, एक निश्चित अवधि के भीतर जनहित में नीति तैयार करे ताकि चिह्नित व्यक्तियों को उनके घरों के समय पर निर्माण में तेजी लाने के लिए भूमि आवंटित की जा सके । (सिफारिश क्रम सं. 15)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

16. सड़क की स्थिति का मूल्यांकन - आवधिक

पीएमजीएसवाई जैसा एक प्रमुख कार्यक्रम, निर्माण और राज्यों को सौंपने के बाद खराब रखरखाव की समस्या से बुरी तरह से प्रभावित है। ग्रामीण संपर्क प्रदान करने वाली गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण का पूरा प्रयास खराब रखरखाव के कारण विफल हो जाता है। समिति ने विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं और अध्ययन दौरों के दौरान अपने अनुभवों के माध्यम से इस बात पर ध्यान दिया कि विभिन्न स्थानों पर पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें खराब रखरखाव से प्रभावित होती हैं और आरंभ से ही खराब होने लगती हैं। यह नोट किया गया है कि दिशानिर्देशों में रखरखाव के प्रावधान होते हैं लेकिन उनके अनुपालन के संबंध में और कोई जवाबदेही नहीं होती है। इस तरह की महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में साधनों के उपयोग में

ईमानदारी और पारदर्शिता का सर्वथा अभाव होता है। यहां तक कि विस्तृत निगरानी तंत्र भी विस्तारपूर्वक विहित किया गया है। इसके बावजूद पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव चिंता का कारण बना हुआ है। यह भी देखा गया है कि ठेकेदार अपनी देखरेख में निर्धारित समय के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों पर थोड़ी बहुत मरम्मत का कार्य कर सड़कें सौंप देते हैं। अतः समिति की राय है कि सड़कों का मूल्यांकन निर्माण पूर्ण होने के बाद भी भौतिक रूप से तथा आभासी तकनीकों, जियो-टैगिंग आदि के माध्यम से समय-समय पर किया जाना चाहिए ताकि निर्माण के बाद की वास्तविकता सामने आ सके और दोषी ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जा सके। इस प्रकार, ग्रामीण विकास विभाग से पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के आवधिक और अनिवार्य भौतिक निरीक्षण के लिए विशिष्ट टीमों को निर्धारित करने की सिफारिश की जाती है। (सिफारिश क्रम सं. 16)

17. जिलों को लक्ष्यों का विवेकपूर्ण आवंटन

विचार-विमर्श के दौरान समिति के समक्ष एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक स्थिति उभर कर सामने आई जिसमें राज्यों द्वारा जिलों को सड़कों के लक्ष्य का वितरण समान रूप से नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिलों को लक्ष्यों के आवंटन करने में किसी निश्चित मानदंड का उपयोग नहीं किया जाता है और इस संबंध में राज्यों द्वारा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए जाने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। समिति ने पाया है कि पीएमजीएसवाई का तीसरा चरण इसी समस्या से ग्रस्त है जिसमें कथित तौर पर हर जिले को सड़कों का अपना सही लक्ष्य नहीं दिया जा रहा है। समिति इस तरह की घटनाओं को योजना पर लगे एक धब्बे के रूप में देखती है जिससे एक समान तरीके से वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस संबंध में, समिति राज्य सरकारों में सड़कों के लक्ष्य के आवंटन में शामिल सभी हितधारकों को शामिल करने और आवश्यक संवाद या निवारक उपायों के माध्यम से समन्वय करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग से दृढ़तापूर्वक अनुशंसा करती है ताकि पीएमजीएसवाई का व्यापक लक्ष्य प्राप्त करने का कार्य विफल न हो। (सिफारिश क्रम सं. 17)

18. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पर सख्ती

समिति को संसद सदस्यों (सांसदों) के जमीनी अनुभव के माध्यम से विचार-विमर्श के दौरान सूचित किया गया था कि पीएमजीएसवाई के तहत इष्टतम भार वहन क्षमता वाली सड़कों पर एनएचएआई के 50 टन तक के भारी वाहनों का उपयोग हो रहा है। इतना अधिक वजन पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों को नुकसान पहुंचाता है और इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। एनएचएआई के वाहनों के चलने से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का प्रावधान होने

के बावजूद भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यह मानदंडों का घोर उल्लंघन है और इससे पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनी सड़कों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिसका जल्द से जल्द समाधान करने की आवश्यकता है। ऐसी परस्पर विरोधी स्थिति को देखते हुए, शायद यह उचित होगा कि विभाग मामले को एनएचएआई के साथ सख्ती से उठाए और इस प्रकार समिति पीएमजीएसवाई के मानदंडों के कड़ाई से अनुपालन के लिए एनएचएआई के साथ परिणामोन्मुखी संवाद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग से सिफारिश करती है।

(सिफारिश क्रम सं. 18)

19. पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता देना और जनसंख्या घनत्व के अनुसार सड़कों का निर्माण करना

समिति के समक्ष विचार-विमर्श के दौरान एक अन्य गंभीर चिंता का मुद्दा उठा और वह था गांवों में निर्माण के लिए निर्धारित सड़कों के प्राथमिकता निर्धारण में बदलाव का मुद्दा। आम तौर पर, मार्गों का चयन उन महत्वपूर्ण स्थलों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिन्हें वे स्कूल, अस्पताल आदि से जोड़ने के लिए तैयार करते हैं। हालांकि, योजना के तहत भूमि हस्तांतरण के लिए किसी भी मुआवजे के तंत्र के अभाव में भूमि के मालिक प्रायः भूमि देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस प्रकार, स्थानीय स्तर पर परस्पर विरोधी राय और रुचि के कारण परियोजना ठप हो जाती है। इस प्रकार, प्राथमिकता को बदलने की आवश्यकता उत्पन्न होती है जो ग्राम पंचायतों पर निर्भर है। यह टकराव चलता रहता है, और इसके कारण निर्माण लटक जाता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि समय की मांग यह सुनिश्चित करना है कि विवेक को उन मामलों में उपयोग किया जा सकता है जहां प्राथमिकता में बदलाव की आवश्यकता है और निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए तुरंत एक तंत्र या प्राधिकरण नियुक्त किया जा सकता है ताकि ग्रामीण संपर्क परियोजनाओं में बाधा न आए।

(सिफारिश क्रम सं. 19)

20. जनसंख्या घनत्व के अनुसार सड़कों का निर्माण

सड़कों के साथ बस्तियों को जोड़ने के माध्यम से ग्रामीण संपर्क परियोजनाओं से जुड़ी खामियों में से एक यह थी कि निर्मित सड़कें वास्तविक जनसंख्या घनत्व से काफी दूर थीं। समिति नोट करती है कि विभिन्न मामलों में, सड़कें गाँव की परिधि को छूती हैं और बसावटों को जोड़ने के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण समझी जाती हैं, लेकिन वास्तव में ज्यादातर बसावट परिधि के अंदर कम से कम 2-3 किमी की दूरी पर होती हैं। यह बसावटों को जोड़ने के पीछे के उद्देश्य को विफल करता है। इसलिए, समिति इसे एक व्यावहारिक आवश्यकता मानते हुए सड़क संपर्क की नीति की अधिक सटीक समीक्षा करने और ऐसे साधन विकसित करने के लिए ग्रामीण

विकास विभाग से सिफारिश करती है ताकि पीएमजीएसवाई के तहत बनाई गई सड़कें गांवों के बाहरी इलाके को स्पर्श भर न करके, वास्तव में बसावट तक पहुंचें। (सिफारिश क्रम सं. 20)

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

21. स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए बेहतर मार्केटिंग रणनीतियाँ

डीएवाई-एनआरएलएम योजना के तहत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) उन ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान हैं जो आजीविका के साधन के लिए मिलकर काम करती हैं। हालांकि, समिति नोट करती है कि एसएचजी की महिलाओं को उनकी आजीविका के लिए आय उपार्जन करने के मामले में बेहतर ढंग से मदद की जा सकती है यदि उनके द्वारा तैयार उत्पाद जैसे डेयरी, कृषि, हस्तशिल्प आदि के पास उनके विपणन और आय के लिए एक उचित मंच उपलब्ध हो। हालांकि उन्हें गाँव की मंडियों तक पहुँच प्राप्त होती है, लेकिन ऐसी मंडियों के दिनों की संख्या सीमित होती है और शायद उन्हें विकास का एक बहुत ही आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर विपणन हेतु एक स्रोत जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि प्लेटफार्मों पर ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए उनके उत्पाद की मुफ्त कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग करने वाली वेबसाइटों के माध्यम से अपने स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन लॉन्च करने के लिए विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने की भी आवश्यकता है ताकि इन महिला स्वयं सहायता समूहों को वास्तव में उनके ईमानदार प्रयासों और कौशल का राजस्व प्राप्त हो सके। इसलिए, समिति डीओआरडी को विपणन की एक मजबूत संरचना विकसित करने की सिफारिश करती है जिसमें एसएचजी के उत्पादों को बेहतर विज्ञापन का अवसर मिले जिसके परिणामस्वरूप व्यापक स्थानीय / अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक-आधार उपलब्ध हो और अंततः यह राजस्व सृजन और आय की स्थिरता में वृद्धि का कारण बने।

(सिफारिश क्रम सं. 21)

22. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम) को जारी रखना

साक्ष्य के दौरान समिति को यह ज्ञात हुआ कि हो सकता है एमपीएमआरएम को और आगे विस्तार न मिले और उसे बन्द कर दिया जाए जैसा कि वित्त व्यय समिति ने पहल की है। तथापि यह निर्णय केन्द्रीय मंत्रिमंडल के पास लंबित है और इस विषय पर निर्णय प्रतीक्षित है, अतः इस योजना पर आगे व्यय बंद कर दिया गया है। समिति यह सूचना पाकर क्षुब्ध हुई क्योंकि देश में पूर्वाग्रह से मुक्त आवासीय क्षेत्र विकसित करने के इसके अभिनव दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमें एसपीएमआरएम से उम्मीदें बहुत अधिक हैं और यह शहरी सुविधाओं वाले गांव के मॉडल की तरह काम कर सकता है जिससे न केवल गांवों की ओर पलायन को कम करने में सहायता मिलेगी अपितु गांव के स्तर पर रोजगार सृजन हेतु अत्यधिक संभावनाएं

भी उत्पन्न होंगी। समिति का दृढ़ मत है कि मिशन को आगे जारी रखा जाए और उसे उचित विस्तार मिले ताकि निर्माणाधीन परियोजनाओं को नुकसान न पहुंचे और यह परियोजनाएं ग्रामीण जनसंख्या के लाभ हेतु पूरी की जाएं। तत्पश्चात् दीर्घावधिक दृष्टि से इस योजना के लाभों का आकलन करते हुए सम्पूर्ण आधार पर इसकी समग्र समीक्षा की जाए।

(सिफारिश क्रम सं. 22)

23. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और किसान उत्पादक संगठनों की सहभागिता

समिति को आशा है कि एसपीएमआरएम की निर्माणाधीन परियोजनाएं पूरी होगी और यह मिशन जारी रहेगा और समिति का यह सर्वसम्मत विचार है कि इस योजना की प्रभावशीलता हेतु डीपीआर रिपोर्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इसे सभी हितधारकों/पणधारकों के साथ विचार-विमर्श करके और इसे अत्यंत सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। एक त्रुटिरहित नीति तैयार की जाए और स्थानीय कुशलता का उपयोग करके और परियोजनाओं के शुरू होने से पहले समिति यह भी अनुभव करती है कि एसपीएमआरएम के तहत परियोजनाओं में मिलों की स्थापना हेतु एफपीओ का सक्रिय सहयोग लिया जाए ताकि उनमें तालमेल रहे और उचित संयोजन रहे। इसलिए समिति ग्रामीण विकास विभाग से सिफारिश करती है कि यह एसपीएमआरएम के तहत संगत परियोजनाओं के लिए एफपीओ के सक्रिय सहयोग का उपयोग करके अपने डीपीआर तैयार करने के काम में तेजी लाए।

(सिफारिश क्रम संख्या 23)

24. एनएसएपी के तहत सहायता का प्रावधान

समाज के गरीब और वंचित वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन तक पहुंच बढ़ाने वाली इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वास्तविक सहायता पहुंचाने हेतु एक बेहतर सहायता घटक की आवश्यकता है। समिति पाती है कि इस स्कीम के घटकों के तहत सहायता राशि जो कि वर्तमान में 200 रूपए से लेकर 500 रूपए तक है, को बढ़ाए जाने की लम्बे समय से मांग की जा रही है। समिति ने पहले भी अपने तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में इस विषय में सिफारिश की थी। समिति ने सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में पहले भी इस पर जोर दिया था। फिर भी पेंशन राशि में यह वृद्धि अभी भी नहीं की गई है। बहुत समय बीत चुका है और समिति ने पाया कि ग्रामीण विकास विभाग के इस विषय में चल रहे विचार-विमर्श संबंधी आश्वासन के वांछित परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसलिए समिति यह पुरजोर सिफारिश करती है कि एनएसएपी के तहत इस पेंशन वृद्धि के मामले को गंभीरता से लिया जाए और जमीनी स्तर पर जल्दप से जल्द इसके ठोस परिणाम सामने आए।

(सिफारिश क्रम सं. 24)

25. निरीक्षण में संसद-सदस्यों का भाग लेना

समिति ने स्कीमों की निगरानी में संसद सदस्यों के जमीनी यथार्थ के संबंध में उनके ज्ञान, बुद्धिमता और अनुभव का बेहतर उपयोग करने में उनकी भावनाओं की ओर बार-बार ध्यान आकर्षित किया है। ग्रामीण विकास विभाग ने समिति को कहा है कि नियमित निरीक्षण टीम जिलों और डीओआरडी की अनेक स्कीमों के योजनाओं के कार्यान्वयन वाले कार्यस्थलों का दौरा करती है। इस संबंध में समिति यह महसूस करती है कि जहां डीओआरडी की निरीक्षण टीम दौरा करे वहां पहले से ही सम्बद्ध जिले के स्थानीय संसद सदस्य की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय संसद सदस्यों को साथ लेकर निरीक्षण टीम को न केवल जमीनी सच्चाईयों से अवगत कराया जा सकेगा और स्थानीय स्कीम को प्रभावित करने वाले मामलों को भी सुलझाया जा सकेगा अपितु इस स्कीम की सफलता के लिए स्थानीय परिस्थितियों की पूरी समझ भी प्रदान की जा सकेगी। इसलिए समिति ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करती है कि विभाग की टीम जब फील्ड का दौरा/निरीक्षण करे तब स्थानीय संसद सदस्यों को अग्रिम रूप से सूचित करने और उनकी सक्रिय भागीदारी हेतु वह एक तंत्र विकसित करे।

(सिफारिश क्रम सं. 25)

नई दिल्ली ;

14 मार्च, 2022

23 फाल्गुन, 1943 (शक)

प्रतापराव जाधव

सभापति

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

डीएवाई-एनआरएलएम:-

चालू वर्ष के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के तहत बजट आवंटन और व्यय नीचे दिया गया है:

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	ब.अ.	स.अ.	वास्तविक व्यय
4	2021-22	13677.61	11709.61	6725.05 दिनांक (27.01.22 तक)

उप-योजना के अनुसार अप्रयुक्त शेष राशि

उप योजना	दिनांक 31.12.21 को अव्ययित शेष राशि
एनआरएलएम	252404
एनआरईटीपी	29745
एमकेएसपी	7895
एसवीईपी	12060
डीडीयू- जीकेवाई*	
आरएसईटीआई*	
कुल	302104

डीडीयू-जीकेवाई:-

- डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत कोई वार्षिक वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां कार्य योजनाओं जो 3 वर्ष की योजनाएं हैं (2019-22/23), के अनुसार की जाती हैं।

- डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत नीचे दिए गए कुल अप्रयुक्त शेष में एसआरएलएम/एसएसएम के पास उपलब्ध केंद्रीय निधियां, राज्य अंश, प्राप्त ब्याज और डीडीयू-जीकेवाई से संबंधित विभिन्न रसीदें शामिल हैं। इसमें राज्य कोष की निधियां शामिल नहीं हैं।

योजना	डीडीयू-जीकेवाई
2021-22	2504.98 करोड़ रुपए

आरएसईटीआई:- आरएसईटीआई योजना के तहत अब तक अप्रयुक्त शेष 76.55 करोड़ रुपये।

मनरेगा:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 28.01.2022 तक अप्रयुक्त शेष (केंद्रीय रिलीज) (रुपए लाख में)
	1	2
1	असम	15859.16
2	बिहार	0
3	छत्तीसगढ़	10.5
4	झारखंड	428.48
5	महाराष्ट्र	0
6	मणिपुर	26123.29
7	मेघालय	0
8	मिजोरम	6551.75
9	पंजाब	0
10	सिक्किम	0
11	तमिलनाडु	0
12	तेलंगाना	0
13	त्रिपुरा	0
14	उत्तर प्रदेश	60.35
15	उत्तराखंड	0
16	पश्चिम बंगाल	0
17	अंडमान और निकोबार द्वीप ससमूह	94.68
18	आंध्र प्रदेश	0
19	राजस्थान	0
20	गुजरात	0
21	कर्नाटक	0

22	मध्य प्रदेश	0
कुल		49128.21

नोट- शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संकलित किया जा रहा है।

पीएमएवाई-जी:-

दिनांक 25.01.2022 को आवाससॉफ्ट के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत अप्रयुक्त शेष के रूप में कुल 10891.13 करोड़ की सूचना दी गई है।

पीएमएवाई-जी के तहत अप्रयुक्त शेष राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण नीचे दिया गया है:

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अप्रयुक्त शेष		
क्र.सं.	राज्य का नाम	(रुपए लाख में)
1	अरुणाचल प्रदेश	271.181
2	असम	22513.7766
3	बिहार	143079.8732
4	छत्तीसगढ़	21960.6628
5	गोवा	163.2
6	गुजरात	3549.953
7	हरियाणा	2728.9
8	हिमाचल प्रदेश	742.1081
9	जम्मू और कश्मीर	15011.925
10	झारखंड	52523.2437
11	केरल	5588.7159
12	मध्य प्रदेश	202983.5789
13	महाराष्ट्र	121373.786
14	मणिपुर	2625.0083
15	मेघालय	8688.3906
16	मिजोरम	57.236
17	नागालैंड	1940.3623
18	ओडिशा	135593.4904
19	पंजाब	258.2432
20	राजस्थान	58142.6366
21	सिक्किम	164.669
22	तमिलनाडु	11323.3367
23	त्रिपुरा	881.7114
24	उत्तर प्रदेश	69730.2675
25	उत्तराखंड	4848.4111
26	पश्चिम बंगाल	195888.6716
27	अण्डमान और निकोबार	968.8062
28	दादर और नगर हवेली	5511.65

29	दमन और दीव	0
30	लक्षद्वीप	0
31	पुदुचेरी	0
32	आंध्र प्रदेश	0
33	कर्नाटक	0
34	तेलंगाना	0
	कुल	1089113.75

पीएमजीएसवाई:- आवंटित निधि और उपयोग की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 24.01.2022 तक	दिनांक 24.01.2022
		रिलीज 2020-21	तक अप्रयुक्त शेष 2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.99	5.16
2	आंध्र प्रदेश (आरसीपीएलडब्ल्यूईए सहित)	0.00	23.70
3	अरुणाचल प्रदेश	576.52	-216.46
4	असम	1175.00	53.24
5	बिहार (आरसीपीएलडब्ल्यूईए सहित)	100.00	733.39
6	छत्तीसगढ़ (आरसीपीएलडब्ल्यूईए सहित)	298.0686	241.15
7	गुजरात	195.5	12.55
8	हरियाणा	293.25	24.69
9	हिमाचल प्रदेश	513.75	344.40
10	जम्मू और कश्मीर	928.04	674.45
11	झारखंड	0.00	587.24
12	कर्नाटक	587.25	154.06
13	केरल	0.00	126.37
14	लद्दाख	80.64	-24.1
15	मध्य प्रदेश	1121.1	817.32
16	महाराष्ट्र (आरसीपीएलडब्ल्यूईए सहित)	0.00	413.6
17	मणिपुर	734.00	-144.11
18	मेघालय	293.24	111.85
19	मिजोरम	36.66	-69.08
20	नागालैंड	43.99	-21.28
21	ओडिशा (आरसीपीएलडब्ल्यूईए सहित)	97.75	249.59
22	पंजाब	0.00	-76.07

23	राजस्थान	783.00	-32.66
24	सिक्किम	53.03	20.79
25	तमिलनाडु	440.00	-5.41
26	तेलंगाना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए सहित)	86.375	-0.36
27	त्रिपुरा	48.875	60.06
28	उत्तर प्रदेश	1410.45	223.61
29	उत्तराखंड	440.25	272.01
30	पश्चिम बंगाल	0.00	300.45
	कुल	10345.73	4860.15

एसपीएमआरएम:-

वित्त वर्ष 2021-22 में एसपीएमआरएम के अंतर्गत जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	जारी धनराशि (रुपए करोड़ में)
1	मिजोरम	3.58175
2	उत्तराखंड	12.15000
राज्य को कुल जारी रिलीज		15.73175

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पिछले वर्षों की अप्रयुक्त शेष राशि है। दिनांक 31.01.2022 तक कुल अप्रयुक्त शेष राशि 796.80 करोड़ रु. रुपये (कुल) के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत में 1413.22 करोड़ है।

क्र.सं.	राज्य	अप्रयुक्त शेष (रुपए करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.80
2	आंध्र प्रदेश	54.21
3	अरुणाचल प्रदेश	4.09
4	असम	32.27
5	बिहार	70.44
6	छत्तीसगढ़	35.67
7	दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव	14.08
8	गोवा	9.00
9	गुजरात	28.46
10	हरियाणा	40.16

11	हिमाचल प्रदेश	13.50
12	जम्मू और कश्मीर	8.86
13	झारखंड	34.04
14	कर्नाटक	4.79
15	केरल	23.61
16	लद्दाख	2.70
17	लक्षद्वीप	9.00
18	मध्य प्रदेश	57.15
19	महाराष्ट्र	31.19
20	मणिपुर	0.40
21	मेघालय	4.44
22	मिजोरम	6.8685
23	नागालैंड	0.90
24	ओडिशा	34.39
25	पुदुचेरी	1.56
26	पंजाब	0
27	राजस्थान	41.55
28	सिक्किम	3.49
29	तमिलनाडु	33.53
30	तेलंगाना	15.95
31	त्रिपुरा	20.02
32	उत्तर प्रदेश	90.71
33	उत्तराखंड	6.476
34	पश्चिम बंगाल	58.5
	कुल	796.80

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

सोमवार, 21 फरवरी, 2022 को आयोजित समिति की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1100 बजे से 1430 बजे तक नए समिति कक्ष '1', संसदीय सौध विस्तार भवन, ब्लॉक - 'ए' (ईपीएचए - 'ए'), नई दिल्ली में बुलाई गई।

उपस्थित

श्री प्रतापराव जाधव -- सभापति

सदस्यलोक सभा

2. श्री ए.के.पी. चिनराज
3. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
4. डॉ. मोहम्मद जावेद
5. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
6. श्री नरेन्द्र कुमार
7. श्री जनार्दन मिश्र
8. श्री तालारी रंगैय्या
9. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
10. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
11. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
12. डॉ. आलोक कुमार सुमन

राज्यसभा

13. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
14. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्री डी. आर शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री ए. के. शाह - निदेशक
3. श्री निशांत मेहरा - उप सचिव

ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि

(ग्रामीण विकास मंत्रालय)

1. श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा,	सचिव
2. श्रीमती लीना जौहरी	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
3. डॉ. आशीष कुमार गोयल	अपर सचिव
4. श्री प्रवीण महतो	मुख्य आर्थिक सलाहकार
5. श्री रोहित कुमार	संयुक्त सचिव
6. श्री अमित कटारिया	संयुक्त सचिव
7. श्री चरणजीत सिंह	संयुक्त सचिव
8. डॉ विश्वजीत बनर्जी	संयुक्त सचिव
9. श्रीमती नीता केजरीवाल	संयुक्त सचिव
10. श्री कर्म जिम्पा भूटिया	संयुक्त सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

[तत्पश्चात साक्षियों को बुलाया गया]

3. साक्षियों का स्वागत करने के पश्चात, सभापति ने विभाग का ध्यान आकर्षित किया कि यहां जो भी चर्चा होती है उसे गोपनीय माना जाता है और समिति का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किए जाने तक इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद सभापति ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित/आवंटित योजना-वार निधियों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया और सचिव से इस बारे में समिति को जानकारी देने का अनुरोध किया। तत्पश्चात, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2022-23 हेतु बजटीय आवंटन के साथ अब तक विभिन्न वर्षों में निधि के उपयोग और विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, पीएमजीएसवाई, डीएवाई-एनआरएलएम, पीएमएवाई-जी आदि के तहत की गई पहल पर प्रकाश डाला।

4. तत्पश्चात्, सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं हेतु बजट की पर्याप्तता, योजनाओं के कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव और इस संबंध में विभाग द्वारा की गई प्रगति से संबंधित मुद्दों पर प्रश्न पूछे, जिनका साक्षियों ने उत्तर दिया।

5. तत्पश्चात्, सभापति ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया और उन्हें सदस्यों द्वारा उठाए गए उन प्रश्नों के लिखित उत्तर यथाशीघ्र सचिवालय को भेजने के लिए कहा जिनके उत्तर तत्काल उपलब्ध नहीं थे।

[तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए]

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2021-2022)

समिति की सोमवार, 14 मार्च, 2022 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1600 तक नई समिति कक्ष संख्या '2', संसद भवन एनेक्सी विस्तार भवन, ब्लॉक -'ए' (पीएचए-विस्तार 'ए'), नई दिल्ली.

उपस्थित

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए.के.पी चिनराज
3. श्री विजय कुमार दुबे
4. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
5. डॉ. मोहम्मद जावेद
6. श्री नलीन कुमार कटील
7. श्री नरेन्द्र कुमार
8. श्री जनार्दन मिश्र
9. श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा
10. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
11. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
12. डा. आलोक कुमार सुमन
13. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

14. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
15. श्री शमशेर सिंह दुलो
16. श्री ईरण्ण कड़ाड़ी
17. श्री नारणभाई जे राठवा
18. श्री राम शकल
19. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| 1. | श्री डी.आर. शेखर | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री ए. के. शाह | - | निदेशक |
| 4. | श्री निशांत मेहरा | - | उप सचिव |

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), XXX XXX XXX तथा XXX XXX XXX से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी XXX प्रारूप प्रतिवेदनों XXX XXX XXX XXX पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु बुलाई गई इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित XXX प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया:-

(एक) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगे (2022-23);

(दो) XXX XXX XXX

(तीन) XXX XXX XXX

(चार) XXX XXX XXX

4. प्रारूप प्रतिवेदनों पर क्रमवार विचार किया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात्, समिति ने कार्यकारी सभापति को उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हे संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

XXX प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है